रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 420] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 1983/भाद्र 30, 1905
[No. 420] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 21, 1983 BHADRA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1983

का०आ० 678(अ):—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखण्ड (ii) तारीख 14 जनवरी, 1982 के पृष्ठ 52 पर प्रकाशित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 20(अ) तारीख 14 जनवरी, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में—

(1) विद्यमान प्रविष्टि को क्रमसंख्यांक "(1)" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा; और

(2) इस प्रकार संख्यांकित क्रमसंख्यांक (1) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

"(2) अतिसूक्ष्म और सूक्ष्म जलविद्युत प्रणाली के लिए उपस्कर;

(3) विद्युत यान।"

[फा०सं० 10/91/81-एल पी]

एस० एल० कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 1983

S.O. 678(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 20(E) dated 14th January, 1982, published at page 52 of the Gazette of India Extraordinary Part II-Section 3-Sub-section (ii) dated the 14th January, 1982, namely :—

In the Schedule to the said notification—

(1) The existing entry shall be numbered as serial number "(1)" thereof ; and

(2) after serial number (1) as so numbered, the following shall be added, namely :—

"(2) Equipment for mini and micro hydel systems ;

(3) Electric vehicles."

[File No. 10|91|81-LP]

S. L. KAPUR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 421] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 1983/भाद्र 30, 1905
No. 421] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 21, 1983/BHADRA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं० 29/83

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1983

का०आ० 679(अ):—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस आदेश सं० 1/83 दिनांक 15 अप्रैल, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपर्युक्त खुले सामान्य लाइसेंस की अनुसूची 3 में, प्रविष्टि सं० 14 को इस प्रकार संशोधित किया जाएगा :—

"विस्कोस फिलामेन्ट धागा (प्रथम किस्म) 600 डेनियर से कम"

[मिसिल सं० आईपीसी/3/1/83]

प्र०च० जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

ORDER NO. 29/83

New Delhi, the 21st September, 1983

S.O. 679(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendment to OGL Order No. 1/83, dated the 15th April, 1983 :—

In part III of the Schedule to said Open General Licence, entry No. 14 shall be amended as :—

"Viscose Filament Yarn (first quality) below 600 denier".

[File No. IPC/3/1/83]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 422] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 22, 1983/भाद्र 31, 1905
No. 422] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 22, 1983/BHADRA 31, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1983

सं. 269/83-सीमाशुल्क

का.आ. 680(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बंगलौर विमान पत्तन को, आयातित माल के उतारने के और निर्यातित माल के या ऐसे

माल के किसी वर्ग के लादने के प्रयोजनों के लिए सीमाशुल्क विमान पत्तन नियत करती है ।

[फा. सं. 481/20/83-सी. शु. 7]
ए. के. छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 1983

NO. 269/83-CUSTOMS

S.O. 680(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints Bangalore Airport as a Customs Airport for the purposes of unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.

[F. No. 481|20|83-CUS.VII]
A. K. CHHABRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 423] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 1983/आश्विन 4, 1905
No. 423] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 1983/ASVINA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 26 सितम्बर 1983

का० आ० 681 (अ).—केंद्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के, यथास्थिति, तत्कालीन पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० 8 (89)/79 औषधि II तारीख 25 फरवरी, 1981 तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 607 (अ), तारीख 23 अगस्त, 1983 को अधिक्रांत करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट कीमतों को, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रपुंज औषधि की बाबत जिसका स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं द्वारा उत्पादन किया जाता है, प्रतिधारण कीमत के रूप में और उक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमतों को, प्रत्येक प्रपुंज औषधि की बाबत सामान्य विक्रय कीमत के रूप में नियत करती है :—

सारणी

क्रम सं	प्रपुंज औषधि का नाम	ऐसे विनिर्माताओं के नाम जिनसे यह संबंधित है।	प्रतिधारण कीमत (रु०/कि. ग्रा.)	सामान्य विक्रय कीमत (रु०/कि०ग्रा०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	विटामिन "सी" (साधारण)	साराभाई एम कैमिकल्स	154.69	154.69
2.	विटामिन "सी" (साधारण)	जयंत विटामिन्स लिमिटेड	200.37	200.37
3.	विटामिन "सी" (लेपित)	साराभाई एम कैमिकल्स	160.69	160.69
4.	विटामिन "सी" (लेपित)	जयंत विटामिन्स लिमिटेड	206.37	206.37

[सं० 8 (20)/83. औ. II]

ई० एन० मूर्ति, उप सचिव,

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Office of Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 26th September, 1983

S.O. 681(E).—In exercise of the powers conferred by paragraph 4 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979 and in supersession of the orders of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. 8(89)/79-D. II, dated the 25th February, 1981 and in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 607(E), dated the 23rd August, 1983, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column (4) of the Table below to be the retention price in respect of the bulk drugs specified in the corresponding entry in column (2). of the said Table, produced by the manufacturers specified in corresponding entry in column (3) and the prices specified in column (5) of the Table to be the common sale price in respect of each of the bulk drugs :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Bulk Drug	Name of the Manufacturers to whom it is relevent	Rention price (Rs./kg.)	Common sale price (Rs./kg.)
1	2	3	4	5
1.	Vitamin 'C' (Plain)	Sarabhai M. Chemicals	154.69	154.69
2.	Vitamin 'C' (Plain)	Jayant Vitamins Limited	200.37	200.37
3.	Vitamin 'C' (Coated)	Sarabhai M. Chemicals	160.69	160.69
4.	Vitamin 'C' (Coated)	Jayant Vitamins Limited.	206.37	206.37

[No. 8(20)/83. DII]

E.N. MURTHY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 424] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 26, 1983/अश्विन 4, 1905
No. 424] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 26, 1983/ASVINA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1983

का० आ० 682 (अ).—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के आदेश सं० का० आ० 41 (अ) [सं० 1205 फा० सं० 414/2/76- आई०टी० (आई०एन० वी० III)] तारीख 15 जनवरी, 1976 को भागत: उपांतरित करते हुए, यह निदेश देती है कि सक्षम प्राधिकारी, कलकत्ता इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में कृत्यों का पालन करेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पता
1.	श्रीमती रामेश्वरी देवी, पत्नी श्री अनन्त राम शर्मा	19, जकारिया स्ट्रीट, कलकत्ता/नागोरीफालसा स्टेशन रोड़, मारवाड़, राजस्थान।

[5410 फा०सं० फोरफीचर/8/78-सफेमा]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

ORDERS

New Delhi, the 26th September, 1983

S.O. 682(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), and in partial modification of the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No.

S.O. 41(E) [No. 1205/F.No. 414/2/76-IT (INV. III)], dated the 5th January, 1976, the Central Government hereby directs that the Competent Authority, Calcutta, shall perform the functions in respect of the person specified in the Schedule attached hereto.

SCHEDULE

S. No.	Name of person	Address
1.	Smt. Rameshwari Devi W/o Shri Ananta Ram Sharma	19, Zakaria Street, Calcutta/ Nagorifalsa, Station Road, Marwar, Rajasthan.

[5410/F.No.Forfeiture/8/78-SAFEMA]

का० आ० 683(अ).—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के आदेश सं० का० आ० 41 (अ) [सं० 1205/फा० सं० 414/2/76-आई० टी० (आई० एन० वी०)] तारीख 15 जनवरी, 1976 को भागत: उपांतरित करते हुए, यह निदेश देती है कि सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में कृत्यों का पालन करेगा।

अनुसूची

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पता
1.	फ्लाइट लेफ्टीनेंट एम० एच० खान	ए-15, आर्मी आफिसर्स फ्लैट्स, होलीडे कैंप, कोलाबा, मुम्बई-400005।

[5411/फा०सं०प्रशा०/7/83 आई० टी० (आई०एन० वी०III)]

के० डी० गुप्ता, उप सचिव

S.O. 683(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), and in partial modification of the order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 41 (E), [No. 1205/F.No. 414/2/76-IT (INV.)] dated the 15th January 1976, the Central Government hereby directs that the Competent Authority, Bombay shall perform the functions in respect of the person specified in the Schedule attached hereto.

SCHEDULE

S. No.	Name of person	Address
1.	Flt. Lt. M.H. Khan	A-15, Army Officers' Flat Holiday Camp, Colaba Bombay-400005.

[5411/F.No. Admn./7/83-IT (INV. III)]

K.D. GUPTA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 430] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 430] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 693(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83 :—भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के (समय-समय पर यथासंशोधित) आदेश सं० का० आ० 22(अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/73, तारीख 15 जनवरी, 1973 द्वारा श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कम्पनी, डोइवाला, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के अधीन 30 सितम्बर, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन 31 मार्च, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बना रहे;

अत., अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा-18-क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि ऊपर वर्णित आदेश 31 मार्च, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ।

[फा० सं० 2(2)/80-सी यू एस]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 693(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 22(E)/18AA/IDRA/73, dated the 15th January, 1973 (as amended from time to time), the management of the industrial undertaking known as Shri Janki

Sugar Mills and Company, Doiwala, District Dehradun (Uttar Pradesh) was taken over under sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto and inclusive of 30th September, 1983 and the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited for a further period of six months upto and inclusive of 31st March, 1984 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st March, 1984.

[File No. 2(2)/80-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 431] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 431] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 694 (अ) 18 क/आई डी आर ए/83.— भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 218 (अ)/18क/आई डी आर ए/78, तारीख 29 मार्च, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता स्थित मैसर्स आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाईवुड लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, तारीख 29 मार्च, 1978 से पांच वर्ष की अवधि के लिय ग्रहण किया गया था और वेस्ट बंगाल फोरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, 6ए, राजा सुबोध मलिक स्क्वेयर, आठवीं मंजिल, कलकत्ता-700013 को प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था ;

और, केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 30 सितम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए निदेश जारी किए थे (देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) का आदेश सं० का० आ० 234 (अ)/18क/आई डी आर ए/83, तारीख 28 मार्च, 1983) ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि तारीख 29 मार्च, 1978 का उक्त आदेश, 31 दिसम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा० सं० 2(25)/74 सी०यू०एस०]
ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 694(E)|18A|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 218(E)/18A/IDRA/78, dated the 29th March, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Industrial Undertaking as Messrs Alok Udyog Vanaspati and Plywood Limited, located at Calcutta, has been taken over for a period of five years with effect from 29th March, 1978, and the West Bengal Forest Development Corporation Limited, 6A, Raja Subodh Mallick Square, 7th Floor, Calcutta-700013, was appointed as the authorised controller ;

And whereas, the Central Government. being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions for such continuance for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1983 vide Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 234(E)/18A/IDRA/83, dated the 28th March, 1983 ;

And whereas, the Central Government. is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 29th March, 1978 shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1983.

[File No. 2(25)/74-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री स. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 432] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/ आश्विन 7, 1905
No. 432] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का०आ० 695 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/83:— केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 319 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/76, तारीख 27 अप्रैल, 1976 द्वारा (जिसमें इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स प्लाईबोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पाम्पेर, जम्मू-काश्मीर नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 26 अप्रैल, 1981 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए जम्मू-कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्राधिकृत किया था ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रभावी बना रहे, 30 सितम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए समय-समय पर निदेश जारी किए थे (देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 318 (अ)/18 कक उ० वि०वि०अ०/81, तारीख 25 अप्रैल, 1981 का आ० 287 (अ)/18कक उ०वि०वि०अ० 82, तारीख 26 अप्रैल, 1982 का० आ० 763 (अ)/18कक/उ० वि० वि०अ०/82, तारीख 25 अक्तूबर, 1982 और का०आ०सं० 233 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83, तारीख 28 मार्च, 1983) ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18 कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 2(6)/81-सी यू एक्स]
ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 695(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 319 (E)/18AA/IDRA/76, dated the 27th April, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Jammu and Kashmir Industries Limited to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Plyboard Industries Limited, Pampore, Jammu and Kashmir, for a period of five years, that is, upto and inclusive of the 26th April, 1981 ;

And whereas, the Central Government being of the opinion that it is expedient in public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time for such continuance for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1983 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. 318(E)/18AA/IDRA/81, dated the 25th April, 1981, S.O. 287(E)/18AA/IDRA/82, dated the 26th April, 1982, S.O. 763(E)/18AA/IDRA/82, dated the 25th October, 1982 and S.O. 233(E)/18AA/IDRA/83, dated the 28th March, 1983 ;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1984 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1984.

[File No. 2(6)/81-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 433] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 433] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 696 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 825(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/76, तारीख 23 दिसम्बर, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स. कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, पुदुकोट्टई नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन 23 दिसम्बर, 1976 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और उक्त संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए तमिलनाडु वस्त्र निगम को प्राधिकृत किया गया था;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 906 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/82, तारीख 22 दिसम्बर, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 22 जून, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है छह मास की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 437(अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/82 तारीख 22 जून, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 30 सितम्बर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी,

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 699(अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/82 तारीख 30 सितम्बर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि, 31 मार्च, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 272(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83, तारीख 31 मार्च, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि, 30 सितम्बर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह समीचीन है, कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 3(9)/81-सी०यू०एस०]
ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 696(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 825(E)/18AA/IDRA/76 dated the 23rd December, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Cauvery Spinning and Weaving Mills Limited, Pudukottai, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years from the 23rd December, 1976, and the Tamil Nadu Textile Corporation was authorised to take over the management of the whole of the said industrial undertaking ;

And whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 906 (E)/18AA/IDRA/81, dated the 22nd December, 1981, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 22nd June, 1982 ;

And whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 437(E)/18AA/IDRA/82, dated the 22nd June, 1982, the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th September, 1982 ;

And whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 699(E)/18AA/IDRA/82, dated the 30th September, 1982, the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 31st March, 1983 ;

And whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 272(E)/18AA/IDRA/83, dated the 31st March, 1983 the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th September, 1983 ;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1984 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1984.

[File No. 3(9)/81-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 434] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 434] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 697 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/83:—भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 752 (अ)/18कक/उ०वि० वि० अ०/77, तारीख 4 नवम्बर, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, मैसर्स सीमा-सुन्दरम स्पिनिंग मिल्स, मुथनेन्दल, रामनाथपुरम जिला, तमिलनाडु नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (अ) के अधीन 4 नवम्बर, 1977 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और उक्त संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए तमिलनाडु वस्त्र निगम को प्राधिकृत किया गया था।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 778(अ)/18कक/उ०वि० वि० अ०/82 तारीख 3 नवम्बर, 1982 द्वारा, उक्त आदेश की अवधि 3 मई, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ा दी गई थी;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 350(अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/83-तारीख 2 मई, 1983 द्वारा, उक्त आदेश की अवधि 30 सितम्बर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश, 31 मार्च, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फाइल सं० 3(14)/77-सी० यू० एस०]
ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 697(E)|18AA|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 752(E)|18AA|IDRA|77, dated the 4th November, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Somasundram Super Spinning Mills, Muthanendal, Ramanathpuram District Tamil Nadu, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years from the 4th November, 1977, and the Tamil Nadu Textile Corporation was authorised to take over the management of the whole of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 778(E)|18AA|IDRA|82, dated the 3rd November, 1982, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 3rd May, 1983;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 350(E)|18AA|IDRA|83, dated the 2nd May, 1983, the period of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th September, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st March, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1984.

[File No. 3(14)|77-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं॰ 426] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 1983/आश्विन, 5, 1905
[No. 426] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 1983/ASVIN 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1983

का॰आ॰ 689(अ).—दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम, 1973 के नियम 3 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री ए॰एन॰ सक्सेना, निदेशक (वित्त) नौवहन और परिवहन मंत्रालय को दिल्ली परिवहन निगम का सदस्य नियुक्त करती है और भारत

सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का०आ० 305 (अ) दिनांक 4 मई, 1982 (अधिसूचना सं० 727 (अ) दि० 11-10-1982, 327(अ) दि० 23-4-1983, 476(अ) दि० 27-6-1983 और 551 (अ) दि० 3-8-1983 द्वारा यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में मद संख्या (iv) में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाए :—

"(iv) श्री ए०एन० सक्सेना,
निदेशक (वित्त)
नौवहन और परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली"

[फा०सं० टी जो डी (22)/82]
गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 1983

S.O. 689(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950) read with rule 3 of the Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973, the Central Government hereby appoints Shri A. N. Saksena, Director (Finance), Ministry of Shipping and Transport, as Member of the Delhi Transport Corporation Board and make the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. S.O. 305 dated 4th May, 1982, (as amended vide Notification Nos. 727-E dated 11-10-82, 327-E

dated 23-4-1983, 476-E dated 27-6-1983 and 551-E dated 3rd August, 1983), namely :—

In the said notification in para 1 against item (iv), the following shall be inserted :

"(iv) Shri A. N. Saksena,
Director (Finance),
Ministry of Shipping and Transport,
New Delhi."

[File No. TGD(22)|82]
G. J. MISRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 427] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 1983/आश्विन 6, 1905
[No. 427] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 1983/ASVINA 6, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1983

का. आ. 690(अ).—अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 के द्वारा सतत रूप से लागू कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के खंड 3 के अनुसरण में, और कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विहित करती है कि लोहा-पट्टी कोलियरी के कोयले का वर्गीकरण तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित होगा :—

(1) नं. 4 इन्क्लाइन का भूरंनिया टाप सीम कोयला—कोकर कोयला

(2) नं. 2 इन्क्लाइन का लोहापट्टी मिडिल सीम कोयला—अर्द्ध कोकिंग कोयला ।

[फाइल सं. 15014/1/83-सीआरसी]
ल. ना. लड्ढा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 1983

S.O. 690(E).—In pursuance of clause 3 of the Colliery Control Order, 1945, as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and as recommended by the Coal Conservation and Development Advisory Committee, the Central Government hereby prescribes that the coal in the Lohapatti Colliery shall be categorised as follows with immediate effect :—

(i) the Bhurangia Top Seam coal of No. 4 incline—Coking Coal.

(ii) the Lohapatti Middle Seam coal of No. 2 incline—Semi Coking Coal.

[File No. 15014/1/83-CRC]
L. N. LADDHA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 428] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 1983/आश्विन 6, 1905
No. 428] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 1983/ASVINA 6, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1983

का. आ. 691(अ).—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या-61) की धारा 5 की उपधारा (2) (डी) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में सेवा करने हेतु दिल्ली नगर निगम के पार्षदों तथा नगर प्रमुखों द्वारा अपने में से सर्वश्री बलवान सिंह सोलंकी, [illegible] मुकुन्द लाल चिन्द्रा तथा श्री आर. के. त्यागी को चुन लिया है ।

[सं. 5(1)/79-एम. सी.]
नाथू राम, सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Delh, the 28th September, 1983

S.O. 691(E).—It is hereby notified that in pursuance of Clause (d) of sub-section (2) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957(61 of 1957), the councillors and aldermen of the Municipal Corporation of Delhi have, from among themselves, elected S|Shri Balwan Singh Solanki, Hari Chand Verma, Mukand Lal Bindra and R. K. Tyagi to serve as members of the Advisory Council of the Delhi Development Authority.

[F. No. 5(1)|79-M.C.]
NATHU RAM, Secy.
Delhi Development Authority

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 429] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 429] NEW DELHI, THURSDAY, SEPT. 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(शेयर बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का. आ. 692(अ).—केन्द्रीय सरकार, हैदराबाद स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उपर्युक्त एक्सचेंज कहा गया है) के द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42 वां) की धारा 3 के अन्तर्गत मान्यता के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर विचार करने और इस बात से सन्तुष्ट

होने के बाद कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42 वां) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा इस एक्सचेंज को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत स्थाई आधार पर प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार जो बाद में निर्धारित की जाएंगी अथवा लागू की जाएंगी, मान्यता प्रदान करती है ।

[सं. एफ. 1/36/एस.ई./83]
नीतीश सेनगुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 692(E).—The Central Government, having considered the application for recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), by the Hyderabad Stock Exchange Limited, Hyderabad (hereinafter referred to as the said Exchange) and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), recognition to the said Exchange under section 4 of the said Act, on a permanent basis, in respect of contracts in securities, subject to such conditions as may be prescribed or imposed hereafter.

[No. F. 1|36|SE|83]
N. K. SENGUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 435] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 435] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 698 (अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/83.— भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 608(अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/72, तारीख 18 दिसम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स इण्डियन रबर मेन्युफैक्चर्स लि०, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण 17 दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, किया गया था;

और भारत सरकार के आदेश सं० का० आ० 638(अ)/18क/आई० डी० आर० ए० 77, तारीख 26 अगस्त, 1977 द्वारा उक्त आदेश को 17 सितम्बर, 1979 तक की और अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है विस्तारित किया गया था।

और भारत सरकार के आदेश सं० का० आ० 520(अ)/18क/आई० डी आर० ए/79, तारीख 17 सितम्बर, 1979, का० आ० 704(अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/81, तारीख 17 सितम्बर, 1981, का० आ० 138(अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/82, तारीख 17 मार्च, 1982, का० आ० 674(अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/82, तारीख 17 सिम्तबर, 1982, का० आ० 867(अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/82, तारीख 31 दिसम्बर, 1982 तथा का० आ० 271(अ)/18क/आई डी० आर० ए०/83 तारीख 31 मार्च, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 30 सितम्बर, 1983 तक की और अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और बढ़ा दी गई थी।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 अक्तूबर, 1983 तक की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के

परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 अक्तूबर, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 2(13)/80-सी० यू०एस०]
ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 698(E)|18A|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 608(E)|18A|IDRA|72, dated the 18th September, 1971 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as the Indian Rubber Manufacturers Limited Calcutta, has been taken over for a period upto and inclusive of the 17th September, 1977;

And, whereas by the Order of the Government of India No. S.O. 638(E)|18A|IDRA|77, dated the 26th August, 1977 the said Order was extended for a further period upto and inclusive of the 17th September, 1979;

And, whereas by the Order of the Government of India No. S.O. 520(E)|18A|IDRA|79, dated the 17th September, 1979, No. S.O. 704(E)|18A|IDRA|81, dated the 17th September, 1981, No. S.O. 138(E)|18A|IDRA|82, dated the 18th September, 1982, No. S.O. 867(E)|18A|IDRA|82, dated the 31st December, 1982, and No. S.O. 271(E)|18A|IDRA|83, dated the 31st March, 1983, the duration of the said Order was further extended for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1983;

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of 31st October, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provision of the section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st October, 1983.

[File No. 2(13)|80-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 436] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/अश्विन 7, 1905
No. 436] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का०आ० 699 (अ)/18 कक/आई० डी० आर० ए०/83:— यतः, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या 293(अ)/18कक/आई०डी०आर० ए०/78 दिनांक 1 मई, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, कलकत्ता के आसनसोल के समीप जे०के० नगर में स्थित औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के अधीन 30 अप्रैल, 1979 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) एक वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था तथा भारत एल्यूमीनियम कंपनी लि० को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ।

और, यतः, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेशों दिनांक 25 अप्रैल, 1979 के का०आ० संख्या 224(ई), दिनांक 29 अप्रैल, 1980 का का०आ० 286(ई), दिनांक 31 अक्तूबर, 1980 का का०आ० 869(ई)/18कक/आई०डी०आर०ए०/80, दिनांक 30 अप्रैल, 1981 का का०आ० 325(ई)/18कक/आई०डी०आर०ए०/81, दिनांक 30 अप्रैल, 1982 क का०आ० 290(ई), दिनांक 31 जुलाई, 1982 का का०आ० 539(ई) तथा दिनांक 28 मार्च, 1983 का का०आ० 235(ई)/18कक/आई०डी०आर०ए०/83, द्वारा उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर 30 सितम्बर, 1983 तक बढ़ा दी गई थी ।

और, यतः, केन्द्र सरकार की राय में लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को 31 मार्च, 1984 तक 6 महीने की और अवधि के लिए भारत एल्यूमीनियम कंपनी लि० के प्रबन्ध में बना रहने दिया जाना चाहिए ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा

18क्क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1984 तक, जिसमें यह दिन भी शामिल है, 6 महीने की आगामी अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फाइल सं० 4(1)/80-सी०यू०एम०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 699(E)|18AA|IDRA|83.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. 293(E)|18AA|IDRA|78, dated the 1st May, 1978 (hereinafter referred to as the said order), the management of the industrial undertaking located at Jaykaynagar near Asansol belonging to the Aluminium Corporation of India Limited, Calcutta, was taken over under sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of one year upto and inclusive of the 30th April, 1979, and the Bharat Aluminium Company Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 224(E), dated the 25th April, 1979, No. S.O. 286(E), dated the 29th April, 1980, No. S.O. 869(E)|18AA|IDRA|80, dated the 31st October, 1980, No. S.O. 325(E)|18AA|IDRA|81, dated the 30th April, 1981, S.O. 290(E), dated the 30th April, 1982, S.O. 539(E), dated the 31st July, 1982 and S.O. 235(E)|18AA|IDRA|83, dated the 28th March, 1983, the duration of the said Order was extended from time to time for a further period upto the 30th September, 1983;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Bharat Aluminium Company Limited for a further period of six months upto the 31st March, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 31st March, 1984.

[File No. 4(1)|80-CUS.]

का० आ० 700(अ)/18चख/आई०डी०आर०ए०/83.—यतः भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के दिनांक 2 मई, 1978 के का०आ० संख्या 302(अ)/18एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/78 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रदत्त ऐसी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण, पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों, जिनका एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. कलकत्ता के आसनसोल के समीप जे०के० नगर स्थित औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू हो सकते हों, का प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे।

और, यतः, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के दिनांक 25 अप्रैल, 1979 के का०आ० संख्या 225(अ)/18 चख/आई०डी० आर०ए०/79, दिनांक 29 अप्रैल, 1980 का का०आ० संख्या 287/18चख/आई०डी० आर०ए०/80 दिनांक 31 अक्तूबर, 1980 का०आ० संख्या 870(अ)/18चख/आई०डी०आर०ए०/80, दिनांक 30 अप्रैल, 1981 का का०आ० संख्या 326(ई)/8चख/आई० डी०आर०ए०/81 दिनांक 30 अप्रैल, 1982 का का०आ० संख्या 291(अ), 31 जुलाई, 1982 का का०आ० संख्या 540(अ), दिनांक 28 मार्च, 1983 का का०आ० संख्या 236(अ)/18चख/आई०डी०आर०ए०/83 और 28 मई, 1983 का का०आ० संख्या 380(अ) द्वारा उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर 30 सितम्बर, 1983 तक की आगामी अवधि के लिए और बढ़ा दी गई थी।

और, यतः, केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि उक्त आदेश की अवधि और 6 महीने यानी 31 मार्च, 1984 तक, जिसमें यह दिन भी शामिल है, बढ़ा देनी चाहिए।

अब, अतः, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि 31 मार्च, 1984 तक, जिसमें यह दिन भी शामिल है, बढ़ाती है।

[फाइल सं० 4(1)/80-सी०यू०एम०]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

S.O. 700(E)|18FB|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 302(E)|18FB|IDRA|78, dated

the 2nd May, 1978, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order to which the industrial undertaking located at Jaykaynagar near Asansol and belonging to the Aluminium Corporation of India Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said Industrial undertaking, shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period of one year;

And, whereas by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 225(E)|18FB|IDRA|79, dated 25th April, 1979, No. S.O. 287(E)|18FB|IDRA|80 dated the 29th April, 1980, S.O. 870|18FB|IDRA|80 dated the 31st October, 1980, No. S.O. 326(E)|18FB|IDRA|81, dated 30th April, 1981, No. S.O. 291(E), dated 30th April, 1982, S.O. 540(E), dated the 31st July, 1982, S.O. 236(E)|18FB|IDRA|83 dated the 28th March, 1983 and S.O. 380(E) dated the 28th May, 1983 the duration of the said Order was further extended from time to time for a further period upto the 30th September, 1983;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of six months upto and inclusive of the 31st March, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 31st March, 1984.

[File No. 4(1)|80-CUS.]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 437] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 437] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 701(अ)—केन्द्रीय सरकार मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तटीय सिंधि योजना 1982 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है: अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) यह स्कीम तटीय सिंधि (संशोधन) योजना, 1983 है। यह तुरन्त प्रभावी होगी।

2. तोषण निधि योजना, 1982 में,

(1) खंड 2, उपखंड (ग) में "राज्य" शब्द के बाद "या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो सब डिवीजनल आफिसर या तहसीलदार से नीचे के ओहदे से कम न हो, जैसा भी राज्य सरकार निर्दिष्ट करें" शब्द रहेंगे;

(2) खंड 2, उपखंड (घ) में "राज्य" शब्द के बाद "या ऐसा कोई अन्य अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त या कलक्टर के ओहदे से कम न हो, जैसा भी राज्य सरकार निर्दिष्ट करें" शब्द रहेंगे।

[फा०सं०टी डब्ल्यू/टीजीएम (28)/82]
गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 701(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 109 C of the Motor Vehicles Act, 1939, (4 of 1939), the Central Government hereby make the Scheme to amend the Solatium Fund Scheme, 1982, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Solatium Fund (Amendment) Scheme, 1983. (2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Solatium Fund Scheme, 1982;

(i) in sub-clause (c) of clause 2, after the word "State" the words "or such other officer not below the rank of a Sub-Divisional Officer or of a Tehsildar, as may be specified by the State Government" shall be inserted;

(ii) in sub-clause (d) of clause 2, after the word "State", the words "or such other officer not below the rank of a District Magistrate or of a Deputy Commissioner or of a Collector, as may be specified by the State Government" shall be inserted.

[F. No. TW|TGM(28)|82]
G. J. MISRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 438] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 1983/अश्विन 8, 1905
No. 438] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 1983/ASHVINA 8, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1983

का० आ० 702 (अ):—बैंककारी कंपनी (विधि व्यवसायिओं के मुवक्किलों के खाते) अधिनियम, 1949 (1949 का 46) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक अक्टूबर, 1983 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिससे कि उक्त अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर लागू होंगे, अर्थात् :—

राज्य :

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा

संघ शासित क्षेत्र :

1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. चण्डीगढ़
4. दिल्ली

राज्य :

6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू तथा कश्मीर
8. कर्नाटक
9. केरल
10. मध्य प्रदेश
11. महाराष्ट्र (जहां अधिनियम पहले से लागू है, राज्य के उस भाग के अलावा)
12. मणिपुर
13. मेघालय
14. नागालैण्ड
15. राजस्थान
16. तमिलनाडु
17. त्रिपुरा
18. उत्तर प्रदेश
19. पश्चिम बंगाल

संघ शासित क्षेत्र :

[सं० एफ० 18/8/82-बी० ओ०-1]

वी० के० सिंहल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :--उड़ीसा में यह अधिनियम भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, पृष्ठ 278 पर प्रकाशित दिनांक 12 जुलाई, 1950 की अधिसूचना सं० सा० आ० 270 के अंतर्गत पहली अगस्त, 1950 से और पंजाब राज्य में भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, पृष्ठ 1597 पर प्रकाशित दिनांक 18 सितम्बर, 1951 की अधिसूचना संख्या सं० सा० आ० 1431 के अंतर्गत पहली अक्टूबर, 1951 से प्रवृत्त किया गया था।

इस आधनियम के विस्तार को 1963 के विनियम 6, धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा संघ शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तक और 1963 के विनियम 7, धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा पांडिचेरी तक बढ़ा कर वहां प्रवृत्त किया गया और इसके विस्तार को 1963 के विनियम 11, धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमन और दीव और 1965 के विनियम 8, धारा 3 और अनुसूची द्वारा लक्षद्वीप मिनीकाय और अमीनदीव द्वीप समूह तक बढ़ाया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1983

S.O. 702(E)—In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 1 of the Banking Companies (Legal Practitioners' Clients' Accounts) Act, 1949 (46 of 1949), the Central Government hereby appoints the 1st day of October, 1983 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the following States and Union territories, namely:—

States	Union Territories
1. Andhra Pradesh	1. Andaman and Nicobar Islands
2. Assam	2. Arunachal Pradesh
3. Bihar	3. Chandigarh
4. Gujarat	4. Delhi
5. Haryana	
6. Himachal Pradesh	
7. Jammu & Kashmir	
8. Karnataka	
9. Korala	
10. Madhya Pradesh	
11. Maharashtra (except the Part of the State to which the Act is already in force)	
12. Manipur	
13. Meghalaya	
14. Nagaland	
15. Rajasthan	
16. Tamil Nadu	
17. Tripura	
18. Uttar Pradesh	
19. West Bengal	

[No. F. 18/8/82-.B.O.I]

V. K. SIBAL, Joint, Secy.

Note:—The Act was brought into force in Orissa on 1st August, 1950, vide Notification No. S.R.O. 270, dated the 12th July, 1950, Gazette of India, Pt. II, Sec. 3, p. 278, and in the State of Punjab on the 1st October, 1951, vide Notification No. S.R.O. 1431, dated 18th September, 1951, Gazette of India, Pt. II., Sec. 3, p. 1597.

The Act was extended to and brought into force in the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli by Reg. 6 of 1963, s. 2 and Sch. 1 and Pondicherry by Reg. 7 of 1963, s. 3 and Sch. 1 and extended to Goa, Daman and Diu by Reg. 11 of 1963, s. 3 and Sch. and Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands by Reg. 8 of 1965, s. 3 and Sch.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 439] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 1 1983/आश्विन 9, 1905
No. 439] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 1983/ASVINA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1983

आदेश सं. 30/83

का.आ. 703(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत में आयातित किसी रूप में किसी भी पशु मूल की चर्बी, वसा और/या पिघलाए हुए, बिना पिघलाए हुए तेल या जो अन्यथा रूप से हों के खाने उपभोग के लिए निकासी पर प्रतिबन्ध लगाती है ।

[मिसिल सं. आईपीसी/4/3/(37)/34/83-84]

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st October, 1983

ORDER NO. 30|83

S.O. 703(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby publishes the clearance for home consumption of tallow, fat and|or oils rendered, unrendered or otherwise of any animal origin, in any form, imported into India.

[File No. IPC|4|8(37)|34|83-84]

P. C. JAIN, Chief Controller

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 440] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 1, 1983/आश्विन 9, 1905
No. 440] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 1983/ASVINA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1983

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. सं. ई(सी)ओ, 1977/एएम (274) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

(1) इस आदेश की निर्यात (नियंत्रण) 21वां संशोधन आदेश, 1983 की संज्ञा दी जाए ।

(2) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में, खुले सामान्य लाइसेंस-3 की अनुसूची 3, कालम-4 में,

(1) क्रम सं. 1 के सामने शर्त सं. 3 को हटाया जाएगा ।

(2) क्रम सं. 2 के सामने शर्त सं. 2 को हटाया जाएगा ।

[मिसिल सं. 34(4)/83-ई-2 से जारी]

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 1st October, 1983

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. No. E(C)O, 1977|AM(274).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Export (Control) Order, 1977, namely :—

(1) This order may be called the Export (Control) Twenty first Amendment Order, 1983.

(2) In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL : 3 of schedule-III, in Column 4 :—

(i) The condition No. (iii) against Serial No. 1 shall be deleted.

(ii) The condition No. (ii) against Serial No. 2 shall be deleted.

[Issued from F. No. 34(4)|83-E II]
P. C. JAIN,
hief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 441] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 3, 1983/ आश्विन 11, 1905
No. 441] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 3, 1983/ASVINA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1983

का. आ. 705(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार प्रथमदृष्टया इस मत की है कि "दि एनटिटी" (अंग्रेजी) नामक फिल्म में आतंक और क्रूरता के दृश्य हैं, जिनका दर्शकों पर घृणित और डरावना प्रभाव पड़ता है, तथा महिलाओं के नग्न दृश्य और यौन-क्रिया के दृश्य हैं जो मानविक संवेदनशीलता को क्षुब्ध करते हैं, और यतः इस प्रकार यह फिल्म इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ. 5/5/77-एफ (सी.), दिनांक 7-1-78 (यथा संशोधित) के अंतर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 2(3) और 2(4) में उल्लिखित हिंसा, क्रूरता, आतंक, अशिष्टता और अभद्रता से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अवहेलना करती है और इस प्रकार चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) (इसके बाद इसको उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5-ख(1) के अर्थ के अन्दर "शिष्टता या नैतिकता" और "किसी अपराध को करने के लिए उद्दीपन" से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन करती है और यतः इस फिल्म का प्रदर्शन करते रहने से दर्शकों पर घृणित प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, इसलिए केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि जनता को इस फिल्म को देखने से तत्काल बचाया जाए ।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि "दि एनटिटी" (अंग्रेजी) नामक फिल्म, जिसको केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बम्बई द्वारा "ए" प्रमाण-पत्र सं. ए-5063, दिनांक 27-5-83 प्रदान किया गया था, का प्रदर्शन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया जाए ।

[संख्या 809/24/83-एफ. (सी.)]
वी. एस. जाफा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 1983

S.O. 705(E).—Whereas the Central Governmer is prima facie of the opinion that the film "Th Entity" (English) contains scenes of horror ar cruelty having a disgusting and horrifying impa on the viewers and scenes of nudity of female boc and sexual scenes which are offensive to huma sensibilities and whereas the film thus offends th

guidelines relating to violence, cruelty, horror, vulgarity and obscenity mentioned in para-2(iii) and 2(iv) of the guidelines issued under this Ministry's notification No. F.5/5/77-F(C) dated 7-1-78 (as amended) and thus contravenes the provisions relating to "decency or morality" and "incitement to the commission of any offence" within the meaning of Section 5B(1) of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) (hereinafter called the said Act) and whereas the continued exhibition of the film is likely to have an unsavoury impact on the audience, the Central Government, therefore, feels it necessary to protect the public at large immediately from exposure to the film ;

Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the exhibition of the film entitled "The Entity" (English) which was granted 'A' certificate No. A-5063 dated 27-5-83 by the Central Board of Film Certification, Bombay, be suspended for a period of two months with effect from the date of issue of this Notification.

[No. 809/24/83-F(C)]

V. S. JAFA, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II— Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 442] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 1983/अश्विन 12, 1905
No. 442] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1983 /ASVINA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 706 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 603 (अ), तारीख 22 जुलाई, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16.	डाक्सीसाइक्लिन कैप्सूल	100 मि० ग्रा० /कैप्सूल	6 का पत्ता/बोतल	7.54"

[सं० 9 (31)/82-औषधि-II]

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDERS

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 706(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 603 (E), dated the 22nd July, 1981, namely:—

In the Table below the said Order, for serial number 16 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16.	Doxycycline Capsules	100mg/capsule	6's strip/bottle	7.54"

[No. 9 (31)/82-D-II]

का० आ० 707 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 548 (अ), तारीख 8 जुलाई, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में, क्रम संख्यांक 7, 8, 9, 10, और 11 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"7. डाक्सीसाइक्लिन कैप्सूल	100 मि० ग्रा०/कैप्सूल 10 की बोतल/पट्टी	12.82
8. डाक्सीसाइक्लिन कैप्सूल	100 मि० ग्रा०/कैप्सूल 4 की बोतल/पट्टी	5.34
9. डाक्सीसाइक्लिन कैप्सूल	100 मि० ग्रा०/कैप्सूल 2 की शीशी/पट्टी	3.52
10. डाक्सीसाइक्लिन कैप्सूल	100 मि० ग्रा०/कैप्सूल 3 की शीशी/पट्टी	4.88
11. डाक्सीसाइक्लिन शर्बत	50 मि० ग्रा०/5 मि० लि० 25 मि० ली० बोतल	5.32" ।

[सं० 9 (31)/82-औषधि-II]

S.O.707(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 548 (E), dated the 8th July, 1981, namely:—

In the Table below the said Order, for serial numbers 7, 8, 9, 10 and 11 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely:—

"7.	Doxycycline Capsules	100mg/capsule	10's bottle/-strip	12.82
8.	Doxycycline Capsules	100mg/capsule	4's bottle/-strip	5.34
9.	Doxycycline Capsules	100mg/capsule	2's vial/-strip	3.52
10.	Doxycycline Capsules	100mg/capsule	3's vial/-strip	4.88
11.	Doxycycline Syrup	50mg/5 ml	25 ml bottle	5.32".

[No. 9 (31)/82-D-II]

का० आ० 708 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 666 (अ), तारीख 24 अगस्त, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में, क्रम संख्यांक 16, 17, और 18 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"16. डाक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन	50 मि० ग्रा०/मि० ली० 10 मि० ली० शीशी	9.68
17. डाक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन	50 मि० ग्रा०/मि० ली० 2 मि० ली० एम्प्युल	2.5
18. डाक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन	100 मि० ग्रा/मि० ली० 5 मि० ली० शीशी	4.38"।

[सं० 9 (31)/82-औषधि.-II]

S.O. 708 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 666 (E), dated the 24th August, 1981, namely:—

In the Table below the said Order for serial numbers 16, 17 and 18 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

"16.	Doxycycline Injection	50 mg/ml	10ml vial	9.68
17.	Doxycycline Injection	50mg/ml	2ml ampoule	2.52
18.	Doxycycline Injection	100mg/ml	5ml vial	4.38."

[No.9 (31)/82-D-II]

का० आ० 709 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमतों को, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग 3 सूत्रयोग की, जिसकी प्रबलता और पैक आकार क्रमशः उसके स्तंभ (3) और (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, अग्रणी कीमत के रूप में, जिसके अंतर्गत उत्पाद-शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, नहीं हैं, नियत करती है :—

सारणी

क्रम सं०	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अग्रणी कीमत (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रवर्ग 3 सूत्रयोग :				
1.	आक्सीटासिन इंजेक्शन	2 आई. यू./एम्प्यूल	6 एंपियर × 2 मि०ली०	6.34
2.	आक्सीटासिन इंजेक्शन	2 आई. यू./एम्प्यूल	50 एंपियर × 2 मि० ली०	52.90
3.	आक्सीटासिन इंजेक्शन	2 आई. यू./एम्प्यूल	100 एंपियर × 2 मि० ली०	105.80
4.	आक्सीटासिन इंजेक्शन	5 आई.यू./एम्प्यूल	6 एंपियर × 1 मि०ली०	5.96
5.	आक्सीटासिन इंजेक्शन	5 आई. यू./एम्प्यूल	50 एंपियर × 1 मि० ली०	46.48
6.	आक्सीटासिन इंजेक्शन	5 आई. यू./एम्प्यूल	100 एंपियर × 1 मि० ली०	92.90
7.	जेन्टामाइसिन टॉपिकल क्रीम	जेन्टामाइसिन आधार वाला 0.1%/डब्ल्यू/डब्ल्यू	5 ग्राम ट्यूब	2.00

[सं० 9 (31)/82-औषधि.-II]

S) .709(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column (5) of the Table below as the leader price exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the Category III formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size respectively in the corresponding entry in columns (3) and (4) thereof:—

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack size	Leader price (Rs.)
1	2	3	4	5
CATEGORY III FORMULATIONS:				
1.	Oxytocin Injection	2 i.u./ampoule	6Amps X 2ml	6.34
2.	Oxytocin Injection	2 i.u./ampoule	50Amps X 2ml	52.90
3.	Oxytocin Injection	2 i.u./ampoule	100Amps X 2ml	105.80
4.	Oxytocin Injection	5 i.u./ampoule	6Amps X 1ml	5.96
5.	Oxytocin Injection	5 i.u./ampoule	50Amps X 1ml	46.48
6.	Oxytocin Injection	5 i.u./ampoule	100Amps X 1ml	92.90
7.	Gentamycin Topical Cream	0.1% w/w of Gentamycin Base	5gm tube	2.00

[No. 9(31)/82-D-II]

का० आ० 710 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उपपैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 559 (अ), तारीख 6 अगस्त, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी में, "प्रवर्ग 2 विनिर्मितियां" शीर्षक के नीचे, क्रम संख्यांक 1 (ग), 2 (क) और 2 (ग) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1 (ग)	टेट्रासाइक्लीन आई आइंटमेंट/लोशन/ड्राकेज/सूपरसाइड्स/ड्राप्स	टेट्रासाइक्लीन एच सी एल 1%	3.5 ग्राम ट्यूब 1.27";
"2 (क)	डीमेथिल क्लोरोटेट्रासाइक्लीन कैप्सूल/टिकिया (बिलेय)	30 मि०ग्रा० डीमेथिल क्लोरोटेट्रा साइक्लीन एचसी-एल/टिकिया	10 की स्ट्रिप बोतल 1.26";
"2 (ग)	डीमेथिल क्लोरोटेट्रासाइक्लीन/क्लोरोटेट्रासाइक्लीन आई आइंटमेंट/लोशन	1% क्लोरोटेट्रा साइक्लीन एच सी एल	3.5 ग्राम ट्यूब 1.27"।

[सं० 9 (31)/82-औषधि-II]
ई० एन० मूर्ति, उप सचिव

S.O. 710(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 559(E), dated the 6th August, 1982, namely:—

In the Table annexed to the said Order, under the heading "Category II formulations", for serial numbers 1(c), 2(a) and 2(c), and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:—

"1(c)	Tetracycline Eye Ointment lotion/troches/ supersoids/- drops	Tetracycline Hcl 1%	3.5gm tube	1.27";
"2(a)	Demethyl Chloro-Tetra-cycline Capsules/- tablets (soluble)	30mg demethyl chlorotetra-cycline Hcl. Tablet	10's strip bottle	1.26";
"2(c)	Demethyl Chloro-Tetracycline/- Chloro-Tetracycline Eye Ointment/ lotion	1% chloro-Tetracycline Hcl.	3.5gm tube	1.27".

[No. 9(31)/82-D-II]

E.N. MURTHY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
I-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 443] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 1983/ आश्विन 12, 1905
No. 443] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1983/ASVINA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर 1983

का० आ० 711 (अ).—केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 494 (अ), तारीख 13 जुलाई, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में, –

(क) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ (5) में "5.06" अंकों के स्थान पर "5.40" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"5क	एनलजिन इंजेक्शन	0.5 मि. ग्रा./मि. ली.	5 एम्प्यूल × 5 मि. ली.	12.80
5ख	एनलजिन इंजेक्शन	0.5 मि. ग्रा./मि. ली.	10 एम्प्यूल × 2 मि. ली.	16.12
5ग	एनलजिन इंजेक्शन	0.5 मि. ग्रा./मि. ली.	30. मि. ली.	11.48।"

[सं० 9 (24)/83-औषधि-2]

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Office of the Development Commissioner (Drugs))

ORDER

New Delhi, the 29th September 1983

S. O. 711 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S. O. 494 (E), dated the 13th July, 1982, namely :—

In the Table below the said Order –

(a) against serial number 5, in column (5), for the figure "5.06" the figure "5.40" shall be substituted.

(b) after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely : –

"5A	Analgin Injection	0.5mg/ml	5Amp. × 5ml	12.80
5B	Analgin Injection	0.5mg/ml	10Amp. × 2ml	16.12
5C	Analgin Injection	0.5mg/ml	30ml	11.48".

[No. 9 (24)/83-Drug.-II]

का० आ० 712 (अ).—केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 179 (अ) तारीख 12 मार्च, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी में "प्रवर्ग I विनिर्मितियां" शीर्षक के नीचे क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :—

"1. फीनाक्सीमेथिल पेनिसिलीन टिकिया	65 मि० ग्रा०/ टिकिया	8 × 6 की	10.09
1क. फीनाक्सीमेथिल पेनिसिलीन टिकिया	130 मि० ग्रा०/ टिकिया	8 × 6 की	17.04,,

[सं० 9 (24)/82-औषधि-2]
ई. एन. मूर्ति, उप सचिव

S. O. 712 (E).—In exercise of the powers conferred by sub paragraph (1) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the order of Government of India, in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S. O. 179 (E), dated the 12th March, 1981 namely :—

In the Table annexed to the said Order, under the Heading "Catagory I formulations", for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted namely : —

"1.	Phenoxymethyl Penicillin Tablets.	65mg/Tab.	8 × 6's	10.09
1A.	Phenoxymethyl Penicillin Tablets.	130mg/Tab.	8 × 6's	17.04".

[No. 9(24)/82-Drug. II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं० डी० (डी०एन०)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 444] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 1983/आश्विन 12, 1905
No. 444] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1983/ASVINA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 713 (अ).—केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 121 (अ); तारीख 4 मार्च 1983 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम संख्यांक 11; 12; 13; 14 और 15 के सामने स्तंभ 5 में "62.70", "27.26", "1.34", "2.94", और "8.44" अंकों के स्थान पर क्रमशः "72.38", "29.70", "1.44", "3.34" और "9.46" अंक रख जाएंगे

[सं० 9(18)/83-औषधि-2]

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDERS

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 713 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S. O. 121 (E), dated the 4th March, 1983, namely :—

In the Table below the said order, against serial number 11, 12, 13, 14 and 15 in column 5, for the figures "62.70", 27.26." "1.34", "2.94" and "8.44', the figures "72.38", "29.70", "1.44", "3.34", and "9.46", shall respectively be substituted

[No. 9(18)/83-Drug-I]

का० आ० 714 (अ).—केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमतों को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रवर्ग 3 सूत्रयोग की जिसकी प्रबलता और पैक आकार क्रमशः उसके स्तंभ (3) और (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लिखित हैं अग्रणी कीमत के रूप में जिसके अंतर्गत उत्पाद-शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, नहीं हैं नियत करती है :—

सारणी

क्रम सं०	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अग्रणी कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेक्सोल टिकिया	सल्फामेक्सोल 400 मि. ग्रा. ट्राइमेथोप्रिम 80 मि ग्रा	10× 10 की	53.96
2.	ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेक्सोल पाएड	ट्राइमेथोप्रिम 40 मि. ग्रा. सल्फामेक्सोल 100 मि. ग्रा.	10× 10 की	18.14
3.	ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेक्सोल सस्पेंशन	ट्राइमेथोप्रिम 40+ मि ग्रा सल्फामेक्सोल 200 मि. ग्रा./प्रति 5 मि. ली.	50मि. ली. की बोतल	6.16

[सं० 9 (18)/83-औषधि-2]

ई. एन. मूर्ति, उप सचिव

S. O. 714(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979 the Central Government hereby fixes th Prices as specified in the column 5 of the Table below as the leador price exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the category III formulations specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table with the strength and pack size mentioned respectively in the correspondings entries in columns 3 and 4 thereof : —

TABLE

Sl. No.	Name of the formulations	Strength	Pack size	Leader Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Trimethoprim and Sulphamoxole Tabs.	Sulphamoxole 400mg. Trimethoprim 80mg.	10 × 10's	53.96
2.	Trimethoprim and Sulphamoxole Paed	Trimethoprim 40mg. Sulphamoxole 100mg.	10 × 10's	18.14
3.	Trimethoprim and Sulphamoxole Suspn.	Trimethoprim 40mg. + Sulphamoxole 200mg./per 5ml.	50 ml. bottle	6.16

[No. 9 (18)/83-Drug-II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 445] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 1983/आश्विन 12, 1905
No. 445] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1983/ASVINA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1983

का. आ. 715(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. का. 539(अ) दिनांक 22 सितम्बर, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में—

उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित मद संख्या 9 के कालम 2 के सामने "KR" अक्षर समूह के बाद "KB" अक्षर समूह जोड़े जाए ।

[फाइल सं. टी जी एम (58)/82]
गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 1983

S.O. 715(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 24 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 539 (E) dated the 22nd September, 1979, namely

In the said notification, in the Table :

against item No. 9 relating to the State of Kerala, in column 2, after the group of letters "KR', the group of letters "KB" shall be added.

[File No. TGM-58|82]
G. L. MISRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 446] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 1983/आश्विन 12, 1905
No. 446] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1983/ASVINA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

आदेश

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1983

का. आ. 716(अ)/सं. ई(सी)ओ, 1977/एएम(275) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

(1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 22वां संशोधन आदेश, 1983 की संज्ञा दी जाए ।

(2) निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में, भाग-क की अनुसूची 1 में, क्रम सं. 33(2) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाए :—

"33(3) — बांस" ।

[मिसिल सं. 6/8/82-ई. 1]

प्रकाश चन्द्र जैन, मुख्य नियंत्रक,
(आयात एवं निर्यात)

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

ORDER

New Delhi, the 4th October, 1983

S.O. 716(E)/No. E(C)O, 1977/AM(275).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twenty second Amendment Order, 1983.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Part 'A' Schedule-I, the following entry shall be added after Sl. No. 33(ii) :—

"33(iii) —Bamboo."

[F. No. 6/8/82-EI]

P. C. JAIN, Chief Controller
(Imports and Exports)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (ii)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 447] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 5, 1983/आश्विन 13, 1905
No. 447] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 5, 1983/BHADRA 13, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1983

का. आ. 717(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 (1978 का 49) की धारा 2 की उपधारा (क) के अनुसरण में, कृषि-जलवायु सम्बन्धी दशाओं को, जो विद्यमान है या जिनके विद्यमान होने की सम्भावना है, गन्ने की मात्रा का, जो पेराई के लिए उपलब्ध है या जिसके उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए,

चीनी वर्ष 1983-84 के लिए तारीख पन्द्रह नवम्बर, 1983 को "नियत दिन" के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 1-1/83-एन. एस. यू.]
एन. आर. बनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 1983

S.O. 717(E).—In pursuance of Sub-section (a) of Section 2 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (No. 49 of 1978), the Central Government hereby specifies, having regard to the agro-climatic conditions prevailing or likely to prevail, the quantity of cane available or likely to be available for crushing and other relevant factors, the fifteenth day of November, 1983, as the 'appointed day' for the sugar year 1983-84.

[No. 1-1/83-NSU]
N. R. BANERJI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 448] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 7, 1983/आश्विन 15, 1905
No. 448] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 1983/ASVINA 15, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1983

का. आ. 718(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./83 :—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 602(अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./74, तारीख 9 अक्तूबर, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति निकाय को मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबंध 9 अक्तूबर, 1974 से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 567(अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./78, तारीख 25 सितम्बर, 1978 द्वारा उक्त व्यक्ति निकाय के स्थान पर उक्त औद्योगिक उपक्रम के मुख्य अधिशासक श्री पी. एन. रामचन्द्रन को प्रतिस्थापित किया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 572 (अ)/18-कक/आई. डी. आर. ए./79, तारीख 8 अक्तूबर, 1979 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अक्तूबर, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 866(अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./80, तारीख 29 अक्तूबर, 1980 द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के उपमहाप्रबन्धक श्री के. एम. बनर्जी को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 738-18-कक/आई.डी.आर.ए./81, तारीख 6 अक्तूबर, 1981 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अप्रैल, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 263(अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 8 अप्रैल, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अक्तूबर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 719(अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 8 अक्तूबर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 जनवरी, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 8(अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 7 जनवरी, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. 282(अ)/18-कक/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 8 अप्रैल, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 8 अक्तूबर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश तीन मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18-कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त आदेश के 8 जनवरी, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2(23)/79-सी.यू.एस.]
ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 7th October, 1983

S.O. 718(E)|18AA|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 602 (E)|18AA|IDRA|74, dated the 9th October, 1974 (hereinafter referred to as the said Order) made in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government authorised a body of persons specified therein to take over the management of Messrs Motor and Machinery Manufacturers Limited, Calcutta, for a period of five years commencing from 9th October, 1974 and the said body of persons was replaced by Shri P. N. Ramachandran, Chief Executive of the said industrial undertaking by Order of the Govt. of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 567(E)/18AA/IDRA/78 dated the 25th September, 1978;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 572(E)|18AA/IDRA/79 dated the 8th October, 1979, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 8th October, 1981;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 866(E)/18AA/IDRA|80 dated the 29th October, 1980, the Central Government authorised Shri K. M. Banerjee, Deputy General Manager, Bharat Heavy Electrical Limited, Calcutta, to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 738(E)|18AA|IDRA|81, dated the 6th October, 1981, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th April, 1982;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 263(E)|18AA|IDRA|82, dated the 8th April, 1982, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th October, 1982.

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 719(E)|18AA|IDRA|82 dated the 8th October, 1982, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th January, 1983;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 8(E)|18AA|IDRA|83 dated the 7th January, 1983, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th April, 1983;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No.S.O.282(E)/18AA/IDRA|83 dated the 8th April, 1983, the duration of the said Order was further extended upto and inclusive of the 8th October, 1983;

And, whereas, the Centrao Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of three months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA read with proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 8th January, 1984.

[File No. 2(23)|79-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 449] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 8, 1983/आश्विन 16, 1905
No. 449] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 8, 1983/ASVINA 16, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1983

का० आ० 719(अ).—भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 670(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मेसर्स पशोक टी एस्टेट, डाकघर पशोक, जिला दार्जिलिंग नामक चाय एकक का प्रबन्ध, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ङ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन 10 अक्तूबर, 1981 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त चाय एकक का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 732(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 1981 और का० आ० 711(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 10 अक्तूबर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाया गया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चाय एकक का प्रबन्ध, भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के अधीन एक वर्ष की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, चाय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 का सं० 7) द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम की धारा 16घ की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 16ङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 10 अक्तूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा० सं० बी०-12012(8)/80-प्लांट-ए]

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 8th October, 1983

S.O. 719(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 670(E), dated the 11th October,

1976 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the tea unit known as M|s. Pashok Tea Estate, P.O. Pashok, District Darjeeling, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 16E of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), for a period of five years upto and inclusive of the 10th October, 1981 and the Tea Trading Corporation of India Limited, Calcutta, was authorised to take over the management of the said tea unit;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Commerce Nos. S.O. 732(E), dated the 6th October, 1981 and S.O. 711(E), dated the 4th October, 1982, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 10th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said tea unit should continue under the management of the Tea Trading Corporation of India Limited, Calcutta, for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16E read with the proviso to sub-section (2) of section 16D of the said Act as amended by the Tea (Amendment) Ordinance, 1983 (No. 7 of 1983), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 10th October, 1984.

[File No. B-12012(8)|80-PLANT-A]

का० आ० 720(अ).—भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 671(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स लुकसन टी एस्टेट, डाकघर कैरोन, जिला जलपाईगुड़ी नामक चाय एकक का प्रबन्ध, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ङ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन 10 अक्तूबर, 1981 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त चाय एकक का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 733(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 1981 और का० आ० 710(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 10 अक्तूबर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाया गया था;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चाय एकक का प्रबन्ध, भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के अधीन एक वर्ष की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, चाय (संशोधन) अध्यादेश 1983 (1983 का सं० 7) द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 16घ की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 16ङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 10 अक्तूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० बो०-12012(8)/80-प्लांट-ए]

S.O. 720(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 671(E), dated the 11th October, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the tea unit known as M|s. Looksan Tea Estate, P.O. Carron, District Jalpaiguri, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 16E of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), for a period of five years upto and inclusive of the 10th October, 1981 and the Tea Trading Corporation of India Ltd., Calcutta, was authorised to take over the management of the said tea unit;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Commerce Nos. S.O. 733(E), dated the 6th October, 1981 and S.O. 710(E), dated the 4th October, 1982, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 10th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said tea unit should continue under the management of the Tea Trading Corporation of India Ltd., Calcutta, for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16E read with the proviso to sub-section (2) of section 16D of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) as amended by the Tea (Amendment) Ordinance, 1983 (No. 7 of 1983), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 10th October, 1984.

[File No. B-12012(8)|80-PLANT-A]

का० आ० 721 (अ).—भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 672(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स वाह टुकवार टी एस्टेट, जिला दार्जिलिंग नामक चाय एकक का प्रबन्ध, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16ङ की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन 10 अक्तूबर, 1981 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और भारतीय चाय व्यापार निगम

लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त चाय एकक का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 734(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 1981 और का० आ० 709(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 10 अक्तूबर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाया गया था;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त चाय एकक का प्रबन्ध, भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के अधीन एक वर्ष की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, चाय (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 का सं० 7) द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 16घ की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 16ङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 10 अक्तूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० बी०-12012(8)/80-प्लांट-ए]
जे० के० बागची, संयुक्त सचिव

S.O. 721(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 672(E), dated the 11th October, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the tea unit known as M|s. Vah Tukvar Tea Estate, District Darjeeling, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 16E of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), for a period of five years upto and inclusive of the 10th October, 1981, and the Tea Trading Corporation of India Ltd., Calcutta, was authorised to take over the management of the said tea unit;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Commerce Nos. S.O 734(E), dated the 6th October, 1981 and S.O. 709(E), dated the 4th October, 1982, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 10th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said tea unit should continue under the management of the Tea Trading Corporation of India Ltd., Calcutta, for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 16E read with the proviso to sub-section (2) of section 16D of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), as amended by the Tea (Amendment) Ordinance, 1983 (No. 7 of 1983), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 10th October, 1984.

[File No. B-12012(8)|80-PLANT-A]
J. K. BAGCHI, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 430] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29, 1983/आश्विन 7, 1905
No. 430] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1983/ASVINA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

का० आ० 693(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83 :—भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के (समय-समय पर यथासंशोधित) आदेश सं० का० आ० 22(अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/73, तारीख 15 जनवरी, 1973 द्वारा श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कम्पनी, दोइवाला, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उपधारा (1) के अधीन 30 सितम्बर, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम, उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन 31 मार्च, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि ऊपर वर्णित आदेश 31 मार्च, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ।

[फा० सं० 2(2)/80-सी यू एस]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
ORDER

New Delhi, the 29th September, 1983

S.O. 693(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 22(E)/18AA/IDRA/73, dated the 15th January, 1973 (as amended from time to time), the management of the industrial undertaking known as Shri Janki

आर पी सी सी. सं. 223/आई एन सी एल/311-81 में प्रकाशित हुआ है, वह बदलकर "लंगपी देहंगी ग्रामीण बैंक" हो जाएगा ।

एच. बी. शिवमग्गी, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

RURAL PLANNING & CREDIT DEPARTMENT

CENTRAL OFFICE

CORRIGENDUM

Bombay, the 6th August, 1983

S.O. 722(E).—Since the name of Karbi N. C. Rural Bank, Diphu (Assam) has been changed, the name of the said Regional Rural Bank, appearing in Gazette Notification RPCC. No. 223|INCL|311-81 dated 27th January, 1982 published under S.O. No. 54(E) published in Part II Section 3(ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 27th Jannuary, 1982, shall stand changed to "Langpi Dehangi Rural Bank"

H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 451] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 11, 1983/आश्विन 19, 1905

No. 451] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 1983/ASVINA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

1983 का आदेश सं० 1

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1983

का०आ० 723 (अ).—कम्पनी विधि बोर्ड, (न्याय पीठ) नियम, 1975 के नियम 2-क और नियम 3 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10-क की उपधारा (4ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस बाबत जारी किए गए कम्पनी विधि बोर्ड के 1982 के आदेश सं० 3, तारीख 6 सितम्बर, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से 10 अक्तूबर, 1983 से अपने निम्नलिखित न्यायपीठों का गठन करता है :—

न्याय पीठ सं० 1

(1) श्री के०एस० भटनागर — अध्यक्ष
(2) श्री एच० एम० डूगर — सदस्य

न्याय पीठ सं० 2

(1) श्री के०एस० भटनागर — अध्यक्ष
(2) श्री एस० चक्रवर्ती — सदस्य

न्याय पीठ सं० 3

(1) श्री के० एस० भटनागर — अध्यक्ष
(2) श्री पी०के० मलिक — सदस्य

न्याय पीठ सं० 4

(1) श्री के०एस० भटनागर — अध्यक्ष
(2) श्री के०डी० सक्सेना — सदस्य

न्याय पीठ सं० 5

(1) श्री के० एम० भटनागर — अध्य
(2) श्री ए०आर० खरे — सदस्य

न्याय पीठ सं० 6

(1) श्री के०एम० भटनागर — अध्यक्ष
(2) श्री आर०एन० बन्सल — सदस्य

न्याय पीठ सं० 7

(1) श्री एस०एम० डूगर — सदस्य
(2) श्री एस० चक्रवर्ती — सदस्य

न्याय पीठ सं० 8

(1) श्री एम० एम० डूगर — सदस्य
(2) श्री पी० के० मलिक — सदस्य

न्याय पीठ सं० 9

(1) श्री एस० एम० डूगर — सदस्य
(2) श्री के० डी० सक्सैना — सदस्य

न्याय पीठ सं० 10

(1) श्री एस०एम० डूगर — सदस्य
(2) श्री ए० आर० खरे — सदस्य

न्याय पीठ सं० 11

(1) श्री एस० एम० डूगर — सदस्य
(2) श्री आर०एन० बन्सल — सदस्य

न्याय पीठ सं० 12

(1) श्री एस० चक्रवर्ती — सदस्य
(2) श्री पी०के० मलिक — सदस्य

न्याय पीठ सं० 13

(1) श्री एस० चक्रवर्ती — सदस्य
(2) श्री के०डी० सक्सेना — सदस्य

न्याय पीठ सं० 14

(1) श्री एस० चक्रवर्ती — सदस्य
(2) श्री ए०आर० खरे — सदस्य

न्याय पीठ सं० 15

(1) श्री एस० चक्रवर्ती — सदस्य
(2) श्री आर० एन बन्सल — सदस्य

न्याय पीठ सं० 16

(1) श्री पी० के० मलिक — सदस्य
(2) श्री के० डी० सक्सेना — सदस्य

न्याय पीठ सं० 17

(1) श्री पी० के० मलिक — सदस्य
(2) श्री ए० आर० खरे — सदस्य

न्याय पीठ सं० 18

(1) श्री पी० के० मलिक — सदस्य
(2) श्री आर०एन० बन्सल — सदस्य

न्याय पीठ सं० 19

(1) श्री के० डी० सक्सेना — सदस्य
(2) श्री ए० आर० खरे — सदस्य

न्याय पीठ सं० 20

(1) श्री के० डी० सक्सेना — सदस्य
(2) श्री आर० एन० बन्सल — सदस्य

न्याय पीठ सं० 21

(1) श्री ए० आर० खरे — सदस्य
(2) श्री आर० एन बन्सल — सदस्य

कम्पनी विधि बोर्ड और आदेश करता है कि :—

(1) यह न्याय पीठ सम्पूर्ण देश में कार्य कर रहा कम्पनियों की बाबत, कम्पनी विधि बोर्ड (न्याय पीठ) नियम, 1975 के अधीन कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष की गई सभी याचिकाओं और आवेदन पत्रों की सुनवाई कर सकती है और उनका अन्तिम रूप से निपटान कर सकती हैं।

(2) ये न्याय पीठें अपनी बैठकें ऐसे स्थानों पर कर सकती हैं जो आवश्यक समझे जायें।

[फा० सं० 2/16/83-सी०एल०-5]

MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

Department of Company Affairs

(Company Law Board)

ORDER NO. 1 OF 1983

New Delhi, the 10th October, 1983

S. O. 723 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4B) of section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with Rule 2 (e) and Rule 3 of the Company Law Board (Bench) Rules, 1975 and in super-session of the Company Law Board's Order No. 3 of 1982 dated the 6th September, 1982 issued in this behalf, the Company Law Board with the previous approval of the Central Government hereby constitutes the following Benches of the Company Law Board with effect from 10th October, 1983, namely :—

Bench No 1 :

(1) Shri K S Bhatnagar — Chairman
(2) Shri S M Dugar — Member

Bench No. 2 :

(1) Shri K S Bhatnagar — Chairman
(2) Shri S Chakravarthy — Member.

Bench No. 3 :

(1) Shri K S Bhatnagar — Chairman
(2) Shri P K Mallik — Member

Bench No. 4 :

(1) Shri K S Bhatnagar — Chairman.
(2) Shri K D Saksena — Member.

Bench No. 5 :

(1) Shri K S Bhatnagar — Chairman.
(2) Shri A R Khare — Member.

Bench No. 6 :

(1) Shri K S Bhatnagar — Chairman
(2) Shri R N Bansal — Member.

Bench No. 7 :

(1) Shri S M Dugar — Member.
(2) Shri S Chakravarthy — Member.

Bench No. 8 :

(1) Shri S M Dugar — Member.
(2) Shri P K Mallik — Member

Bench No. 9 :

(1) Shri S M Dugar — Member.
(2) Shri K D Saksena — Member.

Bench No. 10. :

(1) Shri S M Dugar — Member.
(2) Shri A R Khare — Member.

Bench No. 11 :

(1) Shri S M Dugar — Member.
(2) Shri R N Bansal — Member.

Bench No. 12 :

(1) Shri S Chakravarthy — Member
(2) Shri P K Mallik — Member.

Bench No. 13 :
(1) Shri S Chakravarthy —Member.
(2) Shri K D Saksena —Member.

Bench No 14 :
(1) Shri S Chakravarthy —Member.
(2) Shri A R Khare —Member.

Bench No. 15 :
(1) Shri S Chakravarthy —Member.
(2) Shri R N Bansal —Member.

Bench No. 16 :
(1) Shri P K Mallik —Member
(2) Shri K D Saksena —Member.

Bench No. 17 :
(1) Shri P K Mallik —Member.
(2) Shri A R Khare —Member.

Bench No. 18 :
(1) Shri P K Mallik —Member
(2) Shri R N Bansal —Member.

Bench No. 19 :
(1) Shri K D Saksena —Member
(2) Shri A R Khare —Member.

Bench No. 20 :
(1) Shri K D Saksena —Member.
(2) Shri R N Bansal —Member.

Bench No. 21 :
(1) Shri A R Khare —Member.
(2) Shri R N Bansal —Member.

The Company Law Board further orders that :

(1) The Benches may hear and dispose of finally all petitions and applications made in respect of companies functioning throughout the country before the Company Law Board under the Company Law Board (Bench) Rules, 1975.

(2) The Benches may hold their sittings at such places as may be deemed necessary.

[File No. 2/16/83-C. L. V]

1983 का आदेश सं० 2

का०आ० 724 (अ).—कम्पनी विधि बोर्ड, कम्पनी विधि बोर्ड (न्यायपीठ) नियम, 1975 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बाबत जारी किए गए, 1982 के आदेश सं० 4 तारीख 6 सितम्बर 1982 को अधिक्रान्त करते हुए, आदेश देता है कि जबकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (18-क) के स्पष्टीकरण के अधीन याचिकाएं और धारा 17, 18 और 19 के अन्तर्गत याचिकाओं की कार्यवाही कम्पनी विधि बोर्ड, 10 अक्तूबर, 1983 के आदेश सं० 1 के अनुसार गठित दो सदस्यीय न्यायपीठों के द्वारा की जाएगी, अन्य सभी मामलों से सम्बन्धित याचिकाओं पर, जिनके अन्तर्गत निदेशनों के जारी किए जाने और अन्तर्कालीन मामले भी हैं, कार्यवाही इन न्यायपीठों के किसी भी एकल सदस्य द्वारा की जाएगी।

[फा० सं० 2/16/83-सी०एल०-5]

के० एस० भटनागर, अध्यक्ष, कम्पनी विधि बोर्ड

ORDER NO. 2 OF 1983

S. O. 724 (E).—In exercise of the powers conferred by Rule 4 of the Company Law Board (Bench) Rules, 1975 and in supersession of the Company Law Board's order No. 4 of 1982 dated the 6th September, 1982 issued in this behalf, the Company Law Board hereby directs that while petitions under Explanation to clause (18A) of Section 2 and petitions under Sections 17, 18 and 19 of the Companies Act, 1956 shall be dealt with by the Two Members Benches of the Company Law Board Constituted vide Company Law Board's Order No. 1 of 1983 dated the 10th October, 1983, petitions in relation to all other matters including issuing of directions and inter-locutory matters shall be dealt with by any Member of these Benches sitting singly.

[File No. 2/16/83-C. L. V]

K. S. BHATNAGAR, Chairman, Company Law Board

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 452] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 11, 1983/आश्विन 19, 1905
No. 452] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 1983/ASVINA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1983

का. आ. 725(अ)/18कक/आईडीआरए/83.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के का. आ. 790(अ), तारीख 9 नवम्बर, 1982 द्वारा यथा संशोधित आदेश सं. 734(अ)/18कक/आई डी आर ए/82, तारीख 12 अक्तूबर, 1982 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स कान्ति काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सुरेन्द्र नगर, गुजरात नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन 11 अप्रैल, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और गुजरात राज्य वस्त्र निगम को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 285(अ)/18कक/आई डी आर ए/83, तारीख 11 अप्रैल, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 11 अक्तूबर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध गुजरात राज्य वस्त्र निगम के अधीन 11 अक्तूबर, 1984 तक की, जिसमें, यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की अवधि के लिए बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 11 अक्तूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 3(1)/82-सी ए एम]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 11th October, 1983

S.O. 725(E)|18AA|IDRA|83.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 734 (E)|18AA|IDRA|82, dated the 12th October, 1982 as amended vide S.O. 790

(E), dated the 9th November, 1982 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole undertaking known as Messrs Kanti Cotton Mills Private Limited, Surendranagar, Gujarat, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of 6 months upto and inclusive of the 11th April, 1983 and the Gujarat State Textile Corporation was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 285(E)|18AA|IDRA|83, dated the 11th April, 1983, the period of the said order was extended for a further period of six months upto and inclusive of 11th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the manangement of the Gujarat State Textile Corporation for a period of six months upto and inclusive of the 11th April, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 11th April, 1984.

[File No.3 (1)|82-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 453] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 11, 1983/आश्विन 19, 1905
No. 453] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 1983/ASVINA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1983

का. आ. 726(अ)/18-क/आई.डी.आर.ए./83 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 266(अ)/18-क/आई. डी. आर. ए./78, तारीख 13 अप्रैल, 1978, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स इण्डेक-टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण पांच वर्ष की अवधि के लिए, 12 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, किया गया था ;

और भारत सरकार के आदेश सं. का. आ. 289(अ)/18-क/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 12 अप्रैल, 1983 द्वारा उक्त आदेश को 12 अक्तूबर, 1983 तक की और अवधि के लिए जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, विस्तारित किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश की अवधि को तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए, 12 जनवरी, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बना रहना चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 12 जनवरी, 1984 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2(20)/80सी. यू. एम.]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 11th October, 1983

S.O. 726(E)|18A|IDRA|83.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 266(E)|18A|IDRA|78, dated the 13th April, 1978 (hereinafter referred to as the said order), the management of the industrial

undertaking known as Messrs Inchek Tyres Limited, Calcutta has been taken over for a period of five years upto and inclusive of the 12th April, 1983;

And, whereas by the order of the Government of India No. 289 (E)|18A|IDRA|83, dated the 12th April, 1983, the said order was extended for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1983;

And, whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a further period of three months upto and inclusive of 12th January, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 12th January, 1984.

[File No. 2(20)|80-CUS.]

का. आ. 727(अ)/18-चख/आई. डी. आर. ए./83 :—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 411(अ)/18-चख/आई. डी. आर. ए./78, तारीख 27 जून, 1978, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हैं), का प्रवर्तन जिनका मैसर्स इन्चेक टायर्स लि. कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम की स्वामित्व कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि को 12 अक्तूबर, 1983 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, और विस्तारित किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 12 जनवरी, 1984 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए बढ़ाई जानी चाहिए ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को 12 जनवरी, 1984 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[फा. सं. 2(20)/80-सी. यू. एस.]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

S.O. 727(E)|18-FB|IDRA|83.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 411 (E)|18FB|IDRA|78, dated the 27th June, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by cluase (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. Inchek Tyres Limited, Calcutta, or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

And, whereas, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 12th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order be extended for a further period upto and inclusive of 12th January, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said order for a further period upto and inclusive of the 12th January, 1984.

[F. No. 2 (20)|80-CUS]

A.P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 454] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 11, 1983/आश्विन 19, 1905
No. 454] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 1983/ASVINA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1983

का. आ. 728(अ)/18कक/आई डी आर ए/83.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 267(अ)/18कक/आई डी आर ए/78, तारीख 13 अप्रैल, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोन्नगर, जिला हुगली, पश्चिमी बंगाल नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन 12 अप्रैल, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 291(अ)/18कक/आईडीआरए/83, तारीख 12 अप्रैल, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 12 अक्तूबर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था ;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, कलकत्ता के अधीन 12 अक्तूबर, 1984 तक की, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 12 अक्तूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 3(3)/80-सी यू एस.]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 11th October, 1983

S.O. 728(E)|18AA|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 267 (E)|18AA|IDRA|78, dated the 13th April, 1978 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole of the Industrial Undertaking known as Messrs Sri Durga Cotton Spinning and Weaving Mills Limited, Konnagar, District Hooghly, West Bengal, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years upto and inclusive of the 12th April, 1983, and the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 291 (E)|18AA|IDRA|83, dated the 12th April, 1983, the period of the said order was extended for a further period of six months upto and inclusive of the 12th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, for a further period of one year upto and inclusive of the 12th October, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1984.

[File No. 3 (3)|80-CUS]

का. आ. 729 (अ)/18चस/आई डी आर ए/83 :—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 506(अ)/18 च स/आई डी आर ए/78, तारीख 18 अगस्त, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च स की उपधारा (1) के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, परिनिर्धारणों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं), जिनका मैसर्स श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोन्नगर, जिला हुगली, पश्चिमी बंगाल नामक उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हैं, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पहले उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि जनसाधारण के हित में यह आवश्यक है कि उक्त आदेश का प्रभाव पूर्वोक्त एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी रहे, 12 अक्तूबर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे जारी रहने के लिए, समय-समय पर, घोषणा जारी की थी [देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास के आदेश सं. का. आ. 455(अ)/18 चस/आई डी आर ए/79, तारीख 9 अगस्त, 1979, का. आ. 628 (अ)/18चस/आई डी आर ए/80, का. आ. 651(अ)/18 चस/आई डी आर ए/81 तारीख 14 अगस्त, 1981, का. आ. 600 (अ)/18 चस/आई डी आर ए/82, तारीख 17 अगस्त, 1982 और का. आ. 292/18 चस/आई डी आर ए/83, तारीख 12 अप्रैल, 1983] ;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को, 12 अक्तूबर, 1984 तक की और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च स की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को, 12 अक्तूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[फा. सं. 3 (3)/80-सी यू एस]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

S.O. 729(E)|18FB|IDRA|83.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 506 (E)|18FB|IDRA|78, dated the 18th August, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertakings, known as Messrs Sri Durga Cotton Spinning and Weaving Mills Limited, Konnagar, District Hooghly, West Bengal is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all rights, privileges, obligations and liabilities, accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is necessary in the interest of the general public that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of one year aforesaid, had declared from time to time, for such continuance, for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1983 (vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development Nos. S.O. 455 (E)|18FB|IDRA|79, dated the 9th August, 1979, S.O. 628 (E)|18FB|IDRA|80, dated the 18th August, 1980, S.O. 651(E)|18FB|IDRA|81, dated the 14th August, 1981, S.O. 600 (E)|18FB|IDRA|82, dated the 17th August, 1982 and S.O. 292|18FB| IDRA|83, dated the 12th April, 1983;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 12th October, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 12th October, 1984.

[File No. 3 (3)|80-CUS]

A.P. SARWAN, Joint, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 455] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 11, 1983/ आश्विन 19, 1905
No. 455] NEW DELHI, TUESDAY, OCT. 11, 1983/ASVINA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1983

सं. 288/83-सीमा-शुल्क

का. आ. 730(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्-कालीन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की अधिसूचना सं. 117-सीमा-शुल्क, तारीख 9 सितम्बर, 1950 को अधिक्रांत करते हुए, गुजरात राज्य के जिला भावनगर में तलाजा पत्तन को, आयातित माल के उतारने के लिए और नियंत्रित माल के

या ऐसे माल के किसी वर्ग के लादने के लिए सीमा-शुल्क पत्तन घोषित करती है।

[फा. सं. 574/14/82-एल.सी. 2]
ए.के. छाबड़ा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 1983

No. 288|83-CUSTOMS

S.O. 730(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the erstwhile Central Board of Revenue No. 117-Customs, dated the 9th September, 1950, the Central Government hereby declares the port of Talaja in the District of Bhavnagar in the State of Gujarat to be a customs port for the unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.

[F. No. 574|14|82-L.C. II]
A. K. CHHABRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 456] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 12, 1983/आश्विन 20, 1905
No. 456] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 1983/ASVINA 20, 1905.

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1983

का. आ. 731(अ) :—केन्द्रीय सरकार की, असम राज्य के कामरूप जिले में स्थित बड़ुद्वार टी एस्टेट नामक चाय यूनिट की बाबत, जो मैसर्स बड़ुद्वार टी एण्ड टिम्बर कम्पनी लिमिटेड के स्वामित्व के अधीन है, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 19, सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कलकत्ता-23 में है, यह राय है कि—

(क) उक्त चाय यूनिट की, वर्ष 1978-1982 के पांच वर्षों में से कम से कम तीन वर्ष में, औसत पैदावार जिला औसत पैदावार के पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक कम रही है ; और

(ख) उक्त चाय यूनिट का स्वामित्व रखने वाले व्यक्तियों ने अभ्यासतः कर्मकारों को भविष्य निधि शोध्यों और अन्य शोध्यों के संदाय में व्यतिक्रम किया है जिन्हें वे प्रवृत्त विधियों के अधीन संदाय करने के लिए बाध्यताधीन हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त चाय यूनिट के क्रियाकलापों का विस्तृत और पूरा अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, व्यक्तियों का निकाय नियुक्त करती है जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगा :—

(1) चाय विकास निदेशक ;
चाय बोर्ड, कलकत्ता ;

(2) वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी,
चाय बोर्ड, कलकत्ता ;

(3) सचिव, असम सरकार,
उद्योग विभाग,
दिसपुर या उसका नाम निर्देशिति ;

(4) अधीक्षक, खलांग चाय बागान,
8, क्लाइव रो, कलकत्ता ; और

(5) पार्देशिक निदेशक,
कम्पनी विधि बोर्ड,
कलकत्ता या उसका नामनिर्देशिति ।

उक्त व्यक्तियों का निकाय, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. बी-12012(3)/79-प्लांट-ए]
के. सांडिल्य, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

(Deptt. of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 12th October, 1983

S.O. 731(E).—Whereas the Central Government is of opinion in respect of the tea unit known as Barduar Tea Estate, situated in the District of Kamrup in Assam State owned by M|s. Barduar Tea and Timber Co. Ltd., having its Registered Office at 19, Circular Garden Reach Road, Calcutta-23, that ;

(i) the average yield of the said tea unit for at least three of the five years 1978-1982 has been lower than the district average yield by twentyfive per cent or more ;

(ii) the persons owning the said tea unit have habitually made default in the payment of provident fund dues of workers and other dues as they are under an obligation to pay under laws in force ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby appoints for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of the said tea unit, a body of persons consisting of ;

(i) The Director of Tea Development, Tea Board Calcutta.

(ii) The Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board, Calcutta.

(iii) The Secretary to the Government of Assam, Industries Department, Dispur or his nominee,

(iv) The Superintendent, Khwang Tea Garden, 8, Clive Row, Calcutta, and

(v) The Regional Director, Company Law Board, Calcutta or his nominee.

The said body of persons shall submit its report to the Central Government within a period of 90 days from the date of publication of this order in the Official Gazette.

[Issued from File No. B-12012(3)|79-Plant A]
K. SANDILYA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 457] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 12, 1983/आश्विन 20, 1905
No. 457] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 1983/ASVINA 20, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

पटसन आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

कलकत्ता, 12 अक्टूबर 1983

का. आ. 732(अ).—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1961, की धारा 8 द्वारा प्रदान की गई और सरकार की अधिसूचना के साथ जो कि पिछले वाणिज्य मंत्रालय के (विदेश व्यापार विभाग) संख्या का.आ. 517 (ई) दिनांक 25 सितम्बर, 1973 को पढ़ी गई थी कि शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. दास, पटसन उपायुक्त कलकत्ता एतद्द्वारा 648.32 रु. मी वर्ग अधिकतम बहिर्निर्माणी मूल्य निश्चित करता हूं । जैसा कि बी. टबीलस (यहू पटसन वस्त्र की एक

किस्म है) के $44\frac{1}{4}'' \times 26\frac{1}{2}''$ साम्य वजन सिला किनारा $44'' \times 26\frac{1}{2}''$ सिला के आकार का $2\frac{1}{4}$ पौण्ड प्रति थैला, 6×8, 3-नीले, सूखे सिले तथा अन्य मामलों में वर्तमान भारतीय मानक संस्थान विनिर्देशन [संख्या-आई.एस.: 2566-1965 अद्यतन संशोधित] के सदृश्य होना, जो कि अक्टूबर, 1983 में खरीदे और बेचे जा सकते हैं ।

2. इस अधिसूचना के अधीन निश्चित किया गया मूल्य उत्पादन शुल्क एवं बिक्री कर छोड़ कर होना । जो क्रेता द्वारा असल पर बहिर्निर्माणी मूल्य के अतिरिक्त अदा किया जाएगा ।

[फा. न. 8/2/83-जूट]

डी. आर. दास, पटसन उपायुक्त

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

Office of the Jute Commissioner

NOTIFICATION

Calcutta, the 12th October, 1983

S.O. 732(E).—In exercise of the powers conf Clause 8 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1901, read with the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce (Department of Foreign Trade) No. S.O. 517(E) dated the 25th September, 1973, I, D. R. Das, Deputy Jute Commissioner, Calcutta hereby fix Rs. 648.32 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of jute textiles) of the size 44-1|4″ x 26″-1|2″ HD. W.I.P. 44″ x 26-1|2″ Hd. 2-1|4 lbs. per bag, 6 x 8, 3 blue, dry sewn and conforming in all other respects to the ISI specification (No. IS : 2566-1965 as amended up-to-date) shall be purchased or sold during the month of October, 1983.

2. The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of excise and sales tax which shall be paid in addition to exfactory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8|2|83-Jute]

D. R. DAS, Dy. Jute Commissioner.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

B 8.1283

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 458] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 1983/आश्विन 21, 1905
No. 458] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 1983/ASVINA 21, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

शेयर बाजार प्रभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1983

का० आ० 733(अ). यत केन्द्रीय सरकार को दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली, से उसकी उप-विधियों में संशोधन करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 16 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली की उप-विधियों में नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधन करती है, और केन्द्रीय सरकार उस धारा की उपधारा (4) के परन्तुक के अनुसरण में व्यापार के हित में, और ऋण पत्रों के स्वस्थ बाजार के अविलम्ब विकास के संवर्धन की दृष्टि से उप-विधियों के उक्त संशोधन को पहले प्रकाशित करने की शर्त से एतद्द्वारा अभिमुक्ति देती है ।

अनुसूची

दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली की उपविधियों में:-

(1) उप-विधि 120 के खण्ड (क) के शीर्षक में, पहली पंक्ति में आने वाले शब्दों "और ऋण पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा ।

(2) उप-विधि 120 के खण्ड (क) में पहली और दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्दों "और वाहक या रजिस्ट्रीकृत ऋण-पत्रों (एण्ड बेयरर और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा ।

(3) उप-विधि 120 के खण्ड (क) का परन्तुक हटा दिया जाएगा ।

(4) उप-विधि 121 के शीर्षक में, शब्दों "और वाहक प्रतिभूतियां (एण्ड बेयरर सिक्योरिटीज)" को हटा दिया जाएगा।

(5) उप-विधि 121 में पहली पंक्ति में आने वाले शब्दों "और वाहक प्रतिभूतियां (एण्ड बेयरर सिक्योरिटीज)" को हटा दिया जाएगा ।

(6) उप-विधि 122 में दूसरी तथा चौथी पंक्ति में आने वाले शब्दों "और वाहक प्रतिभूतियां (एण्ड बेयरर सिक्योरिटीज)" को हटा दिया जाएगा ।

(7) उप-विधि 123 के खण्ड (क) में दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा ।

(8) उप विधि 123 के खण्ड (ख) में पांचवीं पंक्ति में आने वाले शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा ।

(9) उप-विधि 126 का वर्तमान खण्ड (ख) उस उप-विधि के खण्ड (घ) के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा तथा उक्त उप-विधि 126 के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नए खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"ऋण-पत्रों या बंध-पत्रों की ब्याज सहित क्रय कीमत से कटौती

(ख) ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों के ब्याज सहित सौदे के बारे में क्रेता क्रय कीमत में से सकल आधार पर ब्याज की कटौती करेगा बशर्ते कि विक्रेता द्वारा उसके ऋण-पत्रों की सुपुर्दगी अभिलेख की तारीख

से या ब्याज की अदायगी के प्रयोजन के लिए ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों की अन्तरण पुस्तकों को बन्द करने की तारीख से पांच से कम दिन पहले दे दी गई हों।

(ग) ऋण-पत्रों/बंध पत्रों के ऐसे सौदों के बारे में, जो ब्याज सहित आधार पर किए गए हों लेकिन क्रेता को समय पर ऋण-पत्रों/बंध-पत्रों की सुपुर्दगी करने में विक्रेता की असमर्थता के कारण ऋण-पत्र/बंध-पत्र बाजार में ब्याज रहित हो जाने के बाद भुगताए गए हों, क्रेता क्रय कीमत में से सकल आधार पर ब्याज की कटौती करेगा।"

(10) उप-विधि 129 के खण्ड (क) में दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।

(11) उप-विधि 129 के खण्ड (ख) में, चौथी और पाँचवीं पंक्ति में आने वाले शब्दों "और ऋण-पत्रों (एण्ड डिबेंचर्स)" को हटा दिया जाएगा।

[एफ संख्या 2/10/एस० ई०/82]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Stock Exchange Division

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th October, 1983

S.O. 733(E).—Whereas the Central Government has received a request in writing from the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi, that the bye-laws made by it may be amended.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the amendments to the bye-laws of the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi, specified in the Schedule below, and in pursuance of the proviso to sub-section (4) of that section, the Central Government, in the interest of the trade, and with a view to promoting the development of a healthy market in debentures without delay, hereby dispenses with the condition of previous publication of the said amendments to the bye-laws.

SCHEDULE

In the bye-laws of the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi,—

(1) in the heading of clause (a) of Bye-law 120, the words "and debentures" appearing in line 1, shall be deleted.

(2) in clause (a) of Bye-law 120, the words "and bearer or registered debentures" appearing in lines 1 and 2, shall be deleted.

(3) the proviso to clause (a) of Bye-law 120, shall be deleted.

(4) in the heading of Bye-law 121, the words "and Bearer Securities" shall be deleted.

(5) in Bye-law 121, the words "and bearer securities" appearing in line 1, shall be deleted.

(6) in Bye-law 122, the words "and bearer securities" appearing in lines 2 and 4, shall be deleted.

(7) in clause (a) of Bye-law 123, the words "and debentures" appearing in line 2 shall be deleted.

(8) in clause (b) of Bye-law 123, the words "and debentures" appearing in line 5 shall be deleted.

(9) the existing clause (b) of Bye-law 126, shall be reclassified as clause (d) of that Bye-law and after clause (a) of the said Bye-law 126, the following new clauses shall be inserted, namely :—

"Deduction from Cum-interest Purchase Price of Debentures or Bonds.

(b) in respect of cum-interest transaction in debentures|bonds the buyer shall deduct from the purchase price the interest on gross basis provided the securities are delivered to him by the seller less than five days before the record date or the date of closure of the Transfer Books of the debentures|bonds for the purpose of payment of interest ;

(c) In respect of transaction in debentures|bonds entered into on a 'cum-interest-basis but settled after the debentures|bonds become ex-interest in the market due to the inability of the seller to deliver to the buyer the debentures|bonds in time, the buyer shall deduct from the purchase price the interest on a gross basis."

(10) in clause (a) of Bye-law 129, the words "and debentures" appearing in line 2, shall be deleted.

(11) in clause (b) of Bye-law 129, the words "and debentures" appearing in lines 4 and 5, shall be deleted.

[F. No. 2|10|SE|82]

का० आ० 734(अ)—यतः केन्द्रीय सरकार को दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली की ओर से इस आशय का एक लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ है, कि उसके द्वारा बनाई गई उप-विधियों में संशोधन कर दिया जाए।

अतः अब प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि० नई दिल्ली की उप-विधियों में, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधन करती है और उस धारा की उपधारा (4) के परन्तुक के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार व्यापार के हित में तथा विनिर्दिष्ट शेयरों के संबंध में किए गए संविदाओं के अविलम्ब अनुपालन के लिए संविदा देने के निमित्त, एतद्द्वारा, उप-विधियों में उक्त संशोधनों में पूर्व प्रकाशन की शर्त से भी अभियुक्ति प्रदान करती है।

अनुसूची

दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि., नई दिल्ली की उप-विधियों में—

(1) उप-विधि 18 में, वर्तमान खण्ड (2) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:—

"किन्तु यह व्यवस्था भी गई है कि ऐसे शेयरों के मामले में जिनकी शासी बोर्ड द्वारा "विनिर्दिष्ट शेयर" अभिहित किया गया है, सुपुर्दगी तथा अदायगी की अवधियां शासी बोर्ड द्वारा प्रत्येक मामले में 14 दिन और आगे तक इस तरह से बढ़ाई तथा स्थगित की जा सकेंगी कि कुल मिलाकर यह अवधि संविदा की तारीख से 90 दिन से ज्यादा की न हो जाए।"

(2) उप-विधि "52" के बाद, एक नई उप-विधि "52क" जोड़ दी जाएगी—

"विनिर्दिष्ट शेयरों में सौदे"

52क जब तक शासी बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया जाए "विनिर्दिष्ट शेयरों" में निम्नलिखित रीति से सौदे पूरे किए जाएंगे ।

(क) समस्त सौदों का निपटान 14 दिनों के बाद, जिसे इसमें इसके पश्चात् "निपटान अवधि" कहा गया है सुपुर्दगी तथा अदायगी के द्वारा अथवा उस रीति से किया जाएगा जिसका निर्धारण शासी बोर्ड द्वारा उपर्युक्त रीति के अतिरिक्त अथवा उसमें संशोधन करते हुए किया जाए ।

(ख) शासी बोर्ड प्रत्येक निपटान अवधि के संबंध में अग्रिम आधार पर प्रथम तथा अन्तिम व्यापार दिवस निश्चित करेगा ।

(ग) सौदे डाजिर सुपुर्दगी अथवा दस्ती सुपुर्दगी अथवा विशेष सुपुर्दगी अथवा व्यवस्थापन के लिए किए जा सकेंगे किन्तु सौदा करते समय जब तक अन्यथा अनुबन्धित न किया जाए तब तक समस्त सौदों को तत्कालिक व्यवस्थापन के लिए किए सौदे माना जाएगा ।

(घ) निर्धारित व्यापारिक एककों अथवा उसके गुणितों से भिन्न एककों के सौदों को उप-विधि 48 (2) में यथा परिभाषित व्यवस्था के अनुसार दस्ती सुपुर्दगी के सौदों के रूप में माना जाएगा ।

(ङ) जो सौदे चालू तथा अनुवर्ती निपटान अवधियों के आगे तक की अवधियों के लिए किए गए होंगे वे शून्य सौदे माने जाएंगे ।

(च) एक निपटान अवधि से दूसरी निपटान अवधि में अग्रेषित सौदे कार्यकारी निदेशक द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में सचिव द्वारा किसी भी प्रतिभूति के लिए निश्चित किए गए फरक मूल्य पर किए गए सौदे माने जाएंगे ।

(छ) निपटान अवधि के दौरान किए गए सौदों को क्रय अथवा विक्रय के द्वारा वंचित किया जा सकेगा अथवा अगली निपटान अवधि में आगे तक ले आया जा सकेगा । अन्य समस्त सौदे जो बकाया रहे उनको इस प्रयोजन के लिए निश्चित दिनों पर सुपुर्दगी तथा अदायगी द्वारा पूरा करना आवश्यक होगा ।

(ज) इन उप-विधियों और विनियमों के समस्त उपबन्ध जो इस समय समाशोधित प्रतिभूतियों के सौदों के निपटारे पर लागू है और जो उपर्युक्त व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है वे "विनिर्दिष्ट शेयरों" में सपन्न सौदों के निपटारे की व्यवस्था पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(3) उप-विधि 72 के खण्ड (ग) के बाद एक नया खण्ड (घ) जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) यदि शासी बोर्ड की राय में किसी प्रतिभूति में उपयुक्त विनिर्दिष्ट किस्म की कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो वह एक विशेष संकल्प के द्वारा विक्रेता द्वारा क्रेता को दिए जाने वाले विलम्ब छूट प्रभारों का विनियमन कर सकेगा ।"

(4) उप-विधि 355 के खण्ड (1) में "एक्सचेंज का (आफ दी एक्सचेंज)" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात्—

"अथवा जिसमें दलाल ने या तो स्वयं अदायगी न की हो, या किसी भी प्रतिभूति में सपन्न सौदों के संबंध में देय मार्जिन में अपवंचन के मामले में व्यक्तिगत रूप से हामीनामा जोड़ दिया हो।"

[एफ. संख्या 2/7/एस. ई./83]

नीरोश सेनगुप्त, संयुक्त सचिव.

S.O. 734 (E).—Whereas the Central Government has received a request in writing from the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi that the bye-laws made by it may be amended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the amendments to the bye-laws of the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi, specified in the Schedule below, and in pursuance of the proviso to sub-section (4) of that section the Central Government, in the interest of the trade, and to facilitate performance of contracts in respect of specified shares without delay hereby dispenses with the condition of previous publication of the said amendements to the bye-laws.

SCHEDULE

In the bye-laws of the Delhi Stock Exchange Association Ltd., New Delhi,—

(1) in Bye-law 48, at the end of the existing clause (ii) the following proviso shall be added, namely,—

"Provided however that in the case of such shares as may be designated by the Governing Board as "specified shares", delivery and payment may be extended or postponded by the Governing Board by further periods of 14 days each, so that the overall period does not exceed 90 days from the date of the contract."

(2) after Bye-law 52, a new bye-law 52A shall be added, namely,—

"Bargains in specified shares

52A. Uness otherwise determined by the Governing Board, bargains in "specified shares" will be prformed in the following manner:

(a) All bargains shall be settled every fourteen days hereinafter called a "Settlement period" by delivery and payment or as the Governing Board may from time to time prescribe in addition thereto or in modification thereof.

(b) The Governing Board shall fix in advance the first and last business day for each settlement period.

(c) The bargains may be for spot delivery or for hand delivery or for special delivery or for the settlement but unless otherwise stipulated when entering into the bargain, all bargains shall be deemed to be for the current settlemnt.

(d) Bargains in other than the prescribed trading unit or multiples thereof shall deemed to be for hand delivery as defined in Bye-law 48 (ii).

(e) Bargains made for a period beyond the current and ensuing settlement periods shall be void.

(f) Bargains carried over from one settlement to another shall be at the making up price fixed for any security by the Executive Director or in his absence by the Secretary.

(g) Bargains entered into during the settlement period may be closed by purchase or sale or carried over to the next settlement period. All other bargains which remain outstanding must be performed by delivery and payment on the days fixed for the purpose.

(h) All the provisions in these bye-laws regulations which are at present applicable to the settlement of bargains in cleared securities and which are not in conflict with the above will apply mutatis mutandis to the settlement of bargains in "specified shares".

(3) after clause (c) of Bye-law 72, a new clause (d) shall be added, namely :—

(d) If in the opinion of the Governing Board an emergency of the type referred to above has arisen in any security it may be a special resolution regulate the backwardation charges payable to the buyer by the seller".

(4) in clause (i) of bye-law 335 after the words "of the Exchange", the following words, shall be added, namely,—

"or in which the claimant has either not paid himself or colluded with the defaulter in the evasion of margin payable on bargains in any security".

[F. No.2|7|SE|83]

N.K. SENGUPTA, Joint Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 459] नई दिल्ली, रविवार, अक्तूबर 16, 1983/आश्विन 24, 1905
No. 459] NEW DELHI, SUNDAY, OCTOBER 16, 1983/ASHVINA 24, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1983

का० आ० 735 (अ).— प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के अनुरोध पर 16 अक्तूबर, 1983 से महाराष्ट्र राज्य में अकोला ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ० 1-(7)/83 आर०आर० बी०(I)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 15th October, 1983

S.O. 735(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government, on being requested so to do by Central Bank of India, establishes, with effect from the 16th October, 1983 a Regional Rural Bank in the State of Maharashtra under the name of Akola Gramin Bank which shall operate within the local limits of the District of Akola in the State of Maharashtra.

[No. F. 1-(7)|83-RRB(I)]

का० आ० 736 (अ):—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा अकोला ग्रामीण बैंक के प्रायोजिक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से परामर्श करके, अकोला को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर अकोला ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ० 1-(7)/83-आर० आर बी० (II)]

S.O. 736(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India by which Akola Gramin Bank has been sponsored, specifies Akola as the place where Akola Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-7/83-R R B (II)]

का० आ० 737 (अ) : — भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (III) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० एफ० 1-7/83 आर० आर० बी० (III)]

S.O. 737(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Akola Gramin Bank, Akola being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-7/83-RRB(III)]

का० आ० 738 (अ) :— प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री आर० आर० फड़तारे को अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 16-10-1983 से प्रारम्भ होकर 30-10-1986 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री आर० आर० फड़तारे अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एफ 1-7/83-आर० आर० बी० (IV)]

अशोक चन्द्र, संयुक्त सचिव

S.O. 738(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri R. R. Phadtare as Chairman of the Akola Gramin, Bank Akola and specifies the period commencing on the 16-10-1983 and ending with the 30-10-1986 as the period for which the said Shri R. R. Phadtare shall hold office as such Chairman.

[No. 1-7/83-RRB(IV)]
ASHOK CHANDRA, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

(ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष)

बम्बई, 16 अक्तूबर, 1983

का० आ० 739 (अ):— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की, उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात्:-

"अकोला ग्रामीण बैंक अकोला, महाराष्ट्र"

[आर० पी० सी० डी० सं० 268/आई०एन०सी०एल०/311-83]

एच० बी० शिवमग्गी, कार्यकारी निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning And Credit Department)

Bombay, the 16th October, 1983

S.O. 739(E).—In pursuance of clause (a) sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :

"Akola Gramin Bank, Akola (Maharashtra)".

[RPCD No. 268/INCL/311-83]
H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 1983/आश्विन 25, 1905
No. 460] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 1983/ASVINA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और सिविल पूर्ति मंत्रालय

(सिविल पूर्ति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1983

का. आ. 740(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977* का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1983 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977 में,—

(1) पैरा 2 में, खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) "जन संख्या" से 1981 की जनगणना में अवधारित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है,

(2) तीसरे परन्तुक की सारणी के पैरा 4 के उप-पैरा (1) "दालों के उत्पादकों" और "खाने योग्य तेलों" के उत्पादकों के सामने स्तम्भ 2(क) और 3(क) में "31 अक्तूबर, 1977" अंकों और शब्दों के साथ के स्थान पर "31 अक्तूबर, 1982" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 24(9)/81-ई.सी.आर.]

बी. के. सिंह, संयुक्त सचिव

*निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :—

का. आ. 64 (अ) 4-2-78

400 (अ) 26-6-78

536 (अ) 20-9-79

10 (अ) 7-1-82 ।

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

ORDER

New Delhi, the 17th October, 1983

S.O. 740(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments in the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977*, namely :—

1. (1) This Order may be called the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) (Amendment) Order, 1983.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Pulses, Edible Oilseeds and Edible Oils (Storage Control) Order, 1977—

(i) In paragraph 2, for Clause (h), the following shall be substituted, namely :—

'(h) "population" means population, as determined in the 1981 Census;'

(ii) in paragraph 4, in sub-paragraph (1), in the Table to the third proviso, against "Producer of pulses" and "Producer of edible oils," in columns 2(a) and 3(a), for the figures and words "31st day of October, 1977," the words and figures "31st day of October, 1982" shall be substituted.

[F. No. 24(9)|81-ECR]

D. K. SINGH, Jt. Secy.

*Amended vide S.O. No. 64(E) dt. 4-2-78,

400 (E) dt. 26-6-78,

536 (E) dt. 20-9-79,

10 (E) dt. 7-1-82.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 461] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 1983/आश्विन 25, 1905
[No. 461] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 1983/ASVINA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1983

का. आ. 741(अ).—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक मण्डल की सिफारिश पर उक्त निगम

द्वारा 24 अक्तूबर, 1983 को जारी किये जाने वाले और 24 अक्तूबर, 2000 को परिपक्व होने वाले बाण्डों पर दी जाने वाली ब्याज की दर एतद्द्वारा 8.75 प्रतिशत (पौने नौ प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित करती है ।

[संख्या 2(20) आई. एफ.-1/83]
अशोक कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 1983

S.O. 741(E).—In pursuance of sub-section (2) of Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government on the recommendation of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, hereby fixes 8.75 per cent (Eight & three quarter per cent) per annum as the rate of interest payable on the bonds to be issued by the said Corporation on 24th October, 1983 and maturing on 24th October, 2000.

[No. 2(20)|IF. I|83]
ASHOK KUMAR, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 462] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 1983/आश्विन 25, 1905
No. 462] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 1983/ASVINA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1983

का. आ. 742 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 17 (4 ख ख) (ख) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा अक्तूबर, 1983 को जारी किए गए तथा अप्रैल, 1985 में परिपक्वता वाले 11.15 करोड़ रुपए के

अंकित मूल्य के बाण्डों के संबंध में, एतद्द्वारा, मूलधन की वापसी तथा उस पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से ब्याज की अदायगी की गारंटी करती है, किन्तु शर्त यह है कि यह गारंटी, बाण्डों के जारी हो जाने की तारीख से 24 महीने की अवधि के वास्ते प्रभावी रहेगी ।

[संख्या 3(19)-आई. एफ.-1/82]

अशोक कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 1983

S.O. 742(E).—The Central Government hereby guarantees the repayment of the principal and payment of interest at the rate of 10 per cent (ten per cent) per annum in respect of bonds of the face value of Rs. 11.15 crores to be issued by the Industrial Credit & Investment Corporation of India Ltd. in October, 1983 and maturing April, 1985 for the purpose of borrowing from Reserve Bank of India in terms of Section 17(4BB)(b) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) provided that the guarantee will remain in force for a period of 24 months from the date of issue of the bonds.

[No. 3(19)IF.I/82]

ASHOK KUMAR. Director.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 463] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 1983/आश्विन 25, 1905
No. 463] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 1983/ASVINA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं. 31/83

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1983

का. आ. 743 (अ).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस सं. 1/83 दिनांक 15-4-1983 की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

(1) भाग-1 में प्रविष्टि 1 में "पोलिएसोटिल" शब्द को "पोलिएसीटल" पढ़ा जाएगा ।

(2) भाग-1 में वर्तमान प्रविष्टि सं. 82 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

"82क. टिटेनियम स्पंज"

(3) भाग-3 में प्रविष्टि 15 ग में "पोलिएसीटिल" शब्द को "पोलिएसीटल" पढ़ा जाएगा ।

(4) भाग-3 में प्रविष्टि 15 घ में "पोलि-टेट्राफ्ल्यूरोइथेन" शब्द को "पोलि-टेट्राफल्यूरो-एथीलीन" पढ़ा जाएगा ।

[फ़ाइल सं. आई.पी.सी. 13/1/93]

प्र. च. जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

ORDER NO. 31|83

New Delhi, the 17th October, 1983

S.O. 743(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendments to Schedule to Open General Licence No. 1|83 dated the 15th April, 1983 :—

(1) In Part I, Entry No. 1, the word "Polyacetyl" shall read "Polyacetal".

(2) In Part I, after the existing entry No. 82, the following new entry shall be inserted :—
"82A. Titanium Sponge".

(3) In Part III, Entry No. 15C, the word "Polyacetyl" shall read "Polyacetal".

(4) In Part III, Entry No. 15D, the word "Poly-tetrafluoroethane" shall read "Poly-tetrafluoroethylene".

[File No. IPC 13|1|83]

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 464] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 18, 1983/ आश्विन 26, 1905
No. 464] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 1983/ASVINA 26, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 1983

S.O. 744(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Textile Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1983 (10 of 1983), the Central Government hereby appoints the National Textile Corporation Limited, Surya Kiran Building, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, as the Custodian of each of the textile undertakings specified in the Table below :—

THE TABLE

S. No. Name of the undertaking

1. Elphinstone Spinning and Weaving Mills
2. Finlay Mills
3. Gold Mohur Mills
4. Jam Manufacturing Mills
5. Kohinoor Mills (No. 1)
6. Kohinoor Mills (No. 2)
7. Kohinoor Mills (No. 3)
8. New City of Bombay Manufacturing Mills
9. Podar Mills
10. Podar Mills (Process House)
11. Shree Madhusudan Mills
12. Shree Sitaram Mills
13. Tata Mills.

[F. No. 7|1|83-CPI]
PRABHAT KUMAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 465] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 18, 1983/अश्विन 26, 1905
No. 465] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 1983/ASVINA 26, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 1983

S.O. 745(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Textile Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1983 (10 of 1983), the Central Government hereby authorises the Custodian appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 4 of the said Ordinance to appoint any subsidiary of the National Textile Corporation, Surya Kiran Building, New Delhi as Additional Custodian of any one or more of the textile undertakings specified in the Table below :—

THE TABLE

S. No. Name of the undertaking

1. Elphinstone Spinning and Weaving Mills
2. Finlay Mills
3. Gold Mohur Mills
4. Jam Manufacturing Mills
5. Kohinoor Mills (No. 1)
6. Kohinoor Mills (No. 2)
7. Kohinoor Mills (No. 3)
8. New City of Bombay Manufacturing Mills
9. Podar Mills
10. Podar Mills (Process House)
11. Shree Madhusudan Mills
12. Shree Sitaram Mills
13. Tata Mills.

[F. No. 7|1|83|CP]
PRABHAT KUMAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 466] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 19, 1983/आश्विन 27, 1905
NO. 466] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 19, 1983/ASVINA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

लोक-सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1983

का.आ. 746(अ).—हिमाचल प्रदेश के मंडी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के निर्वाचित सदस्य श्री वीरभद्र सिंह ने लोक-सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है और अध्यक्ष ने 17 अक्टूबर, 1983 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है ।

[संख्या 21/3/83/टी]

अवतार सिंह रिखी, सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, 17 October, 1983

S.O. 746(E).—Shri Virbhadra Singh, elected Member of Lok Sabha from Mandi constituency of Himachal Pradesh, has resigned his seat in Lok Sabha and his resignation has been accepted by the Speaker with effect from the 17th October, 1983.

[No. 21|3|83|T]

AVTAR SINGH RIKHY, Secretary.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 467] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 19, 1983/ आश्विन 27, 1905
No. 467] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 1983/ASVINA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1983

का० आ० 747(अ).—अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) अध्यादेश, 1983 (1983 का 8) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निदेश देती है कि तथाकथित अध्यादेश की धारा 5 की उप-धारा (1), धारा 5 की उप-धारा (4), धारा 6, धारा 7, धारा 15 की उप-धारा (7) और धारा 20 के तहत केन्द्र द्वारा प्रयोग की जाने वाली उन सभी शक्तियों का प्रयोग असम राज्य सरकार भी करेगी।

[सं० 11012/125/83-एन० ई-4 (i)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th October, 1983

S.O. 747(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Ordinance, 1983 (8 of 1983) the Central Government hereby directs that all the powers which may be exercisable by it under sub-section (1) of section 5, sub-section (4) of section 5, section 6, section 7, sub-section (7) of section 15 and section 20 of the said Ordinance shall be exercised also by the State Government of Assam.

[No. 11012/125/83-NE.IV(i)]

का० आ० 748(अ).—अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) अध्यादेश, 1983 (1983 का 8) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निदेश देती है कि तथाकथित अध्यादेश की धारा 8 की उप-धारा (1) और धारा 14 के तहत केन्द्र द्वारा प्रयोग की जाने वाली उन सभी शक्तियों का प्रयोग—

(क) असम राज्य सरकार,

(ख) क्रमशः अपने-अपने क्षेत्राधिकार में असम सरकार के अधीन सभी पुलिस अधीक्षकों द्वारा भी किया जाएगा।

[सं० 11012/125/83-एन० ई 4(ii)]

आर० वासुदेवन, विशेष कार्य अधिकारी

S.O. 748(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Ordinance, 1983 (8 of 1983) the Central Government hereby directs that all the powers which may be exercisable by it under sub-section (1) of section 8 and section 14 of the said Ordinance shall be exercised also by —

(a) the State Government of Assam;

(b) the Superintendents of Police under the Government of Assam within their respective jurisdictions.

[No. 11012/125/83-NE. IV (ii)]

R. VASUDEVAN, Officer on Special Duty

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 468] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 19, 1983/आश्विन 27, 1905
No. 468] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 1983/ASVINA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1983

का० आ० 749(अ)—सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण संक्रियाओं में, (ii) पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने में, (iii) भवनों के अनुरक्षण में, और (iv) धावन पथ के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्ग की संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के कतिपय प्रस्ताव, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 481(अ), तारीख 29 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 29 जून, 1983 में उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए गए थे। जिनमें प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक उन व्यक्तियों से आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र 29 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 619(अ) तारीख 26 अगस्त, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए, सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, इसमें उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (6) में यथा विनिर्दिष्ट और उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने, भवनों के अनुरक्षण और धावन पथों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्ग को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करता है और निर्देश देता है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी

अनुसूची

काम का प्रवर्ग	प्रतिदिन मजदूरी की सर्वग्राही न्यूनतम दरें				
	क्षेत्र क	क्षेत्र ख-1	क्षेत्र ख-2	क्षेत्र-ग	क्षेत्र-घ
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	रु० पैसे	रु० पैसे	रु० पैसे	रु० पैसे	रु० पैसे
अकुशल : (1) मजदूरी बिछाने वाले, (2) बेलदार वयस्क पुरुष/आदमी, वयस्क स्त्री/महिला, किशोर 12 वर्ष से ऊपर के लड़के, लड़कियां, बालक (3) बीटर महिला, (4) धोकनीवाला (5) जरीबी (6) केबल (7) बाल्टी वाला (8) वाहक (पत्थर) (9) वाहक (पानी) (10) गाड़ीवान (11) केयरटेकर (पुल) (12) क्लीनर (ट्रेन पथ रखरखाव के लिए सिंडर) (13) चौकीदार (14) कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला) (15) दफादार (16) चालक (ऊंट, ऊंट, गधा, खच्चर) (17) झंडीवाला (बैलास्ट ट्रेन) (19) द्वारपाल (20) गैंगमैन (21) गेंगमैन स्थायी पथ (22) हैडलमैन (23) जम्परमैन (24) कमीन (महिला कार्य) (25) खलासी (26) खलासी आदमी/पुरुष/स्त्री/महिला; लड़के/लड़कियां I/II पुल बैलून, समुद्री भोपला; तट भण्डार; स्टीम रोड रोलर; सर्वेक्षण (27) श्रमिक (बाग) (28) बिल्ली वाला (29) माली (30) मजदूर (31) मजदूर (वयस्क पुरुष/नर, वयस्क महिला/नारी) (32) मजदूर किशोर 12 वर्ष की आयु से ऊपर के लड़के, लड़कियां, बालक-नारी प्रशिक्षित (33) पैट्रोल वाला (34) चपरासी (35) तलाशीकर्ता (36) सिगनल मैन (37) स्ट्राइकर (38) आइकर मोफलागिंग (39) शाइकण (40) दट्टी बाय (41) टाइल टर्नर (42) ट्रॉली वाला (43) बाल्व नियंत्रक (44) वाल्वमैन (45) संतरी (46) पानीवाला (47) सफेदी वाला (48) बूटरमैन (49) बूटरबुमैन (50) बोरीमैन (51) कोयले वाला (52) कंडेमर परिचर (53) घास काटने वाला (54) मुछैरे जमादार (55) स्लिंगर (56) शटर (57) अन्य कोई भी प्रवर्ग जोकि अकुशल प्रकृति के हों चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जायें।	11.25	10.00	9.25	8.25	7.50
अर्द्धकुशल अकुशल पर्यवेक्षी : (1) बेलचे वाला (2) भिश्ती (3) भिश्ती (मुश्क सहित) (4) नाव वाला (प्रधान) (5) भंजक (6) (भंजक) चट्टान, चट्टानी, पत्थर, प्रस्तर धातु, पत्थर (7) बेल चुनने वाला (8) जरीबी (प्रधान) (9) चारपाई कसने वाला (10) जांच पड़ताल कर्ता (11) चौकीदार प्रधान (12) पेकर (13) दफतरी (14) डालीमैन (15) ड्रिलर (16) ड्रिलर (छिद्र) चट्टान (17) चालक (स्कन) (18) उत्थनक (19) पैरो-वाला (20) फायरमैन (21) फायरमैन ईंटों का भट्टा (स्टीम रोड रोलर) (22) द्वार रक्षक (23) धरामी (थैचर) (24) शीशेवाला (25) ग्रीसर (26) ग्रीसर तथा फारमैन (27) ग्राइंडर (28) हथौड़े वाला (29) सहायक (कारीगर) (30) सहायक आरावाश (31) जमादार (32) की मैन (33) खलासी (प्रधान सर्वेक्षण, सिविल) मोरलगिंग (पर्यवेक्षक) (34) श्रमिक (चट्टान कर्मचारी) (35) लस्कर (36) माली (प्रधान) (37) मेट, (38) मैट लोहकार; सड़क काष्ठकार, इंजन चालक और या फीटर, फिटर गैंग, खलासी, मजदूर राज स्थायी पथ, पम्प ड्राइवर, टर्नर (39) मजदूर (भारी वजन), चार्जमैन, मिस्त्री प्रधान (40) मुकद्दम (41) राशि गार्ड (42) (क) हरकारा (डाक) (43) तेलवाला (44) खदानकार, (45) समदान प्रचालक (46) भंडारवाला (47) स्टोकर (48) स्टोकर (और वायलरमैन) (49) थैचर (50) थ्रैशमैन (स्पैकर्भी) (51) टिंडल (52) ट्रालीमैन वाला प्रधान, (प्रधान मोटर) (53) फिटर सहायक (अर्द्धकुशल) (54) जमादार (अर्द्धकुशल) (55) मेट (भण्डार) (56) पम्प परिचर (57) वाहक (58) ब्रेकमैन (59) कोबारमैन (60) रसोइया (61) डाफ्ची (62) फराश (63) हैमरमैन (64) सहायक (लोको ब्रेक, ट्रक) (65) कसाब (66) खलासी (संरक्षणात्मक) (67) प्रयोगशाला परिचर (68) माझी (नाव वाला) (69) मशालची (70) पी० एम० मेट्स (71) प्लाईट्स मैन (72) सीमी (73) टोपाज (74) लोंगकार (बड़े पत्थर तोड़ने वाला) (75) ट्रॉली जमादार (76) विचमैन (77) सहायक वायरमैन (78) अन्य कोई प्रवर्ग, (चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, जो कि अर्द्धकुशल प्रकृति के हों)।	11.00	12.75	11.50	10.50	9.50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

कुशल :

(1) सहायक मिस्त्री (2) आर्मेचर वाइंडर श्रेणी II और III (3) भंडारी (4) लोहकार (5) लोहाकार (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III वर्ग II और III प्रधान) (6) बायलरमैन (7) बायलरमैन श्रेणी II और III (8) बायलर फोरमैन श्रेणी II (9) कार्य (सहायक) (10) बिकलेयर (11) बिकलेयर (चयन श्रेणी, वर्ग II) (12) बिस्फोटक (13) काष्ठकार (14) काष्ठकार चयन श्रेणी, श्रेणी II और III वर्ग II और III सहायक बी० आई० एम० रोड (15) केबिनेट बनाने वाला (16) केनवाला (17) सेलोटेक्नाकटर मेकर (18) चार्जमैन वर्ग II और III (19) काष्ठकार साधारण (20) जांच पड़ताल कर्ता कनिष्ठ (21) चिक बनाने वाला (22) चिकवाला (23) कंक्रीट मिश्रण मिश्रक (24) कंक्रीट मिश्रक प्रचालक (25) मोची (26) कोरल्ला निर्माता (27) चालक (28) चालक मोटर, यान, मोटर यान चयन श्रेणी—मोटर लारी, मोटर लारी श्रेणी-II डीजल इंजन, डीजल इंजन श्रेणी II, यांत्रिक मिश्रक, रोड रोलर आई० सी० और सीमेंट मिश्रक आदि रोड रोलर (29) रोड रोलर चालक श्रेणी II (30) चालक/इंजन स्थिर/स्टीम क्रेन, ट्रैक्टर, बुलडोजर, स्टीमरोड रोलर, जलपम्प यांत्रिक, सहायक रोड रोलर, यांत्रिक स्टीम क्रेन, बुलडोजर सहित ट्रैक्टर यांत्रिक, परिवहन इंजन, स्कैलिक और रोड रोलर बायलर परिचर इंजनि स्टेटिक (31) प्रचालन (स्टोन क्रशर यांत्रिक) (32) डिस्टेम्पर करने वाला (33) बिजली मिस्त्री (34) बिजली मिस्त्री (श्रेणी-II) वर्ग II, वर्ग III (35) फिटर (36) फिटर (चयन श्रेणी II, III, वर्ग II, III), सहायक पाइप, पाइप वर्ग II, पाइप लाइन कुशुक के लिए छेद मोड़ना एवं यांत्रिक, यांत्रिक और नलकार (प्लम्बर) (37) घरामी (प्रधान) (38) ग्लेजियर (39) ब्लिस्फोटन के लिए छिद्र ड्रिलर (40) जायनर (41) जायनर (केवल श्रेणी II) (42) लाइन मैन (श्रेणी II, III, एच० टी०)/एम० टी० (43) राज (44) राज (चयन श्रेणी, श्रेणी II, और श्रेणी III, वर्ग II और III वर्ग का मिस्त्री, स्टोन, स्टोन वर्ग II ईंट का काम, पत्थर का कार्य, ईंट बिछाने वाला लेबर, टाइल-फ्लोरिंग बी० टी० एम० मुकद्दम, प्रधान पत्थर कर्मन (साधारण) (45) मर्मानी मिस्त्री (46) यांत्रिक (47) यांत्रिक, (वर्ग II वातानुकूलन, वातानुकूलन श्रेणी II, डीजल श्रेणी II, रोड रोलर श्रेणी II, सहायक रेडियो (48) राज (चरामी) (49) मिस्त्री (50) मिस्त्री श्रेणी II, वातानुकूलन श्रेणी II, स्थायी पथ, सर्वेक्षण संगराश, संकर्म (51) राज, वर्ग क (52) सांचागार (53) सांचागार (इंटटाइल) (54) रंगसाज (55) रंगसाज (चयन श्रेणी II और III, वर्ग II सहायक लाटर और पालिशगर, पालिशगर रफ (56) प्लास्टरकर्ता (57) प्लास्टरकर्ता (राज श्रेणी II) (58) नलसाज (59) नलसाज (चयन श्रेणी, वर्ग 2, सहायक ज्येष्ठ कनिष्ठ, मिस्त्री श्रेणी III (60) नलसाज मिस्त्री (61) नलसाज एवं फिटर (62) पालिशगर (63) पालिशगर (फर्श) (64) पम्प चालक (65) पम्प चालक (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III, वर्ग II) (66) पम्प इंजन चालक (67) पी०ई० चालक (68) पम्प वाला (69) पम्पवाला (सहायक) (70) प्लम्बर (71) पालिशगर (स्प्रे सहित) श्रेणी II (72) रतनमैन (73) रिविट कटर (सहायक) (74) रिविटर (75) रिविटरकटर (76) सड़क निरीक्षक श्रेणी II (77) रेलवे प्लेटलेयर (78) राड बाइडर (79) आराकाश (80) आराकश (चयन श्रेणी वर्ग II) (81) सेरंग (82) सेरंग पाइल ड्राईविंग पैल्टम्म बायलर सहित (83) सैनेप्सभैन (84) पारी भारसाधक (85) स्प्रेमैन (86) स्प्रेमैन रोडम (87) संगतराश (88) संगतराश (चयन श्रेणी, श्रेणी, II वर्ग II (89) स्टोन चिजलर (90) स्टोन चिजलर वर्ग II (91) पाषण विस्फोटक (92) उपओवरसियर (अनहित) (93) सर्वेक्षक (94) सर्वेक्षक (सहायक) (95) दर्जी (96) दर्जी (पोशिश) (97) तार स्प्रेयर (98) तारमैन (99) लाइनमैन (100) टाइलर वर्ग II, दीवार, फर्श, छतें, (101) टाइलर चयन श्रेणी (102) टेलिकर (103) टेलिकर (चयन श्रेणी, श्रेणी II और III वर्ग II) (104) फलईगर (105) टेलर्स (106) टर्नर (107) अपोलिशमाज (108) अपोलिशसाज (श्रेणी II और श्रेणी III) (109) रंगसाज स्प्रे वर्ग II, (110) काष्ठ कर्ल्क चयन श्रेणी III, काष्ठ कर्ल्क चयन श्रेणी (112) काष्ठ कर्ल्क वर्ग II, (113) वर्क सरकार (114) झलाईगर (115) गैस-झलाईगर (116) झलाईगर वर्ग II, पुल कार्य, (117) कूप निमज्जक (118) सफेदी वाला (119) सफेदी वाला, (चयन श्रेणी वर्ग II) (120) वायर मैन मिस्त्री (121) वायरमैन मिस्त्री, श्रेणी II और III, वर्ग I, यांत्रिक विद्युत्, (122) सफेदी पुताई और और रंगीन पुताई वाला (123) बातिक औजार प्रचालक (124) प्रचालक (फिटर) (125) बोरमैन (126) लेखक (127) छिलाईदार (128) छिलाईदार एवं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पिसाईगार (129) रसांइया (प्रधान) (130) ड्रिलर (कूप बेधन) (131) चालक (लोको ट्रक) (132) बिजली मिस्त्री (सहायक) (133) यांत्रिक (नलकूप) (134) सिनेमा परियोजना क्लैम्प मैल संपोडिक, (135) मीटर वाचक (136) मौसम प्रेषक (137) नावधानी (138) प्रचालक (बैचिंग संयंत्र) सिनेमा परियोजना क्लैम्प मील संपोडित क्रेन, डेरिक डीजल, इंजन, डोजर, ट्रैक्टराइन ड्रिल, इमार उत्खनक: फोर्क लिफ्ट जनित्र, ग्रेडर हैंक हैम्पर और पटरी तोड़ने वाला, लोडर, पम्प पाइप चालक, स्क्रैप्ट, स्क्रीनिंग संयंत्र, शावेल ट्रैक्टर वाइब्रेटर : बे-बेयर, (139) रेल गार्ड (140) मरम्मत कर्ता (बैटरी) (141) शारपर स्लेटर (142) स्प्रेयर (अस्फाल्ट), (143) स्टेशन मास्टर (144) सर्वेक्षक (सिल्ट) (145) दस्तकार (146) गाड़ी परीक्षक (147) टर्नर/मिलर (148) टायरवालकेनाइजर, (149) कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं जो कि कुशल प्रकृति के हों	17.75	16.25	14.50	13.50	12.00
अत्यधिक कुशल :					
(1) आर्मेचर वाइंडर श्रेणी 1, (2) लौहकार श्रेणी 1 और वर्ग 1 (3) बायलरमैन श्रेणी I (4) बायलर मैनफोरमैन श्रेणी I (5) ईंट बिछाने वाला वर्ग I (6) कवल संयोजक श्रेणी I (7) काष्ठकार श्रेणी I और वर्ग I (8) सेलीटैक्स कटर और गजावट-कर्ता (9) चार्जमैन वर्ग I (10) जल पड़ताल कर्ता (ज्येष्ठ) (11) चालक लारी, श्रेणी, I, मोटर लारी श्रेणी I मोटर यान वर्ग I और डीजल इंजन श्रेणी I, रोडरोलर श्रेणी I, पम्प श्रेणी I वर्ग I, (12) बिजली मिस्त्री श्रेणी I और वर्ग I (13) फिटर श्रेणी I, वर्ग I पाइप वर्ग I (प्रधान) (14) फोरमैन (सहायक) (15) लाइनमैन श्रेणी I (16) राज (कुशल श्रेणी I, वर्ग I) (17) मास्टरमिस्त्री, यांत्रिक वर्ग I और वर्ग II, (18) यांत्रिक (प्रधान) या बिजली मिस्त्री (19) यांत्रिक (डीजल) श्रेणी I, रोडरोलर श्रेणी I वातानुकूलन श्रेणी, I वर्ग I वातानुकूल (20) मिस्त्री श्रेणी, I, (21) मिस्त्र वातानुकूलन श्रेणी I (22) ओवर सियर (23) ओवरसियर (ज्येष्ठ और कनिष्ठ) (24) रंगसाज श्रेणी I, वर्ग I (स्प्रे) (25) प्लास्टर कर्ता (मिस्त्री) वर्ग I, (26) नलसाज (प्रधान) वर्ग I मिस्त्री श्रेणी I (27) आरेखण वर्ग I (28) संगतराश वर्ग I (29) संगतराश श्रेणी I (30) स्टोन बिजलर वर्ग I (31) पाषाण मिस्त्री वर्ग I, (32) उप-ओवरसियर (अहित) (33) टाइलर वर्ग I (34) टीनकार श्रेणी I और वर्ग I, (35) पोलिशसाज श्रेणी I (36) वानिशकार वर्ग I (37) खलाईगर एवं फिटर और वातानुकूलित यांत्रिक (38) खलाइक खलाईगर (गैस) वर्ग, (39) सफेदी वाला वर्ग I (40) बायरमैन श्रेणी I वर्ग I (41) काष्ठकर्ता वर्ग I (42) पिसाईकार औजार श्रेणी I (43) प्रचालक बैचिंग प्रचालक श्रेणी I, क्लैम्प मील श्रेणी I, संपोड़ित श्रेणी I, क्रेन श्रेणी I, डीजल इंजन श्रेणी I, ड्रिल श्रेणी I डम्पटर श्रेणी I, उत्खनक श्रेणी I, फोर्क लिफ्ट श्रेणी I, जनित्र श्रेणी I स्क्रेपर श्रेणी I, स्क्रीनिंग संयंत्र श्रेणी I, शोवल श्रेणी I, शावेल और ट्रैक्टराइन ट्रेक्टर श्रेणी I, ग्राइन्डर श्रेणी I, रिपर श्रेणी I, रिपर श्रेणी II, (44) शारपर/स्लेटर श्रेणी I, (45) दस्तकार वर्ग I (46) टर्नर/मिलर श्रेणी I (47) टायर वालकेनाइजर श्रेणी I, (48) सड़क निरीक्षक श्रेणी I (49) स्वायर वर्ग I, (50) कार्य (सहायक) श्रेणी I (51) कोई अन्य प्रवर्ग जो अत्यधिक कुशल प्रकृति के है चाहें किसी भी नाम से पुकारे जाएं	22.25	20.25	18.50	16.50	15.25
लिपिकीय :					
(1) एम० सी० लिपिक (2) मुंशी (मैट्रिकुलेट, नान-मैट्रिकुलेट) (3) भण्डार लिपिक (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट (4) भण्डार निगमकर्ता (5) भंडार रक्षक (6) भण्डार रक्षक (श्रेणी I, II) मैट्रिकुलेट, नान-मेट्रिकुलेट (7) मिलान लिपिक (8) समय पाल (9) समयपाल मैट्रिकुलेट, नान-मैट्रिकुलेट (10) औजार कीपर, I (11) कार्य-मुंशी (12) कार्य मुंशी (अधीनस्थ (13) लेख लिपिक (14) लिपिक (15) संगणक (16) टेलीफोन प्रचालक (17) टंकक (18) कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे जिस नाम से पुकारे जाएं जो कि लिपिकीय प्रकृति के हों	17.75	16.25	14.50	13.50	12.00

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ-

(1) (क) क्षेत्र क, ख-1, ख-2 और ग में इस अधिसूचना के उपबन्ध 1 में यथा विनिर्दिष्ट सभी स्थान समाविष्ट हैं जिनमें नगर निगम या नगरपालिका या छावनी बोर्ड तथा किसी स्थान विशेष की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले सभी स्थान सम्मिलित है; और क्षेत्र "घ" में वे सभी स्थान हैं जो क, ख-1 ख-2 और ग क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नं० प्र० भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए या

ऊंचा श्रेणी में लाए गए स्थान को भी उपबन्ध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए उन्हीं तारीखों से जोड़ा गया समझा जाएगा ।

(2) "घ" वर्ग क्षेत्रों में जहां न्यूनतम मजदूरी क्षेत्र वार आधार पर नियत की गई है और जहां केन्द्रीय सरकार ने सर्दी भत्ता या पर्वतीय भत्ता या किसी अन्य विशेष भत्ते का संदाय मंजूर किया है, सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने, भवनों के अनुरक्षण और धावन पथों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजित कर्मचारियों को उन्हें देय न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन नियत या पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी से दस प्रतिशत अधिक संदत्त किया जाएगा ।

(3) जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें राज्य सरकारों द्वारा सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने, भवनों के अनुरक्षण और धावन पथों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजित कर्मचारियों के लिए जिनके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम हैं वहां उन क्षेत्रों की बाबत इस अधिसूचना के अधीन राज्य सरकारों द्वारा नियत की गई मजदूरी ही संदेय होगी ।

(4) सुरंग-कार्य में काम करने वाले कर्मकारों को इस अधिसूचना के अधीन समुचित प्रवर्गों के लिए नियत की गई न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त 20 प्रतिशत और संदत्त किया जाएगा ।

(5) (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी या कुछ भी कुशलता या कार्य या अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्ध-कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग-दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेक बुद्धि आवश्यक है;

(घ) "अत्यधिक कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या कई वर्षों के व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित उच्चतर की पूर्णता और सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन की बाबत किए जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरी जिम्मेदारी ले ।

(6) इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होंगी ।

(7) मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसामावेशी दरें हैं और उसमें विश्राम के साप्ताहिक विवक्षन के लिए मजदूरी भी सम्मिलित है ।

(8) 18 वर्ष से कम आयु वाले युवा व्यक्तियों और निःशक्त व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें, इस अधिसूचना द्वारा समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकार के लिए नियत की गई दरों का क्रमशः 80 और 100 प्रतिशत होंगी ।

अनुबन्ध–1

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	नगरों		उपनगरों का वर्ग	
	क	ख	ख-2	ग
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	—	विजयवाडा (बैजवाडा) विशाखापत्तनम (विजागापट्टम)	अदोनी, अंकापल्ले अनंतपुर (बान्दार मैसोली पत्तनम) भीमावरम, चिराला, चित्तूर कुडापाह, एलरु, गुडीवड़ा, गूटा-कल, गुंतूर काकीनाडा, करीमनगर, खम्मम, कोथागूडम, करनूल, महबूबनगर, नंदयाल, नैल्लोर, निजामाबाद, ओंगोल, प्रोद्दातुर, राजाहमुन्दरी, श्रीकाकुलम, [तैनाली, तिरुपति, विजयपुरी, विजयानगरम, वारंगल ।
असम	—	—	गौहाटी	—
बिहार	—	—	पटना, धनबाद, जमशेदपुर	आरा, बेतिया, भागलपुर, बिहार-शरीफ, बोकारो, इस्पातनगर, छपरा, दरभंगा, दानापुर, गया, हजारीबाग, कठिहार, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, पुर्णियां, रांची
चण्डीगढ़	—	—	—	चण्डीगढ़
दिल्ली	दिल्ली	—	—	—
गुजरात	अहमदाबाद	—	सुरत, बड़ोदरा (बड़ोदा) भावनगर राजकोट	आनंद, भूज, भड़ोच, कैम्बे, धोराजी, गांधरी, गोंडल जामनगर, जूनागढ़, कलोला, महसाना, मोरवी, नाडियाद, नवसारी, पाटन, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर, वेरावल ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हरियाणा	—	—	—	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुना-नगर ।
जम्मू-कश्मीर	—	—	श्रीनगर, जम्मू	—
कर्नाटक	बंगलौर	—	हुबली, धारवाड़ मैसूर	बागलकोट, बेलगांव, बेल्लारी, भद्रावती, बिदार, बीजापुर, चित्रदुर्ग दावनगिरि, गडाग-बेतगारी गुलबर्ग, हसन, होस्पेट, कोलार-स्वर्ण क्षेत्र, मांडया, मंगलौर, रायचूर, शिमोगा, टुमकुर ।
केरल	—	—	कोचीन, त्रिवेंद्रम, आलवे, कालीकट (कांजी-कांड)	अलेप्पी, आडागारा, कन्नानूर, चंगनाचेरी, कायम कुलम, कोट्टयम, पालघाट, तेलीचेरी, त्रिचुर, क्विलोन ।
मध्य-प्रदेश	—	इंदौर जबलपुर	ग्वालियर, (लस्कर) भिलाई भोपाल	बिलासपुर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, दुर्ग, इटारसी, खंडवा, मंदसौर, मह छावनी, मुरवारा, मूरीना, रायपुर, नीमच, रायगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, विदिशा ।
महाराष्ट्र	मुम्बई	—	नागपुर, पिम्परी-शोलापुर छिंदवाड़ा, नासिक, पुणे	अचलपुर उपनगर समूह, अहमदाबाद, अकोला, अमलनेर, अम्बरनाथ, अमरावती, औरंगाबाद, बारसी, भिवंडी, भुसावाल, चांदा, चंद्रपुर, धूलिया, डोम्बीवली, गोंदिया, इचलकरंजि, जलगांव, जालना, कल्याण, कैम्प्टी, खामगांव, कोलहापुर, लातुर, मरलेगांव, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक मार्ग, देवलाली, पंढरपुर परभनी, सांगली, मिराज, सतारा, उल्हासनगर, यौतमाल, वर्धा ।
उड़ीसा	—	—	राउरकेला	बालासौर, बिहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, पुरी, सम्बलपुर
पांडिचेरी	—	—	—	पांडिचेरी
पंजाब	—	—	अमृतसर लुधियाना	अबोहर, बटाला, भटिंडा, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, मलेर-कोटला, मोगा, पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा ।
राजस्थान	—	जयपुर	अजमेर	अलवर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चुरु-गंगानगर, जोधपुर, कोटा, सीकार, टोंक, उदयपुर ।
तमिलनाडु	मद्रास	कोयम्बतुर मदुराई	सलेम, तिरुचिरापल्ली, (त्रिचिनोपोली)	अम्बूर, अरुणकोटाई, चिदाम्बरम, कोवी नायकनूर, कडालोर डिंडीगुल, इरोड, गुडियाथम-कडायानल्लूर, कांचीपुरम, कराई कुडी, करूर, कुम्भ-कोनम, मथुरम, कोविलयट्टी, मेट्या-पालयम, नाग, पट्टीनम, नगर-कोइल, पलायमकोट्टाई, पोलच्ची, पुडुकोट्टाई, राजापलयम, सिवाकाणी, श्रीरंगम, श्री बिलीपुत्तुर, ताम्बरम, तंजूर, (तंजोर) चिदंबरम, तिरुनेलवेली, तिरुप्पूर, तिरु-वन्नामलाई, तुतीकोरिन, आलपराई, वनियाम्बाडी, वेलोर, विल्लुपुरम, विरुद्ध-नगर ।
उत्तर-प्रदेश	—	कानपुर लखनऊ, आगरा इलाहाबाद बारानसी (बनारस)	मेरठ	अलीगढ़, (कोयल अलीगढ़) अमरोहा, बलिया, बहराइच, बांदा, बरेली, बस्ती, बदायूं, बुलन्दशहर, चंदौसी, देहरादून, इटावा, फैजाबाद एवं अयोध्या, फरुखाबाद एवं फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हल्दवानी एवं काठ-गोदाम, हापुड़, हरदोई, हरिद्वार, हाथरस, जोनपुर, झांसी, खुर्जा, कासगंज, मथुरा, मउनाथ भंजन, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फर नगर, पीलीभीत,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				रामपुर, रुड़की, सहारनपुर, सम्भल, शाहजहांपुर, मीतापुर ।
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	—	आसनसोल, दुर्गापुर	बेथुवती, बाली, बनगांव, बंकुरा, बासवेरिया, बैरकपुर, बशीरहट, बेरहामपुर, भाटापारा, बज-बज, बर्दवान, बकहड़ा, चम्पदानी, चन्दर नगर, कूचबिहार, इंगलिश बाजार, हाली-शहर, हुगली, चिनसुरा, जलपाईगुड़ी, कमरहटी, कंचनपारा, खड़गपुर, कृष्णानगर, मिदनापुर नवाबद्वीप, नहाटी, उत्तरी दमदम, पानीहाटी, पुरुलिया, रानाघाट, रिशरा, शान्तिपुर, सेरामपुर, सिलीगुड़ी, टीटागढ़, उत्तरपारा, कोटरंग ।
गोवा, दमन और दीव	—	—	गोवा, मरमूगोवा	—

[संख्या एस-32019/6/83-डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू)]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 1983

S.O. 749(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in the employments (i) in the construction or maintenance of roads or in building operations (ii) in stone breaking or stone crushing (iii) in the maintenance of bulidings and (iv) in the construction and maintenance of runways were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) in the Gazette of India, Extraordinary Part II. Section 3, Sub-section (ii), dated the 29th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) No. S.O. 481(E) dated the 29th June, 1983 for the information and inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on the 29th June, 1983;

And whereas, the objection and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 619(E) dated the 26th August, 1982, the Central Government after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in column (2) to (6) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in the construction or maintenance of roads or in building operations, in stone breaking or stone crushing, in the maintenance of buildings; and in the construction and maintenance of runways as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Category of work	All inclusive minimum rates of wages per day				
	Area A	Area B-1	Area B-2	Area C	Area D
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1	2	3	4	5	6
UNSKILLED					
(1) Bairi Spreader (2) Beldar (Adult Male/Female; Adolescent/Boys above 12 years, Girls; Child) (3) Beater Woman (4) Bellowman (5) Chain Man (6) Boat Man (7) Bucket Man					

1	2	3	4	5	6
(8) Carrier (Stone) (9) Currier (Water) (10) Cart Man (11)Caretaker (Bridge) (12)Cleaner (Crane Track; Cinder for Ash Pit) (13) Chowkidar (14) Concrete (Hand Mixer) (15) Daffadar (16) Driver (Bullock; Camel, Donkey, Mule) (17) Flag Man (18) Flagman (Blast Train) (19) Gate Man (20) Gangman (21) Gang Man (Permanent Way) (12) Handle Man (23) Jumper Man (24) Kamin (Female Work) (25) Khelasi (26) Khalasi (Man/Male; Woman/Female; Boys/Girls; I/II; Bridge; Electrical; Marine; Moplah; Shore; Store; Steam Road Roller; Survey) (27) Labourer (Garden) (28) Lamp Man (29) Mali (30) Mazdoor (31) Mazdoor (Adult Male/Man; Adult Female/Women) (32) Mazdoor (Adolescent/Boys above 12 years age; Girls; Child; Lorry; Trained) (33) Petrolman (34) Peon (35) Searcher (36) Signal Man (37) Strikers (38) Striker (Moplah Gang) (39) Sweeper (40) Tatti Boy (41) Tile Turner (42) Trolly Man (43) Valve Controller (44) Valveman (45) Watchman (46) Waterman (47) White Washer (48) Wooderman (49) Wooder Women (50) Borryman (51) Coal man (42) Condenser Attendant (53) Grass Cutter (54) Muchhers Jamadars (55) Slingers (56) Shunters (57) Any other Categories by whatever name called which are of an unskilled nature	11.25	10.00	9.25	8.25	7.50
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY					
(1) Belchawala (2) Bhisti (3) Bhisti (with Mushk) (4) Boatman (Head) (5) Breaker (6) Breaker (Rock); Rock Stone; Stone Metal; Stone (7) Cane Weaver (8) Chain Man (Head) (9) Charpoy Stringer (10) Checker (11) Chowkidar (Head) (12) Cracker (13) Daftri (14) Dollyman (15) Driller (16) Driller (Hole; Rock) (17) Driver (skin) (18) Excavator (19) Ferreoman (20) Fireman (21) Fireman (Brick Kiln; Steam Road Roller) (22) Gate Keeper (23) Charami (Thatcher) (24) Glass Man (25) Greaser (26) Greaser-cum-fireman (27) Grinder (28) Hammerman (29) Helper (Artisan) (30) Helper (Sawyer) (31) Jamadar (32) Keyman (33) Khalasi (Head Survey; Rivetters-Moplah Gang; Supervisor) (34) Labourer (Rock-cutting) (35) Lascar (36) Mali (Head) (37) Mate (38) Mate (Blacksmith; Road; Carpenter; Engine Driver and or Feeder; Fitter; Gang; Khalasi; Mazdoor, Mason; Permanent Way; Pump-Driver; Turner) (39) Mazdoor (Heavy-Weight; Charge-Man; Mistri; Head) (40) Muccadam (41) Night Guard (41 A) Runner (Post dak) (42) Oil Man (43) Quarry Man (44) Quarry Operator (45) Store Man (46) Stocker (47) Thatcher (48) Stocker and boilerman (4) Thoombaman (Spade Worker) (50) Tindals (51) Trollyman (Head; Motor) (52) Fitter (Asstt. Semi-skilled) (53) Jamadar (Semi-skilled) (54) Mate (Store) (55) Pump Attendant (56) Bearer (57) Breakesman (58) Crowber Man (59) Cook (60) Dandee (61) Farash (62) Hacksaw Man (63) Helper (Locco-Crane/Truck) (64) Kasab (65) Khalasi (Structural) (66) Laboratory Boy (67) Manjee (Boatman) (68) Masalchi (69) P.M. Mates (70) Pointsman (71) Seacummy (72) Topaz (73) Topkar (Big Stone Breaker) (74) Trolly Jamadar (75) Winchman (76) Asstt. Wireman (77) Any other categories by whatever name called which are of a semi skilled nature	14.00	12.75	11.50	10.50	9.50
SKILLED					
(1) Asstt. Mistry (2) Armature Winder Grade II and III (3) Bhandari (4) Blacksmith (5) Blacksmith (Selection Grade; Grade II; III; Class II & III; Head) (6) Boilerman (7) Boiler man Grade II and III) (8) Boiler Foreman Grade II (9) Work (Asstt.) (10) Brick Layer (11) Bricklayer (Selection Grade: Class II) (12) Blasterer (13) Carpenter (14) Carpenter (Selection Grade; Grade II & III Class I and III; Assistant; B.I.M. Road) (15) Cabinet Maker (16) Caneman (17) Celotax Cutter Maker (18) Chargeman Class II; and Class III (19) Carpenter (Ordinary) (20) Checker (Junior) (21) Chick maker (22) Chick Man (23) Concrete Mixture Mixer (24) Concrete Mixer Operator (25) Cobbler (26) Coremaker (27) Driver (28) Driver (Motor; Vehicle; Motor Vehicle Selection Grade: Motor Lorry; Motor Lorry Grade II; Lorry; Lorry Grade II; Diesel Engine; Diesel Engine Grade II; Mixer Mechanical; Road Roller I.C. and Cement Mixer etc. Road Roller) (29) Road Roller Driver Grade II (30) Driver (Engine Static; Stone Crusher; Tractor-/Bull Dozer; Steam Road Roller; Water Pump Mechanical; Steam Crane; Assistant Road Roller; Mechanical; Tractor with Bull Dozer Mechanical Transport; 'Engine; Static & Road Roller; Boiler Attendant; Engine) (31) Operator (Stone Crusher Mechanical) (32) Distemperer (33) Electrician (34) Electrician (Grade II; Class II; Class III) (35) Fitter (36) Fitter (Selection Grade; Grade II; III; Class II; III; Assistant; Pipe; Pipe Class II; Pipe Line; Bending Bars for reinforcement cum-Mechanic; Mechanic & Plumber) (37) Gharami (Head) (38) Glazier (39) Hole Driller for Blasting (40) Joner (41) Joiner (Cable; Grade II) (42) Line Man (Grade II; III; HT/LT) (43) Mason (44) Mason (Selection Grade; Grade II and III; Class II and III; Class B Mistry; Stone; Stone Class II; Brick Work; Stone Work; Bricklayer; Tile Flooring; B.I.M.; Muccadam; Head; Stone Cutting; Ordinary) (45) Machinist (46) Mechanic (47) Mechanic (Class II; Air Conditioning; Air Conditioning Grade II; Diesel Grade II; Road Roller					

1	2	3	4	5	6
Grade II; Assistant; Radio) (48) Masson (Gharami) (49) Mistry (50) Mistry (Grade II); Airconditioning Grade II P. Way; Survey; Santras; Works) (51) Mason Class A (52) Moulder (53) Moulder (Brick; Tile) (54) Painter (55) Painter (Selection Grade : Grade II and III; Class II; Assistant; Lotter; and Polisher; Polisher; Rough) (56) Plasterer (57) Plasterer (Mason Grade II) (58) Plumber (59) Plumber (Selection Grade; Class II; Assistant Senior; Junior; Mistry Grade II; (60) Plumbing Mistry (61) Plumber-cum fitter (62) Polisher (63) Polisher (Floor) (64) Pump Driver (65) Pump Driver (Selection Grade; Grade II and III; Class II) (66) Pump Driver (Selection Grade; (67) P.E. Driver (68) Pump Man (69) Pump Man (Asstt.) (70) Pumper (71) Polisher (with spray Grade II (72) Ratan Man (73) Rivet Cutter (Asstt.) (74) Rivetter (75) Rivetter (Cutter) (76) Road Inspector Grade II (77) Railway Plate Layer (78) Rod Binder (79) Sawyer (80) Sawyer (Selection Grade Class II) (81) Serang (82) Serangpile Driving Pantooms with Boiler (83) Shapsman (84) Shift-in-charge (85) Sprayman (86) Sprayman (Roads) (87) Stone Cutter (88) Stone Cutter (Selection Grade; Grade II; Class II) (89) Stone Chisler (90) Stone Chisler (Class II) (91) Stone Blasterer (92) Sub-Overseer (unqualified) (93) Surveyors (94) Surveyors (Asstt.) (95) Tailor (96) Tailor (upholstry) (97) Tar Sprayer (98) Tar man (99) Line Man (100) Tiler Class II; Wall; Floor; Roof) (101) Tiler (Selection Grade) (102) Tine Smith (103) Tin Smith (Selection Grade : Grade II; and III; Class II) (104) Tinker (105) Trailers (106) Turner (107) Upholsterer (108) Upholsterer (Grade II and III) (109) Painter Spray Class II (110) Wood Cutter (111) Wood Cutter Selection Grade (112) Wood Cutter Class II (113) Work Sircar (114) Welder (115) Welder Gas (116) Welder (Class II; Bridge Work) (117) Well Sinker (118) White Washer (119) White Washer (Selection Grade; Class II) (120) Wireman (121) Wireman (Grade II & III; Class I; Mechanic; Electrical (122) White Washing & Colour Washing Man (123) Operator Pnemuatic Tools (124) Operator (Fitter) (125) Boreman (126) Borer (127) Chipper (128) Chipper-cum-Grinder (129) Cook (Head); (130) Driller; (Well-Boring) (131) Driver (Loco/Truck) (132) Electrician (Asstt.) (133) Mechanic (Tube-well) (134) Mistry (Steel; Tube-well; Telephone) (135) Meter Reader (136) Metroloical Observer (137) Navghani (138) Operator (Batching Plant; Cinema Project; Clamp Shelf; Compressor; Grane Dorrick; Diesel Engine; Doser; Dragline; Drill; Dumper; Excavator; Fork Lift; Generator; Grader; Jack hammer and pavement breaker Loader; Pump; Pile Driving; Scrapper; Screaning Plant Shovel; Tractor; Vibrator; Weight Batcher (139) Railway Guards (140) Repairer (Battery) (141) Sharper/Slotter (142) Sprayer (Asphalt) (143) Station Master (144) Surveyor (Silt) (145) Tradesman (146) Train Examiner (147) Turner/Miller (148) Tyre Valcanisor (149) Any other categories by whatever name called which are of a skilled nature	17.75	16.25	14.50	13.50	12.00
Highly Skilled					
(1) Armature Winder Grade I (2) Blacksmith Grade I and Class I (3) Boilerman Grade I (4) Boilerman Foreman Grade I (5) Brick Layer Class I (6) Cable Joiner Grade I (7) Carpenter Grade I and Class I (8) Celotex Cutter and Decortor (9) Chargeman Class I (10) Checker (Senior) (11) Driver Lorry Grade I; Moter Lorry Grade I Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I; Road Roller Grade I; Pump Grade I; Pump Class I (12) Electrician Grade I and Class I (13) Fitter (Grade I; Class I; Pipe Class I; (Head); (14) Foreman (Asstt.) (15) Line Man Grade I (16) Mason (Skilled Grade I; Class I) (17) Mast Rigger Mechanic Class I and Class II (18) Mechanic (Head) or Electrician (19) Mechanic (Diesel) Grade I; Road Roller Grade I; Airconditioning Grade I; Class I; Air Conditioning (20) Mistry Grade I (21) Mistry (Airconditioning Grade I) (22) Overseer (23) Overseer (Senior & Junior) (24) Painter (Grade I; Class I; Spray) (25) Plasterer (Mason) Class I (26) Plumber (Head Class I; Mistry Garde I) (27) Polisher (with spray) Grade I (28) Road Inspactor Grade I (29) Sawyer Class I (30) Stone Cutter Class I (31) Stone Cutter Gr. I (32) Stone Chisler Class I (33) Stone Mason Class I (34) Sub-Overseer (Qualified) (35) Tiler Class I (36) Tinsmith Grade I and Class I (37) Upholsterer Grade I (38) Varnisher Class I (39) Welder-cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic (40) Welder (Gas) Class I (41) WhiteWasher Class I (42) Wireman Grade I; Class I (43) Wood Cutter Class I (44) Grinder (Tool) Grade I (45) Operator (Batching Plant GradeI; Clamp Shell Grade I; Compressor Gr. I; Crane Gr. I; Diesel Engine Gr.I ; Dozer Gr.I ; Dragline Gr. I; Drill Gr. I; Dumper Gr. I; Excavator Gr. I; Fork Lift Gr. I; Generator Gr. I; Grader Gr. I; Loader Gr. I; Pile Driving Gr. I; Pump Gr. I; Scrapper Gr. I; Screaning Plant Gr. I; Shovel Gr. I; Shovel & Dragline; Tractor Gr. I; Vibrator Gr. I; Rigger Gr. I; Rigger Gr. II); (46) Sharper/Slatter Gr. I (47) Tradesman Class I (48) Turner/Miller Gr. I (49) Tyre Valcaniser Gr. I (50) Work (Asstt.) Gr.I (51) Any other categories by whatever name called which are of a highly skilled nature	22.25	20.25	18.50	16.50	15.25
Clerical					
(1) M.C. Clerk (Munshi) (Matriculate; non-Matriculate) (3) Store Clerks (4) Store issuer (5) Store Keeper (6) Store Keeper (Gr.I; Gr.II; Matriculate II; Non-Matriculate) (7) Tally					

1	2	3	4	5	6
Clerk (8) Time Keeper (9) Time Keeper (Matriculate; Non-Matriculate) (10) Tool Keeper (11) Work Munshi (12) Work Munshi (Subordinate) (13) Accounts Clerk (14) Clerks (15) Computor; (16) Telephone Operator (17) Typists (18) Any other categories by whatever name called which are of a clerical nature.	17.75	16.25	14.50	13.50	12.00

Explanation :—For the purpose of this notification :—

(1) (a).—Area A, B-I, B-2 and C shall comprise all places as specified in the Annexure I to this notification including all places within a distance of eight kilometres from the periphery of the Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board, Notified Area Committee of particular place; and Area 'D' shall comprise all the places not included in Areas A, B-1, B-2 and C.

(b) The places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of city compensation allowance to Central Government employees shall also be taken to be added from such dates for the purpose of classification specified in the annexure.

2. Employees employed in the employments in the construction or maintenance of roads or in building operations, in stone breaking and stone crushing, in the maintenance of buildings and in the construction and maintenance of runways, in D class areas, where the minimum rates of wages have been fixed on area-wise basis and where the Central Government has sanctioned payment of winter allowance or hill allowance or any other special allowance, shall be paid, in addition to the minimum rates of wages fixed by this notification, an amount equal to 10 per cent of the minimum rates of wages so fixed.

3. Where in any area the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for employees in employment in the construction or maintenance of roads or in building operation in stone breaking or stone crushing, in the maintenance of buildings, and in the construction and maintenance of runways, in relation to which the State Government is the appropriate Government, the rates of wages fixed by the State Government shall, in respect of those areas, be deemed to be the minimum rates of wages, payable under this notification.

(4) Workers employed on tunnel working shall be paid 20 per cent extra of the minimum wages fixed under this notification for the appropriate category.

(5) (a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work.

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement;

(d) "Highly skilled work" means work which calls for a high degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks, acquired through intensive technical or professional training, or practical work-experience for long years and also requires of a worker to assume full responsibility for the judgement or decisions involved in the execution of these tasks.

(6) The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

(7) The minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates and include also the wages for weekly day of rest.

(8) The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disable persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

ANNEXURE-I

Name of the State/ Union Territory	Class of Cities/Towns			
	A	B-I	B-2	C
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh	Hyderabad	—	Vijayawada (Bezwada),	Adoni, Anakapalle (Masulipatam), Anantapur, Bandar Bheemavaram, Chirala,

1	2	3	4	5
			Visakhapatnam (Vizagapatnam)	Chittoor, Cuddapah, Eluru, Gudivada Guntakkal, Guntur, Kakinada, Karimnagar, Khammam, Kothagudem, Kurnool, Mahbubnagar, Nandyal, Nellore, Nizamabad, Ongole, Proddatur, Rajamundry, Srikakulam Tenali, Tirupati, Vijapuri, Vizianagaram, Warangal.
Assam	...	...	Gauhati	...
Bihar	...	...	Patna, Dhanbad, Jamshedpur.	Arrah, Bettia, Bhagalpur, Bokaro Steel City, Biharshariff, Chapra, Darbhanga, Dinapur, Gaya, Hazaribagh Katihar, Monghyr, Jamalpur, Muzaffarpur, Purnea, Ranchi.
Chandigarh	...	...		Chandigarh.
Delhi	Delhi	...	..	..
Gujarat	Ahmedabad	...	Surat, Vadodara (Baroda), Bhavnagar, Rajkot.	Anand, Bnuj, Broach, Cambey, Dhoraji, Godhra, Gondal, Jamnagar, Junagarh, Kalol, Mahasana, Morvi, Nadiad, Navsari, Patan, Porbundar, Surendranagar, Veraval.
Haryana	...	...	...	Ambala, Bhiwani, Faridabad, Gurgaon, Hissar, Karnal, Kaithal, Panipat, Rohtak, Sirsa, Sonepat, Yamunagar.
Jammu & Kashmir	...	...	Srinagar, Jammu.	..
Karnataka	Bangalore	..	Hubli, Dharwar, Mysore.	Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bhadravati, Bidar, Bijapur, Chitradurga, Devanagar, Gadag Betgari, Gulbarga, Hassan, Hospet, Kolar Gold Fields, Mandya, Mangalore. Raichur, Shimoga, Tumkur.
Kerala	..	..	Cochin, Trivandrum, Alwaye, Calicat (Kozhikode).	Allepey, Badagar, Cannanore, Changanacherry, Kayamukulam, Kottayam, Palghat, Tellicherry, Trichur, Quilon.
Madhya Pradesh	...	Indore, Jabalpur	Bhopal, Bhilai, Gwalior, (Laskar)	Bilaspur, Burhanpur, Chhindwara, Damoh, Dewas, Durg, Itarasi, Khandwa, Mandsaur, Mhow (Cantt.), Morena Murwara Neemuch, Raigarh, Raipur, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain, Vidisha.
Maharashtra	Bombay	Nagpur, Poona, Pimpri-Chindwada.	Sholapur, Nasik	Achalpur Town group, Ahmednagar, Akola Amalner, Ambarnath, Amravati, Aurangabad, Barsi, Bhivandi, Bhuswal Chanda, Chandrapur, Dhulia, Dombivli, Gondia, Ichalkaranjia, Jalgaon, Jalna, Kalyan Kamptee, Khamgaon, Kohlapur, Latur, Melegaon, Nanded, Nandurbar, Nasik Road, Deolali, Pandharpur, Parbhani, Sangli-Maraj, Satara, Ulhasnagar, Yeotmal, Wardha.
Orissa		...	Rourkela	Balasore, Berhampur, Bhubaneswar, Cuttuck, Puri, Sambalpur,
Pondicherry	...		...	Pondicherry
Punjab	..	..	Amritsar, Ludhiana	Abohar, Batala, Bhatinda, Ferozepur, Hoshiarpur, Jullundur, Malerkotla, Moga Pathankot, Patiala, Phagwara.
Rajasthan		Jaipur	Ajmer	Alwar, Beawar, Bnaratpur, Bhilwara, Bikaner Churu, Ganganagar, Jodhpur, Kota, Sikar, Tonk, Udaipur.

1	2	3	4	5
Tamil Nadu	Madras	Coimbatore, Madurai.	Salem, Tiruchirapalli (Trichinopoly)	Ambur, Aruppukottai, Bodinayakanur, Chidambaram, Cuddalore, Dindigul, Erode, Guidiyatham, Kadayanallur, Kancheepuram, Keraikudi, Karur, Kumbakonam, Mayuram, Nagapattinam, Nagercoil, Palayamkottai Pollachi, Mottupalayam, Pudukkotai, Rajapalayam, Sivakasi, Srirangam, Srivilliputtar, Tambaram, Thanjavur (Tanjore), Tindivanm, Tiruneveli, Tiruppur, Tiruvannemalai, Tuticorin, Valparai, Vaniyambadi, Vellore, Villipuram, Virudhunagar.
Uttar Pradesh	...	Kanpur, Lucknow, Agra, Allahaad, Varanasi (Banaras)	Meerut	Aligarh (Koli Aligarh), Amroha, Balia, Baharaich, Banda, Barelily, Basti, Badaun, Bullandshahar, Chandausi, Dehradun, Etwan, Faizabad-cum-Ayodhya, Farrukkhabad-cum-Fatengarh, Fatehpur, Ferozabad, Gaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Haldwani-cum-Kathgodam, Haur, Hardoi, Hardwar, Hathras, Jaunpur, Jhansi, Khurja, Kasganj, Mathura, Maunathbhanjan, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Pilibhit, Rampur, Roorkee, Saharanpur, Sambhal, Shahjahanpur, Sitapur.
West Bengal	Calcutta	...	Asansol, Durgapur	Baidyabati, Bally, Banguon, Bankur, Bansbaria, Barrackpur, Basirhat, Berhampur, Bhatpara, Budge, Budge, Burdwan, Chakdaha, Chamdani, Chandernagar, Cooch Behar, English Bazar, Halishaur, Hooghly-Chinsura, Jalpaiguri, Kamarhati, Kanchrapara, Kharagpur, Krishnagar, Midnapur Nabodwip, Naihati, North Dum Dum, Panihati, Purulia, Runagnat, Rishra Santipur, Serampur, Siliguri, Titagarh, Uttarpara-Kotrung.
Goa, Daman & Diu	...	...	Goa, Marmagoa.	

[S-32019(6)/83-WC (MW)]

अधिसूचना

का० आ० 750(अ) :—कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए प्रस्ताव, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का० आ० 480 (अ०), तारीख 29 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 29 जून, 1983 के पृष्ठ 1 से 6 पर सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किए गए थे, जिनमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र 29 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित, धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 609 (अ) तारीख 21 अगस्त, 1983 को अधिक्रान्त करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (6) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों का, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट कृषि नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय है, पुनरीक्षण करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

कर्मचारियों के प्रवर्ग	प्रतिदिन मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें				
	क्षेत्र-क	क्षेत्र ख-1	क्षेत्र ख-2	क्षेत्र-ग	क्षेत्र-घ
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
1	2	3	4	5	6
अकुशल :					
(1) बेलदार (2) काफ मीप (3) पशुपालन (4) चौकीदार (5) क्लीनर (6) क्लीनर मोटर, ट्रेड, ट्रैक्टर, पशुशाला, एम टी 1, (7) कुआ खोदा एवं खनित करना, (8) डेरी कुली (9) डेरी वाला (10) स्टाक खोलना (11) ड्रेसर, (12) गाड़ीवान (बैल, खच्चर), (13) फीडर (ग्राइन्ट) सूखी घास, (14) घास काटने वाला, (15) चरवाहा, (16) मददगार (भण्डार मजदूर), (17) श्रमिक (बायलर, पशुशाला, खेती, साधारण, चढ़ाई और उतराई, बंडल बनाना, खोदा उर्वरक कटाई, विविध प्रकीर्ण जोतन, बुवाई, छपरछाना, प्रतिरोपण, निराई (18) माली, (19) मजदूर (वृक्ष संवर्धक, कम्पोस्ट, डेरी घास की चट्टा लगाना, सिंचाई, खाद चट्टा लगाना, दुग्धवक्ष, राशन वक्ष, भण्डार, मलेरिया रोधक एम आर (20) संदेशवाहक (कार्यालय), (21) चपरासी (22) सईस, (23) कूची घास बांधना और ढोना (24) लालुकाश (25) गांठे तोलना और ढोना (26) तौलने वाला (गाठ, पल्ली) (27) पानी वाला (28) अस्तबल वाला, (29) ट्रौली वाला (30) कोई अन्य प्रवर्ग, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अकुशल प्रकार के है ।	11.25	10.00	9.25	8.25	7.50
अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :					
(1) सहायक (चौधरी) (12) परिरक्षक (लाइ, व्यानास्थल, कुट्टी मशीन, छालाघास, सूखा स्टाक, अनाज थेशर, पम्प, रोगी-पशु, स्थल, अस्तबल, ग्राईसहायक पशुधन (3) सहायक (प्लम्बर), (4) परिचालक, (5) भिश्ती, (6) ड्रोडर, (7) सांड-वाला, (8) मवेशनवाला, (9) कोचवान, (10) मोची, (11) कृषक, (12) दफतरी (13) पत्र वितरक, (14) धोबी, (15) ड्रेसर, (16) फेरियर (नाल लगाने वाला), (17) फीडर, (18) फायरमैन, (19) ग्वाला, (20) हथोड़ा वाला, (21) मददगार, (लोहार), (22) मददगार (23) जमादार (संतरी), (24) जमादार, (25) खलासी, (26) माली (ज्येष्ठ), (27) मेट मिस्त्री, (28) मजदूर (शिक्षित), (29) नालबन्द, (30) तेलवाला, (31) हलवाहा, (32) चट्टा लगाने वाले, (33) पर्यवेक्षी, (34) छप्पर छाने वाले, (35) वाल्व-मैन (36) वाल्वमैन (ज्येष्ठ), (37) तौलने वाला, (38) तार काटने वाला, (39) तार मिस्त्री, टिन बेबल डालने वाला, (40) कोई अन्य, प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अर्धकुशल प्रकार के है ।	14.00	12.75	11.50	10.50	9.50
कुशल :					
(1) कारीगर (वर्ग II, III, IV), (2) लोहार (3) लोहार वर्ग II, (4) वायरलर मैन, (5) बढ़ई, (6) बढ़ई वर्ग II, (7) बढ़ई एवं लोहार, (8) चौधरी, (9) चालक, (10), चालक (ईंजन, ट्रैक्टर, एम टी , मोटर), (11) बिजली मिस्त्री, (12) फिटर, (13) राज, (14) राज (वर्ग II), (15) मशीन हैंड, वर्ग II, III, IV, (16) मशीन वाला, (17) मेट श्रेणी I (ज्येष्ठ), (18) मैकेनिक, (19) दुग्ध राइटर, (20) मिस्त्री, प्रधान (21) मोल्डर (22) उपस्थिति राइटर, (23) प्रचालक (नलकूप), (24) पेंटर, (25) प्लम्बर (नलसाज), (26) वैल्डर, (27) गाड़ीवाला, (28) तार मिस्त्री, (29) कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकार के हैं ।	17.75	16.25	14.50	13.50	16.00
अति कुशल :					
(1) कारीगरी वर्ग-1, (2) लोहार वर्ग-1, (3) बढ़ई वर्ग-1, (4) मशीन हैंड वर्ग-1, (5) राज वर्ग-1, (6) मैकेनिक ज्येष्ठ, (7) कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अति कुशल प्रकार के हैं ।	22.25	20.25	18.50	16.50	15.25

1	2	3	4	5	6
लिपिक वर्ग :					
(1) सहायक (फार्म), (2) सहायक, (3) रोकड़िया, (4) लिपिक, (5) मुंशी, (6) रजिस्टर पाल, (7) स्टोरकीपर (भण्डारी), (8) समय पाल (टाइम कीपर), (9) टाइपिस्ट, (10) किसी भी नाम से कहलाने वाले कोई अन्य प्रवर्ग जो लिपिक वर्ग प्रकार के हैं	17.75	16.25	14.50	13.50	12.00

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

(1)(क) क्षेत्र ए०बी०-1, बी०-2 और सी० में वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जो इस अधिसूचना के उपाबन्ध में ऐसे क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट है और जिनमें निगमों या नगर पालिकाओं या छावनी, बोर्डों या किसी विशिष्ट स्थान को अधिसूचित क्षेत्र समिति के उपान्तक्षेत्र से 8 किलो-मीटर की दूरी के अन्दर के सभी स्थान सम्मिलित होंगे तथा क्षेत्र सी० में वे सभी स्थान समाविष्ट होंगे जो उपाबन्ध में अंकित नहीं हैं और जिन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का विस्तार है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को त० प्र० भत्ते के संदाय के प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गए या ऊंची श्रेणी में लाए गए स्थानों को भी उपाबंधों में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए उन्हीं तारीखों से जोड़ा गया समझा जाएगा ।

(2) जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें कृषि के अनुसूचित नियोजन में कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा जिसके लिए यह समुचित सरकार है नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम है, वहां इस अधिसूचना के अधीन न्यूनतम मजदूरी के रूप में उच्चतम दर दी जाएगी ।

(3)(क) 'अकुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ।

(ख) 'अर्धकुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और उसके अन्तर्गत पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ।

(ग) 'कुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

(घ) 'अति कुशल कार्य' से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसमें कतिपय कार्यों के करने में परिपूर्णता की ऐसी उच्च मात्रा और पूर्ण क्षमता की अपेक्षा है जो गहन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या लम्बे समय तक व्यावहारिक कार्य के अनुभव से प्राप्त की गई है और जिसमें कर्मकार से यह भी अपेक्षित है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक निर्णय विनिश्चय करे इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार हो ।

(4) मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसमावेशी दरों के रूप में होंगी और उनके अन्तर्गत साप्ताहिक विश्राम दिन की मजदूरी भी होगी ।

(5) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होंगी ।

(6)(क) 18 वर्ष से कम के व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मकारों को संदेय दरों का 80 प्रतिशत होंगी ।

(ख) निर्योग्य व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के समयोग व्यक्तियों की दरों के बराबर होंगी ।

उपबंध—1

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	नगर			उपनगरों का वर्ग
	क	ख-1	ख-2	ग
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	—	विजयवाड़ा (बेजवाड़ा), विशाखापत्तनम (विजयगापट्टनम)	अंदोनी, अंकापल्ले, अनन्तपुर, बन्दार (मैसोलीपत्तनम), भीमावरम, चिराला, चित्तूर कुडापाह, एलूरु, गुडी वड़ा, गुटाकल, गुन्तूर, काकीनाडा, करीम नगर, खम्मान, कोथागुडम, करनूल, महबूबनगर, नन्दयाल, नैलोर, निजामाबाद, ओंगोल, प्रोद्दातूर, राजाहमुन्दरी, श्रीकाकुलम, तेनाली, तिरुपति, विजयपुरी, विजयनगरम, वारंगल ।
असम	—	—	गोहाटी	

1	2	3	4	5
बिहार	—	—	पटना धनबाद जमशेदपुर	आरा बेतिया भागलपुर, बिहार शरीफ, बोकारो-इस्पात नगर, छपरा, दरभंगा, दानापुर, गया, हजारीबाग, कटिहार, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रांची ।
चण्डीगढ़	—	—	—	चण्डीगढ़
दिल्ली	दिल्ली	—	—	—
गुजरात	अहमदाबाद	—	सूरत, बड़ोदरा (बड़ौदा) भावनगर, राजकोट	आनन्द, भुज, भड़ोच, कैम्बे, धोराजी, गोधारो, गोंडल, जामनगर, जूनागढ़, कलोला, मेहसाना, मोरबी, नाडियाड, नवसारी, पाटन, पोरबन्दर, सुरेन्द्रनगर, वेरावल ।
हरियाणा	—	—	—	अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांवा, हिसार करनाल, कैथल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर ।
जम्मू-कश्मीर	—	—	श्रीनगर, जम्मू	
कर्नाटक	बंगलौर	—	हुबली, धारवाड़ मैसूर	बागलकोट, बेलगांव, बैल्लरी, भद्रावती, बिदार, बीजापुर, चित्रदुर्ग, दावणगिरी, गदाग-बेतगारी, गुलबर्ग, हासन, होस्पेट, कोलार, मर्कारा क्षेत्र, मांड्या, मंगलौर, रायचूर, शिमोगा, टुमकुर ।
केरल	—	—	कोचीन, त्रिवेन्द्रम, आलवे, कालीकट (कोजीकोड)	अलेप्पी, बाड़ागारा, कन्नानूर, चंगना चेरी, कायमकुलम, कोट्टयम, पालघाट, तेलीचेरी, त्रिचुर, क्वीलोन ।
मध्य प्रदेश	—	इंदौर,	जबलपुर ग्वालियर (ग्वालियर) सिवाई, भोपाल	बिलासपुर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, दुर्ग, इटारसी, खंडवा, मंदसौर, महू (छावनी), मुरवारा, मुरैना, रामपुर, सीधी, रायगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना उज्जैन, विदिशा ।
महाराष्ट्र	मुम्बई	नागपुर, पुणे, पिम्परी छिंदवाड़ा	शोलापुर, नासिक	अचलपुर, उपनगर, समूह, अहमदनगर, अकोला अमलनेर, अम्बरनाथ, अमरावती, औरंगा-बाद, बारसी, भिवंडी, बुलधाना, चांदा, चन्द्रपुर, धालिया, डोम्बीवली गोदिया, इचलल करंजिया, जलगांव, जलना, कल्याण, कैम्टी, खामगांव, कोल्हापुर, लातुर, मरलेगांव, नांदेड़, नन्दुरबार, नासिक मार्ग, देवलाली, पन्ढरपुर, परभनी, सांगली, मराज, सतारा, उल्हास नगर, वोलमाल, वर्धा ।
उड़ीसा	—	—	राउरकेला	बालासौर, बिहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, पुरी, सम्बलपुर ।
पांडिचेरी	—	—	—	पांडिचेरी
पंजाब	—	—	अमृतसर, लुधियाना	अबोहर, बटाला, भटिंडा, फिरोजपुर, होशियार-पुर, जालंधर, मलेर-कोटला, मोगा, पठान-कोट, पटियाला, फगवाड़ा ।

1	2	3	4	5
राजस्थान	--	जयपुर	अजमेर	अलवर, डूंगर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जोधपुर, कोटा, सीकर, टोंक, उदयपुर ।
तमिलनाडु	मद्रास	कोयम्बतूर, मदुराई	सलेम, तिरुचिरापल्ली (त्रिचिनोपोली)	अम्बूर, अलगाकोट्टाई, चिदा बरम, चेंगी नायकनूर, कुडालोर, डिंडीगुल, इरोड, गुडियाथान कडायानल्लूर, कांचीपुरम, करईकुडी, कलल, कुम्बकोनम, मदुरम, कोविलपट्टी, मेट्टूपालयम, नागापट्टीनम, नगरकोइल, पलायमकोट्टाई, पोलच्ची, पुडुकोट्टाई, राजापलयम, सिवाकाशी, श्रीरंगम, श्रीविल्लीपुत्तुर, शोलवरम, तंजावूर, (तंजोर) तिंडीवनम तिरूने लवेली, तिरुप्पुर, तिरुवन्नामलाई, तुतीकोरिन, वालपराई, वनियम्बाडी, वेगारे, विलपुरम, विरुद्ध नगर ।
उत्तर प्रदेश	--	कानपुर, लखनऊ आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी (बनारस)	मेरठ	अलीगढ़ (कोयल अलीगढ़), अमरोहा, बलिया, बहराइच, बांदा, बरेली, बस्ती, बदायूं, बुलन्दशहर बदौसी, देहरादून, इटावा, फैजाबाद, एवं अयोध्या, फर्रुखाबाद एवं फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हल्दवानी एवं काठगोदाम, हापुड़, हरदोई, हरिद्वार, हाथरस, जौनपुर, झांसी, खुर्जा, काशगंज, मथुरा, मऊनाथ, भंजन, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर रुड़की, सहारनपुर, सम्भल, शाहजहांपुर सीतापुर ।
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	—	आसनसोल, दुर्गापुर	बैरकपुर, बली, बनगांव, बंकरा, बांसबेरिया, बैरकपुर, बशीरहट, बेरहामपुर, भाटापारा, बज-बज, बर्दमान, चकदहा, चम्पदानी, चन्दर-नगर, कूचबिहार, इंगलिश बाजार, हाली-शहर, हुगली, चिनसुरा, जलपाईगुड़ी, कमरहटी, कांचनापारा, खड़गपुर, कृष्णनगर, मिदनापुर, नवाबद्वीप, नैहाटी, उत्तरी-दम-दम, पानीहाटी, पुरुलिया, रानाघाट, रिशरा, शन्तिपुर, सेरामपुर, सिल्लीगुड़ी, टीटागढ़, उलारपारा, कोटरंग ।
गोवा, दमण और दीव	—	—	गोवा, मरमुगोवा	

[संख्या एस०-32019/7/83-डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू० I]

S.O. 750(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in the employment in agriculture were published as required by Clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 6 to 10 of the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 29th June, 1983 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) No. S.O. 480(E) dated the 29th June, 1983 for the information of, and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 29th June, 1983;

And whereas, the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 609 (E) dated the 21st August, 1982 the Central Government after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in Column (2) to (6) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the employment in agriculture as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Categories of employees	All inclusive minimum rates of wages per day									
	Area A		Area B-1		Area B-2		Area C		Area D	
	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
1	2		3		4		5		6	
Unskilled										
1. Beldar; 2. Calf boy; 3. Cattleman; 4. Chowkidar; 5. Cleaner; 6. Cleaner (motor, shed, Tractor, Cattle Yard, M.T.) 7. Coolecting loose fodder; 8. Dairy cellie; 9. Dairyman; 10. Dismantling stocks; 11. Dresser, 12. Driver (bullocks, mule); 13. Feeder (adult) hay; 14. Grass cutter; 15. Grazier; 16. Helper (Store-mazdoor); 17. Labourer; (boiler, Cattle yard, Cultivation; General; Loading and unloading Bundling; Carting; Fertilizers harvesting; Miscellaneous; Seeding; Sowing; Thatching; Transplating; Weeding); 18. Mali; 19. Mazdoor (Arboriculturist); Compost, Daury's haystaking; Irrigation; Manure; Stacking; Milk room; Ration room; Store; Anti-Malaria; M.R.; 20. Messenger (Office); 21. Peon, 22. Syce; 23. Tying & Carrying loose hay; 24. Sweeper; 25. Weighing and Carrying bales; 26. Weighman (bales; pally); 27. Waterman; 28. Stable man; 29. Trolly man; 30. Any other categories by whatever name called which are of unskilled nature	11	25	10	00	9	25	8	15	7	50
Semi-skilled/Unskilled supervisory										
1. Assistant (Chowdhary); 2. Attendant (bull, calving lines; chaff cutter; Hostel; Dry stock; Grain crusher; Pump; Sick-line, Stable; Yard; Stock) 3. Assistant (Plumber) 4. Attendant; 5. Bhisti; 6. Brander; 7. Bullman; 8. Butterman; 9. Coachman; 10. Cobbler; 11. Cultivator; 12. Daftry; 13. Delivery man; 14. Dobi; 15. Dresser; 16. Farrla; 17. Feeder; 18. Fireman; 19. Gowala; 20. Hammerman; 21. Helper (Blacksmith); 22. Helper; 23. Jamadar (stand); 24. Jamadar; 25. Khalasi; 26. Mali (Senior); 27. Mate/Mistry; 28. Mazdoor (literate); 29. Nalband; 30. Oilman; 31. Ploughman; 32. Stackers; 33. Supervisor; 34. Thatcher; 35. Valveman; 36. Valveman (senior); 37. Weighman; 38. Wire cutter; 39. Wireman fixing tin cables; 40. Any other categories by whatever name called which are of a semi-skilled nature	14	00	12	75	11	50	10	50	9	50
Skilled :										
1. Artificier (Class II, III, IV); 2. Blacksmith; 3. Blacksmith (Class II); 4. Boiler man; 5. Carpenter; 6. Carpenter Class II; 7. Carpenter-cum-Blacksmith; 8. Chowdhary; 9. Driver; 10. Driver (Engine Tractor; M.T.; motor); 11. Electrician 12. Fitter; 13. Mason; 14. Mason Class II; 15. Machine hand (Class II, III, IV); 16. Machineman; 17. Mate Gr. I (Senior); 18. Mechanic; 19. Milk Writer; 20. Mistry (Head); 21. Moulder; 22. Muster writer; 23. Operator; (tube well); 24. Painter; 25. Plumber; 26. Welder; 27. Upholsterer; 28. Wireman; 29. Any other categories by whatever name called which are of a skilled nature	17	75	16	25	14	50	13	50	12	00

1	2	3	4	5	6
Highly skilled :					
1. Artificier Class I; 2. Blacksmith Class I; 3. Carpenter Class I; 4. Machine hand Class I; 5. Mason Class I; 6. Mechanic (Senior); 7. Any other categories by whatever name called which are of highly skilled nature	22.25	20.25	18.50	16.50	15.25
Clerical :					
1. Assistant (Farm); 2. Assistant; 3. Cashier; 4. Clerk; 5. Munsi; 6. Register Keeper; 7. Storekeeper; 8. Time Keeper; 9. Typist; 10. Any other categories by whatever name called which are of a clerical nature	17.75	16.25	14.50	13.50	12.00

Explanation : For purposes of this notification :—

1. (a) Areas A, B-1, B-2 and C mentioned in the annexure to this notification shall respectively comprise all the places as specified in the said annexure as such areas, and include all places within a distance of eight kilometres from the periphery of a Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular place, and areas; D shall comprise of all other places not mentioned in the annexure and to which the Minimum Wages Act, 1948 extends.

(b) The places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of city compensatory allowance to Central Government employees shall also be taken to be added from such dates for the purpose of classification specified in the annexure.

2. Where in any area the minimum rates of wages fixed under this notification are lower than the minimum rates of Wages fixed by the State Government for employees in the scheduled employment of agriculture in respect of which it is the appropriate Government, the higher rate shall be payable as minimum wage under this notification.

3. (a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job ;

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and, includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" means which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement;

(d) "Highly skilled" work means work which calls for a degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks acquired through intensive technical or professional training or practical work experience for long years also requires of a worker to assume full responsibility for the judgement or decisions involved in the execution of these tasks.

4. The minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates; and include also the wages for the weekly day of rest;

5. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;

6. (a) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age shall be 80 per cent of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

(b) The minimum rates of wages for disabled persons shall be equal to those of able bodied persons of the appropriate category.

ANNEXURE-I

Name of the State/ Union Territory	Class of Cities/Towns			
	A	B-1	B-2	C
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh	Hyderabad	...	Vijayawada (Bezwada), Visakhapatnam (Vizagapatnam).	Adoni, Anakapalle, Anantapur, Bandar (Masulipatam), Bheemavaram, Chirala, Chittoor, Cuddapah, Eluru, Gudivada, Guntakkal, Guntur, Kakinada, Karimnagar, Khammam, Kothagudem, Kurnool, Mahbubnagar, Nandyal Nellore Nizamabad, Ongole, Proddatur, Rajamundry, Srikakulam Tenali, Tirupati, Vijapuri, Vizianagaram, Warangal.

1	2	3	4	5
Assam	...	...	Gauhati	...
Bihar	..	...	Patna, Dhanbad, Jamshedpur	Arrah, Bettia, Bhagalpur, Bokaro Steel City, Bihariariff, Chapra, Darbhanga, Dinapur, Gaya, Hazaribagh Katihar, Mongnyr, Jamalpur, Muzaffarpur, Purnea, Ranchi.
Chandigarh	...	..	..	Chandigarh
Delhi	Delhi	...	..	..
Gujarat	Ahmedabad	..	Surat, Vadodara (Baroda), Bhavnagar, Rajkot.	Anand, Bhuj, Broach, Cambey, Dhoraji, Godhra, Gondal, Jamnagar, Junagarh, Kalol, Mehsana, Morvi, Nadiad, Navsari, Patan, Porbandar, Surendranagar, Veraval.
Haryana	..	..	..	Ambala, Bahwani, Faridabad, Gurgaon, Hissar, Karnal, Kaithal, Panipat, Rohtak, Sirsa, Sonepat, Yamunanagar.
Jammu & Kashmir	..	..	Srinagar, Jammu	...
Karnataka	Bangalore	...	Hubli, Dharwar, Mysore.	Bagalkot, Belgaum, Bellary, Bhadravati, Bidar, Bijapur, Chitradurga, Devanagar, Gadag, Betgari, Gulbarga, Hassan, Hospet, Kolar, Fields Gold, Mandya, Mangalore, Raichur, Shimoga, Tumkur.
Kerala	...	...	Cochin, Trivandrum Alwaye, Calicut, (Kozhikode).	Allepey, Badagara, Cannanore, Changanacherry, Kayamkulam, Kottayam, Palghat, Tellicherry, Trichur, Quilon.
Madhya Pradesh	...	Indore, Jabalpur	Bhopal, Bhilai, Gwalior (Laskar).	Bilaspur, Burhanpur, Chhindwara, Damoh, Dewas, Durg, Itarsi, Khandwa, Mandsaur, Mhow (Cantt.). Morena, Murwara, Neemuch, Ralgarh, Raipur, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Ujjain, Vidisha.
Maharashtra	Bombay	Nagpur, Poona, Pimpri-Chindwada.	Sholapur, Nasik	Achalpur town group, Ahmednagar, Akola Amalner, Ambarnath, Amravati, Aurangabad, Barsi, Bhivandi, Bhusawal, Chanda, Chandrapur, Dhulia, Dombivli, Gondia, Ichalkaranjia, Jalgaon, Jalna, Kalyan, Kamptee, Khamgaon, Kolhapur, Latur, Malegaon, Nanded, Nandurbar, Nasik Road, Deolali, Pandharpur, Parbhanj, Sangli-Maraj, Satara, Ulhasnagar, Yeotmal, Wardha.
Orissa	...	...	Rourkela	Balasore, Berhampur, Bhubanaswar, Cuttuck, Puri, Sambalpur.
Pondicherry	...	...	...	Pondicherry.
Punjab	...	...	Amritsar, Ludhiana.	Abohar, Batala, Bhatinda, Ferozepur Hoshiarpur, Jullundur, Malerkotla, Moga, Pathankot, Patiala, Phagwara.
Rajasthan	...	Jaipur	Ajmer	Alwar, Beawar, Bharatpur, Bhilwara, Bikaner, Churu, Ganganagar, Jodhpur, Kota, Sikar, Tonk, Udaipur.

1	2	3	4	5
Tamil Nadu	Madras	Coimbatore Madurai.	Salem, Tiruchirapalli (Trichinopoly)	Ambur, Aruppukottai, Bodinayakanur, Chidambaram, Cuddalore, Dindigul Erode, Gudiyatham, Kadayanallur, Kancheepuram, Karaikudi, Karur, Kumbakonam, Nayuram, Nagapattinam, Nagercoil, Palayamkottai, Pollachi, Mettupalayam, Pudukkotai, Rajapalayam, Sivakasi, Srirangam, Srivilliputtar, Tambaram, Thanjavur (Tanjore), Tindivanam, Tirunelveli, Tiruppur, Tiruvannamalai, Tuticorin, Valparai, Vaniyambadi, Vellore, Villipuram, Virudhunagar.
Uttar Pradesh	...	Kanpur, Lucknow, Agra, Allanabad, Varanasi (Banaras)	Meerut	Aligarh (Koli Aligarh), Amroha, Ballia, Bahraich, Banda, Bareilly, Basti, Badaun, Bullandshahar, Chandausi, Dehra Dun, Etawah, Faizabad-cum-Ayodhya, Farrukhabad-cum-Fatehgarh, Fatehpur, Ferozabad, Gaziabad, Ghazipur, Gonda, Gorakhpur, Haldwani-cum-Kathgodam, Hapur, Hardoi, Hardwar, Hathras, Jaunpur, Jhansi, Khurja, Kasganj, Mathura, Maunath-Bhanjan, Mirzapur Moradabad, Muzaffarnagar, Pilibhit, Rampur, Roorkee, Saharanpur, Sambhal, Shahajahanpur, Sitapur.
West Bengal	Calcutta	...	Asansol, Durgapur	Baidyabati, Bally, Bargaon, Bank Bansbaria, Barrackpur, Basirhat, Berhampur, Bhatpara, Budge Budge, Burdwan, Chakdaha, Chamdani, Chandernagore, Cooch-Bihar, English Bazar, Halishahar, Hooghly-Chinsura, Jalpaiguri, Kamarhati, Kanchrapara, Kharagpur, Krishnanagar, Midnapur, Nabadwip, Naihati, North Dum Dum, Panihati, Purulia, Ranaghat, Rishra Santipur, Serampur, Siliguri, Titagarh Uttarpara-Kotrung.
Goa, Daman & Diu			Goa, Marmagao	

[No. S-32019(7)/83-WC(MW)]

का०आ० 751(अ):—रेड आक्साइड खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 450 (अ) तारीख 14 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 24-25 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 2 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 634(अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रांत करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् रेड आक्साइड के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी को न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
(1) बरमर (2) केरटेकर (3) चौकीदार (4) क्लीनर (5) ड्रेसर (6) श्रमिक, (7) लदाई करने वाला (8) मजदूर (इत्यादि) (9) रेजबाहक (10) नम्बर टेकर, (11) अकिंत बाय (12) चपरासी (13) पिकर (पुरुष/स्त्री) (14) छांटने वाला (15) माइकस (पुरुष/स्त्री) (16) ट्रामर (17) ट्रालीमैन (18) ट्रोली ट्रिपर (19) पानी ले जाने वाला (20) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो जो अकुशल हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
(1) आया, (2) बैंकमैन (3) वेबसमैन, (4) रोलरक्षक (5) चेकर (6) धोबी, (पुरुष/स्त्री) (7) रसोइया (8) फायर मैन, ग्रीजर (9) ग्राइन्डर (10) ओजर (11) हथौड़े वाला (12) मददगार बढ़ई, ड्रोलर स्नास्टर, केयर आप रेटर (13) जमादार (14) खलासी, बुलडोजर आदि (15) लैम्प कक्ष पारेषाक (16) मेट/ मेल्ठो (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र के बिना), (17) पाइपर (18) स्वाहन्डुमैन (19) सेम्पलर, (20) स्टोर मैन (21) खनक (22) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाता हो जो अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
(1) लोहार (2) प्लास्टर (शार्ट फायरर) (3) बढ़ई (4) चार्ज मैन (5) रसायनज्ञ (6) कम्पाउन्डर (7) नक्शानवीस (8) ड्रिलर (9) ड्राइवर, (10) बिजली मिस्त्री (11) फिटर (12) फोरमैन (13) खान, (14) मैकेनिक (15) मिडवाइफ (16) मिस्त्री (17) सांचागार (18) आपरेटर (19) ओवर-सियर (20) रंगसाज (21) पाइप फिटर (22) टिनस्मिथ (23) पर्यवेक्षक (24) सर्वेक्षक (25) टिम्बरमैन (26) सरादी (27) वेल्डर (28) वायरमैन (29) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, कुशल हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय:	
(1) रोकड़िया (2) लिपिक (3) रजिस्टर कीपर (4) भण्डारी (5) ड्रेसर (6) टाइम कीपर (7) टंकक (8) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो लिपिकीय हैं	15.00 रुपये

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. मजदूरी की न्यूनतम दरें सम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और अक्षमवर्ग व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग वयस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी जैसा कि ऊपर अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिशु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा किसी कर्मचारी को मजदूरी की विद्यमान दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसी उच्चतर दरें मजदूरी की न्यूनतम दरें मानी जाएंगी।

6. वे श्रमिक "खनिक" माने जाएंगे, जो रेड आक्साइड अयस्क के उत्खनन, तोड़ने/वर्गीकरण तथा ड्रेसिंग-कार्य में नियोजित हैं तथा रेड-आक्साइड बेड/रीफ पर इसके अन्य आनुषंगिक कार्य भी उसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं।

[एस०-32019/3/83-डब्ल्यू०सी० (एम०डब्ल्यू)]

S.O. 751(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in redoxide mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 25-26 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 450(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour Number S.O. 634(E) dated the 2nd September, 1982 the Central Government after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (1) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in redoxide mines as specified in the corrsponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
Unskilled :	
(1) Butler, (2) Caretaker, (3) Chowkidar, (4) Cleaner, (5) Dresser, (6) Labourer, (7) Loader, (8) Mazdoor, (male/female), (9) Messenger, (10) Number-taker, (11) Office boy, (12) Peon ,(13) Picker (male/female), (14) Sorter, (15) Sweeper (male/female), (16) Trammer, (17) Trollyman, (18) Trolly triper, (19) Water carrier, (20) Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled/unskilled supervisory:	
(1) Ayah, (2) Bankman, (3) Brakesman, (4) Cash guards, (5) Checker, (6) Dhobi (male/female), (7) Greasor, (8) Fireman, (9) Grinder, (10) Cook, (11) Hammerman, (12) Helper (carpenter, Driller, Blater, crusher operator), (13) Jamadar, (14) Khalasi (Bulldozer etc.), (15) Lamp room incharge, (16) Mate/Mali (without competency certificate under Metalliferrous Mines Regulations, 1961), (17) Oiler, (18) Pointsman, (19) Sampler, (20) Storeman (21) Miner, (22) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory,	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled :	
(1) Blacksmith, (2) Blaster (shot-firer), (3) Carpenter, (4) Chargeman (6) Chemist, (6) Compounder, (7) Draughtsman, (8) Driller, (9) Driver, (10) Electrician, (11) Fitter, (12) Foreman, (13) Mason, (14) Mechanic, (15) Midwife, (16) Mistry, (17) Moulder, (18) Operator, (19) Overseer, (20) Painter, (21) Pipefitter, (22) Supervisor, (23) Surveyor, (24) Tin-smith, (25) Timberman, (26) Turner, (27) Welder, (28) Wireman, (29) Other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical :	
(1) Cashier, (2) Clerk, (3) Register keeper, (4) Store-keeper, (5) Tracer, (6) Time-keeper, (7) Typist, (8) Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations for the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

(4) (a) "unskilled" work is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "semi-skilled" work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled" work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the existing rates of wages of any employee, based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein,

the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

(6) Workers engaged in excavating, breaking, sorting and dressing of redoxide ores and also for doing other works incidental thereto performed by the same person at red oxide bed roof shall be regarded as "Miner".

[S-32019/3/83-WC(MW)]

का० आ० 752 (अ).—क्रोमाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों की संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 440 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (2) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 3-4 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 638 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् क्रोमाइट खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इसके उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
क्रोमाइट खानें	
अकुशल :	
आया, परिचारिका, बेकर (हस्त चालित उपकरण का प्रयोग करने वाला), बेलदार, (कैन्टीन), चौकीदार, क्लीनर, रसोइया, मददगार, हुथोड़ा चलाने वाला, लदाई करने वाला, लारी मददगार, मजदूर (पुरुष, स्त्री), सर्वेक्षक, खलासी, आफिस बाय, चपरासी/संदेशवाहक, सफेस सेंडर, साइकय (पुरुष/स्त्री), चौकीदार, पानी वाला, पानी ले जाने वाला, लकड़ी काटने वाला, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हों।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
विस्फोटक, सहायक फिटर, सहायक, ड्रिल प्रचालक सहायक, परिचारक "ग" प्रवर्ग सहायक मैकेनिक कैस बैक्समैन, ब्रेकर (यांत्रिक उपकरणों के लिए), का प्रयोग करने वाला, घटजर, सह-रसोइया, अभिरक्षक (रसोइया, चेकर, चार्जरूम सहायक, औषधालय परिचारक, मददगार, बढ़ई), लोहार, मिस्त्री मैकेनिक, हुथोड़ा चलाने वाला, लैम्प रूम परिचारक, पम्प परिचारक, मालो, खनन मैट, खनक, मैकेनिक, मददगार मेट रनर, क्वार्टरमैन, पारसी, टेलीफोन परिचालक, टिम्बरमैन, अप्रशिक्षित, केब परिचारक, रोशनदल, पंखा परिचारक, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
एयर विच हालेज प्रचालक, आटो बिजली मिस्त्री, पेंटर, लोहार, विस्फोटक, संपोडित प्रचालक/चालक, कंक्रीट मिश्रक प्रचालक, चार्जमैन, बढ़ई, कम्पाउंडर, कैमिस्ट, ड्रिल प्रचालक, ड्राईवर, आटो बिजली मिस्त्री, बेलर प्रचालक, फार्मेसी, फिटर, फेरी ड्राईवर, होइस प्रचालक/चालक, आई एम. सी. ओ. ड्राईवर, इंजीनियरी ड्राईवर, लोको ड्राईवर, लोडर, प्रचालक, लाईन मैन मैकेनिक, मिस्त्री, मिडवाइफ, मिस्त्री पम्प प्रचालक/चालक, कुशल मजदूरी, पर्यवेक्षी मैकेनिक/पर्यवेक्षी बिजली पत्थर ब्लिस्ट प्रचालक, सर्वेक्षक, ज्येष्ठ मैकेनिक, टर्नर, टिम्बर मिस्त्री, वायर मैन, वेल्डर, वर्क मिस्त्री, इंजन चालक, पहरा और निगरानी प्रभारी, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल हैं।	15.00 रु०
लिपिकीय :	
लेखाकार, सहायक लिपिक, मैगजीन लिपिक, रोकड़िया, मुंशी, अभिलेखापाल/फाईल, लिपिक, भण्डारी, आशुलिपिक, टाईमकीपर, टंकक, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो लिपिकीय हैं।	15.00 रु०

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(1) (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो

कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

2. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. मजदूरी की न्यूनतम दर ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है।

4. जहां संविदा या करार आदि पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर है वहां ऐसी उच्चतम दरें संदेय की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और अक्षमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

6. क्रोमाइट खान में काम करने वाला श्रमिक, जो उत्खनन और क्रोमाइट अयस्क हटाने तथा इससे सम्बद्ध कार्य में लगा है, "खनक" माना जाएगा।

[एस 32019(3)/83-डब्ल्यू सी (एम-डब्ल्यू)]

S.O. 752(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in chromite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 4-5 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 440(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objection and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 638(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in chromite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
UNSKILLED	
Ayah, Attendant, Breaker (using manual appliances), Beldar (canteen), chowkidar, cleaner, cook-helper, hammerman, loader, lorry helper, Mazdoor (male/female), Survey khalasi, Sweeper (male/female), Surface lander, Office boy, Watchman, Waterman, Water Carrier, Peon, Messenger, Wood cutter, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
SEMI-SKILLED/UNSKILLED SUPERVISORY	
Assistant to balster, Assistant to fitter, Assistant drill operator, Attendant 'C' category, Assistant mechanic, Banksman, Breaker (using mechanical appliances), Butler-cum-cook, Caretaker, Cook, Checker, Charge room Assistant, Dispensary attendant, Helper (carpenter, blacksmith, mason, mechanic, (mining), Hammerman, Miner, Lamp room attendant, Pump attendant, Mali, Mining mate, Mechanic helper, Mail runner, Points-man, Sampler, Telephone Attendant, Timberman, Untrained creche attendant, Ventilation fan attendant. Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled category.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
SKILLED	
Airwinch haulage operator, Auto-electrician, Painter, Blacksmith, Blaster, Compressor operator/Driver, Concrete mixer operator, Chargeman, Carpenter, Compounder, Chemist, Drill operator, Drill mechanic, Driver auto, Electrician, Wireless Operator, Foreman, Fitter, Ferry driver, Hoist operator/Driver, IMCO driver, Issuer Lorry driver, Loco driver, Loader operator, Lineman, Mechanic, Mason, Midwife, Mistry,	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)

1	2
Pump operator/Driver, Skilled mazdoor, supervisor (Mechanic), Supervisor Electrical, Stone crusher operator, Surveyor, Senior Mechanic, Turner, Timber Mistry, Wireman, Welder, Work Mistry, Mining engine Driver, Incharge of watch and ward. Other categories by whatever name called which are skilled.	
CLERICAL	
Accountant, Assistant, Clerk, Magazine clerk, Cashier, Munshi, Record keeper/File clerk, store keeper, Stenographer, Timekeeper, Typist. Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanation: For the purpose of this notification:—

(1) (a) 'unskilled work' is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) 'semi-skilled work' is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) 'skilled work' is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(2) The minimum rates of wages fixed are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also includes the wages payable or the weekly day of rest.

(3) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by the contractors also.

(4) Where the prevailing rates of wages based on contract, agreement etc. are higher than the rates notified under the Act, the higher rates would be protected and treated as minimum wages.

(5) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

923 GI/83—4

(c) A worker in a chromite mine who is engaged in extraction and removal of chromite ores as well as incidental jobs shall be designated as 'Minor'.

[No. S-32019(3)|83-WC(MW)]

का० आ० 753 (अ):—तांबा खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों की संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11), की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 451 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 26-27 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए हैं ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 637 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात तांबा खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
माया, ब्रेकर (हस्तचालित साधनों का उपयोग करने वाले), चौकीदार, क्लीनर, रसोइया, मददगार, हथौड़ा चलाने वाला, ट्रामर, मजदूर (पुरुष या महिला) आफिसबाय, चपरासी/संदेशवाहक, पानी वाला, सर्वेक्षक, खलासी, झाड़ूकश (पुरुष/महिला) प्रहरी, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
विस्फोटकर्ता का मददगार, फिटर का मददगार, सहायक ड्रिल प्रचालक, ब्रेकर, (यांत्रिक साधनों का उपयोग करने वाला), बढ़ई और रसोइया, चैकर, औषधालय, परिचर, मददगार, (बढ़ई,	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

1	2
लोहार, राज, मैकेनिक, खनन) खनक*, (लैम्प रूम परिचर, पम्प परिचर मार्की, खनन मेट, पाईटग-मैन, नमूना लेने वाला, टेलीफोन परिचर, अप्रशिक्षित शिशुकक्ष परिचर, संचालन पंखा परिचर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल या अकुशल पर्यवेक्षी है ।	
कुशल	
वायु विच, कर्षण प्रचालक, आटो, बिजली मिस्त्री, पेन्टर, लोहार, विस्फोटकर्ता, संपीडित प्रचालक, कंक्रीट मिश्रण प्रचालक, चार्जमैन, फिटर, पैरो चालक, उत्तोलक चालक, लाईन मैन, मैकेनिक, राज, मिश्रवाहक, मिस्त्री, पम्प प्रचालक, कुशल मजदूर पर्यवेक्षक (मैकेनिक), प्रस्तर वनिस्त्र प्रचालक, इमकों चालक, लोको चालक, निमकी लोडर आपरेटर, सर्वेक्षक, टर्नर, काष्ठ मिस्त्री, वायरमैन, वेल्डर, कार्य मिस्त्री, वाईडिंग इंजन चालक, भार साधक निगरानी, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल है ।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय	
लेखापाल, सहायक लिपिक, पत्रिकालिपिक, रोकड़िया, मुंशी, अभिलेखापाल/फाईल लिपिक, भंडारी टाईम कीपर, आशुलिपिक, टंकक, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय है ।	15.00 रुपए

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,—

1. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें बहुत कुशलता अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

2. मजदूरी की प्रस्तावित न्यूनतम दरें वे सर्वसम्मिलित दरें है जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं ।

4. जहां संविदा या करार या आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरों से इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी ।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी ।

6. ताम्र खान में काम करने वाले श्रमिक जो बेलचों लोहे की कड़ाहियों आदि जैसे विभिन्न उपस्करों के प्रयोग से माईनकार य, स्कपर पथ या स्किप आदि में विस्फोटित ताम्र अयस्क, अपशिष्ट या कूड़ा-करकट साफ करके ताम्र अयस्क, के निकालने, अपनी गतिविधि सुविधाजनक बनाने के लिए बड़े खण्डों को तोड़ने और या कूड़ा करकट अपशिष्ट सफा करने और/या जब आवश्यक हो छड़ों का प्रयोग करके लूज अयस्क नीचे गिराने की प्रक्रिया में सीधे अन्तर्गस्त है और ऐसे श्रमिक भी जो न्यूनाधिक इसी प्रकार का कार्य करते हैं; को "खनक" माना जाएगा ।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू)]

S.O. 753(E),—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in copper mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 27-28 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 451(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 637(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revised the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in copper mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled	
Ayah, Breaker (using manual appliances), Beldar (canteen), Chowkidar, Cleaner, Cook-helper, (Ham-	Rs. 9.75 (for work above ground)

1	2
merman, Trammer, Mazdoor (male or female), Office-boy, Peon/ Messenger, Survey Khalasi, Sweeper, (male or female), Watchman, Water-man, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled/Unskilled Supervisory	
Assistant to blaster, Assistant fitter, Assistant drill operator, Breaker (using mechanical appliances), Butler-cum-cook, Caretaker, Cook, Checker, Dispensary attendant, Helper (carpenter, blacksmith, mason, mechanic, mining), *Miner, Lamp room attendant, Pump attendant, Mali, Mining mates, Pointsman, Sampler, Telephone attendant, Untrained creche attendant, Ventilation fan attendant, Other categories by whatever name called which are semi-s illed or unskilled supervisory.	Rs. 12 25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled	
Airwinch, Haulage-operator, Auto-electrician, Painter, Blacksmith, Blaster, Compressor operator, Concrete mixture operator, Chargeman, Carpenter, Compunder, Chemist, Drill operator, Drill mechanic, Driver auto, Electrician, Foreman, Fitter, Ferro driver, Hoist operator, Lineman, Mechanic, Mason, Midwife, Mistry, Pump operator, Skilled mazdoor, Supervisor (Mechanic), Stone crusher operator, IMCO driver, Loco driver, Limco Loader operator, Surveyor, Turner, Timber mistry, Wireman, Welder, Work Mistry, Winding Engine driver, Incharge watch and ward, other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical	
Accountant, Assistant, Clerk, Magazine clark, Cashier, Munshi, Record keeper/File clerk, Store keeper, Time keeper, Stenographer, Typist, Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanation : For the purpose of this notification :

1. (a) "unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) semi-skilled" work is one which involves some degree and skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) "skilled" work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

2. The minimum rates of wages proposed are all inclusive rates including the basic rae, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

3. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

4. Where the existing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified under this notification, the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purposes of this notification.

5. The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

6. A worker in a copper mine who is directly involved in the process of extraction of copper ore by way of loading the blasted copper ore, waste or marks into mine car or scrapper path, or skip. etc. with the use of various equipments like Shevals, iron pans, etc. and breaking of larger boulders to facilitate their movement and|or cleaning muckplies|scrap and| or using bars to bring done loss or as and when required and also such of those who performs more or less similar jobs shall be regarded as a 'Miner'.

[F. No. S-32019(3)|83-WC(MW)]

का० आ० 754 (अ).—अभ्रक खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों की संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 452 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 28-29 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 640 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् अभ्रक खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और महिला), क्लीनर, संदेशवाहक, आफिस बाय, वाचमैन, खलासी, पानी वाला, मददगार, लदाई करने वाला, माली, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल प्रकृति के हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये)
अर्द्धकुशल :	
हथौड़ा चलाने वाला, अभ्रक कटर श्रेणी-2, सार्टर, ड्रैसर श्रेणी-2, गेज कर्मकार, खनक, डिस्क कर्मकार, परिधर, रसोइया, विस्फोटक, वाहक, गनमैन, वाइन्डिंग इंजन चालक, इंजन चालक श्रेणी-2, शियरर, वैस्ट कटर, सहायक फिटर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल प्रकृति के हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये)
कुशल :	
ड्रिलर, विस्फोटकर्ता, मिस्त्री, अभ्रक कटर श्रेणी-1 बढ़ई, लोहार, ड्रैसर श्रेणी-1, खनन मेट, इंजन चालक, फिटर, टर्नर, बिजली मिस्त्री, यान चालक, राज, मोल्डर, वेल्डर, वाइंडिंग इंजन, चालक श्रेणी-1, फायरमैन, शाट फायरर, कम्प्रैसर चालक, मैकेनिक, पम्प फेन चालक, ग्राइन्डर, सिरदार, लेथमैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये)
लिपिकीय :	
लेखापाल, टंकक/आशुलिपिक, कम्पाउन्डर, भंडारी/ भंडार भार साधक, शिफ्ट भार साधक, टाईम कीपर, रोकड़िया, शिशुकक्ष परिचर, पर्यवेक्षी, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय प्रकृति के हैं।	15.00 रु०

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये—

1. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिसमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किये गये प्रदायों यदि कोई हो, का नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिये देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें ऊपर विनिर्दिष्ट दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जायेंगी और न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जायेंगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य को बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियायें सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किये जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिशु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिये इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

6. अभ्रक खान में काम करने वाला श्रमिक जो मलबों और मलबों की गंदगी से अभ्रक की छटाई करके अभ्रक निकालने, बोरियों में अभ्रक के टुकड़ों/ढेलों को भरने और हाउलिंग स्टेशन या किसी अन्य निर्धारित स्थान तक ले जाने, मलबा एकत्र करना और हाउलिंग स्थान या अन्य किसी निर्धारित स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया में या न्यूनाधिक इसी प्रकार के कार्यों में सीधे अन्तर्ग्रस्त है, को "खनक" माना जायेगा।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू०सी०(एम०डब्ल्यू०)]

S.O. 754(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in mica mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 29-30 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 452(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O.640 (E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in mica miner as specified in the corresponding entries in column (1) of the said schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled	
Mazdoor (male and female) cleaner, Messenger/Office boy, Watchman, Khalasi, Waterman, Helper, Loader, Mali, any other categories by whatever name called which are of unskilled nature.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-Skilled	
Hammerman, Mica cutter-Grade II, Head Coolie, Sorter, Dresser-Grade II, Gauge worker, Disc worker, Attendant, Cook, Explosive carrier, Gun man, *Miner, Winding engine driver Grade II, Shearers, Waste cutter, Assistant fitter, any other categories by what-soever name called which are of semi-skilled nature.	Rs. 12.25 (for wor above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled	
Driller, Blaster, Mistry, Mica cutters Grade I, Carpenter, Blacksmith, Dressser Grade I , Mining Mate, Engine Driver, Fitter, Turner, Electrician, Moulder, Welder, Vehicle driver, Mason, Winding engine driver Grade I, Fireman, Shot firer, Compressor driver, Mechanic, Pump driver, Grinders, Sirdar, Latheman, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical	
Accountant, Typist,/Steno, Clerk, Compounder, Store keeper/Incharge, Shift incharge, Time Keeper, Cashier, Creche attendant, Supervisor, any other categories by whatever name called which are of clerical nature.	Rs. 15.00

Explanaion :—For the purpose of this notification,—

(1) The minimum rates of wages revised are all inclusive rates of wages and include the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, in respect of supplies of essential commodities and also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees engaged by contractors also.

(3) Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates specified above, the higher rates would be protected and treated minimum wages.

(4) (a) 'Unskilled work' is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) 'semi-skilled work' is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and include unskilled supervisory work;

(c) 'skilled work' is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rate fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

(6) A worker in a mica mine who is directly involved in the process of extraction of mica by way of sorting them from debris and mucking of debris, putting mica pieces| lumps in gunny bags and carrying them upto either hoisting station or any other assigned places collecting debris and carrying them to hoisting points or any other assigned places or performs

more or less similar jobs shall be regarded as 'Miner'.

[No. S-32019(3)|83-WC(MW)]

का०आ० 755(अ) :—लोह अयस्क खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिये कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 445 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 13-14 पर प्रकाशित की गई थी । उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का 11), की धारा 4की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 632 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रांत करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् लोह अयस्क खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
(1) बटलर, (2)अभिरक्षक (3)चौकीदार, (4) क्लीनर, (5) ड्रैसर, (6) श्रमिक, (7) लदाई करने वाला (8) मजदूर (9) संदेश वाहक (10) नम्बर टेकर (11) आफिस बाय (12) चपरासी (13) पिकर, (14) छंटाईकार (15) झाड़ूकश (16) ट्रामर (17) ट्रालीमैन (18) ट्राली ट्रिपर (19) पानी ले जाने वाला (20) खुदाई करने वाला (21) लचर (22) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अकुशल है ।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
(1) आया (2) बैंक मैन (3) बेल्समैन (4) कैश गार्ड (5) चैकर (6) धोबी (7) रसोइया (8) फायरमैन (9) ग्राईंडर (10) ग्रीजर हथौड़ा चलाने वाला (11) मददगार (बढ़ई ट्रिमर, विस्फोटकर्ता कैपर प्रचालक) (13) जमादार (14) खलासी (बुल डोजर आदि) (15) लैम्प रूम इंचार्ज (16) मैट (धातु उत्पादक खान नियम 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र के बिना) (17) आयलर (18) प्वाइंटमैन (19) नमूना लेने वाला (20) माली (21) स्टोरमैन (22) खलक (23) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी है ।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये)
कुशल :	
(1) लोहार (2) विस्फोटकर्ता (शॉट फायरर) (3) बढ़ई (4) चार्जमैन (5) रसायनज्ञ (6) कंपाउंडर (7) नक्शानवीस (8) ट्रिमर (9) ड्राइवर (10) बिजली मिस्त्री (11) फिटर (12) फोरमैन (13) राज (14) मैकेनिक (15) मिडवाइफ (16) मिस्त्री (17) मोल्डर (18) प्रचालक (19) ओवरसियर (20) पेंटर (21) पाइप फिटर (22) पर्यवेक्षक (23) सर्वेक्षक (24) टिनस्मिथ (25) टिम्बरमैन (26) खरादिया (27) वैल्डर (28) वायरमैन (29) सर्फेस पर्यवेक्षक (30) मैट (धातुउत्पादक खान नियम 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण पत्र सहित) (31) शावेल प्रचालक (32) वल्यू मैन (33) डोजर प्रचालक (34) डम्पर ट्रैक्टर प्रचालक (35) पंटर (36) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो कुशल हैं ।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिये) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिये)
लिपिकीय :	
(1) रोकड़िया (2) लिपिक (3) रजिस्टर कीपर (4) भण्डारी (5) ट्रैमर (6) टाइम कीपर (8) टंकक (8) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो लिपिकीय हैं ।	15.00 रुपये

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के लिये :—

1. मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर है, दर जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रित दर पर किये गये प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिये देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

3. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है ।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्गों के व्यस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी ।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा

कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियायें सम्मिलित है ;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किये जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी है ;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

5. जहां संविदा और करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर है, वहां ऐसे कर्मचारियों को इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये ऐसी उच्चतर दरें मजदूरी की न्यूनतम दरें मानी जायेंगी ।

(6) लोह अयस्क खानों में नियोजित वे श्रमिक "खनिक" माने जायेंगे, जो लोह-अयस्क के उत्खनन, तोड़ने, वर्गीकरण/चयन करने तथा ड्रैसिंग का कार्य करते है तथा लोह अयस्क बेड/रीफ पर इसके अन्य आनुषंगिक कार्य भी उसी व्यक्ति द्वारा किये जाते है ।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू०सी० (एम०डब्ल्यू०)]

S.O. 755(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Iron Ore Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 14-15 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 445(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 632(E) dated the 2nd September, 1982 the Central Government after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in Iron Ore Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
Unskilled	
(1) Butler, (2) Caretaker, (3) Chowkidar, (4) Cleaner, (5) Dresser, (6) Labourer, (7) Loader, (8) Mazdoor, (9) Messenger, (10) Number-taker, (11) Office boy, (12) Peon, (13) Picker, (14) Sorter, (15) Sweeper, (16) Trammer, (17) Trollyman, (18) Trolly tripper, (19) Water Carrier, (20) Digger, (21) Lucher, (22) Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi skilled/Unskilled Supervisory	
(1) Ayah, (2) Bankman, (3) Brakesman, (4) Cash guards, (5) Checker, (6) Dhobi, (7) Cook, (8) Fireman, (9) Grinder, (10) Greaser, (11) Hammerman, (12) Helper (carpenter, driller, blaster, crasher operator), (13) Jamadar, (14) Khalasi (bulldozer etc.), (15) Lamp room incharge (16) Mate (without competency certificates under Metalliferous or Mines Regulation, 1961), (17) Oiler, (18) Pointsman, (19) Sampler, (20) Storeman, (21) Mali, (22) Miner (23) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground). Rs. 14.75 (for work below ground).
Skilled	
(1) Blacksmith, (2) Blaster (shot firer), (3) carpenter, (4) Chargeman, (5) Chemist, (6) Compounder, (7) Draughtsman, (8) Driller, (9) Driver, (10) Electrician, (11) Fitter, (12) Foreman, (13) Mason, (14) Mechanic, (15) Midwife, (16) Mistry, (17) Moulder, (18) Operator, (19) Overseer, (20) Painter, (21) Pipe-fitter, (22) Supervisor, (23) Surveyor, (24) Tin-smith, (25) Timberman, (26) Turner, (27) Welder, (28) Wireman, (29) Surface Supervisor, (30) Mate (with competence certificate under Metalliferous Mines Regulation, 1961), (31) Shovel Operator, (32) Valveman, (31) Dozer operator, (34) Dumper tractor operator, (35) Painter (36) Other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)

1	2
Clerical	
(1) Cashier, (2) Clerk, (3) Register keeper, (4) Store keeper, (5) Tracer, (6) Time-keeper, (7) Typist, (8) Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations for the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate. The cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

(4) (a) Unskilled work is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) Semi-skilled work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) Skilled work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Whereas the existing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wage applicable for the purpose of the notification to such employees.

(6) Workers engaged in Iron Ore Mines who do the work of excavating, breaking, sorting picking and dressing of Iron Ores and other works incidental thereto performed by the same person at Iron Ore bed|reef shall be regarded as 'Miner'.

[S-32019|3|83-W.C(M.W]

का० आ० 756(अ).—ग्रेफाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 446 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 16 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (i) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 642 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रांत करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् ग्रेफाइट खानों में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
ग्रेफाइट खान	
अकुशल	
(मजदूर पुरुष और महिला), चौकीदार, बाचमैन, खलासी, क्लीनर, लदाई करने वाला, रसोइया, मददगार, झाड़ूकश, ब्रेकर (हस्तचालित उपकरणों का प्रयोग करने वाले), आफिस बाय, चपरासी, संदेशवाहक, पानी वाला, वाटर कैरियर, सफेदी वाला, लैंप मैन, और अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अकुशल हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल/कुशल पर्यवेक्षी	
ब्रेकर, डिलर, खनक, रसोइया, क्रेच आया, चौकीदार, मेट, मुकद्दम, (धातूत्पादक खान विनियम, 1962 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), आयल मैन, पम्प खलासी, शाट फायरर, हैड मिस्त्री, बायलर मैन, थैचर, टिण्डल, ट्रालीमैन, जमादार, सफेदीवाला, मददगार (लोको, क्रेन, ट्रक मददगार), बढ़ई, विस्फोटकर्ता, फिटर, ड्रिलर,	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

1	2
लोहार, मिस्त्री, प्रचालक, सहायक मैकेनिक, बटलर, और रसोइया, अधिरक्षक हथौड़ा चलाने वाला, माली और अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अर्द्धकुशल/ अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	
कुशल :	
लोहार, बढ़ई, कम्पाउंडर, बिजली मिस्त्री, शाट फायरर, सफेदीवाला, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, मुख्य रसोइया, इंजनमैन, वेल्डर, विस्फोटकर्ता, मशीन मिस्त्री, हैड मिस्त्री, उप-ओवरसियर, (अनर्हित), सर्वेक्षक, प्रचालक, वायरमैन, कम्प्रेसर-प्रचालक, ट्रैक्टर ड्राइवर, और अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
लेखाकार, सहायक, लिपिक, मुंशी, टंकक, आशुलिपिक, डूल कीपर, टाइम कीपर, और अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं।	15.00 रुपये

स्पष्टीकरण :

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहां संविदा या करार पर या अन्यथा आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहां उच्चतर दर संरक्षित की जाएंगी और इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

4 निःशक्त व्यक्तियों को और अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः सौ प्रतिशत और अस्सी प्रतिशत होंगी।

5 इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी कुशलता अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यवसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू०)]

S.O. 756(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in graphite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 16-18 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 446(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of the section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 642(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in graphite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled	
Mazdoor, (male and female), Chowkidar, Watchman, Khalasi, Cleaner, Loader, Cook-helper, Sweeper, Breaker (using manual appliances), Officeboy, Peon, Messenger, Waterman, Water Carrier, White washer, Lampman and other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)

1	2
Semi-skilled/Unskilled Supervisory	
Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Mate/Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961) Oil man, Pump Khalasi, Shot firer, Head Mistry, Boiler man, Thatcher, Tindles, Trolly man, Jamadar, White Washer, Helper (Loco, crane, truck), Helper (carpenter, blaster, mason, fitter, driller, black-smith), Operator, Assistant Mechanic, Butler-cum-cook, Caretaker, Hammerman, Mali and other categories by whatever name called which are semi-skilled/ unskilled Supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Shot firer, White washer, Foreman, Fitter, Mines Supervisor, Tailor, Head Cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, Head Mistry, Sub-overseer, (unqualified), Surveyor, Operator, Boiler an, Compressor-Operator, or Tractor Driver and any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical	
Accountant, Assistant Clerk, Munshi, Typist, Stenographer, Tool keeper, Time-keeper and other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanation :—

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise, are higher than the rates revised by this notification, the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred percent and eighty percent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

5. For the purpose of this notification :—

(a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[No. S-32019(3)|83-WC(MW)]

अधिसूचना

का० आ० 757(अ).—चीनी मृत्तिका मृत्तिका और सफेद खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों की संदेय मजदूरी का न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 448(अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 29 पर प्रकाशित की गई थी, उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दिया गया था और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 844(अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रांत करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् चीनी मृत्तिका, मृत्तिका और सफेद खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
अकुशल :	
मजदूर, लोडर, सफाई वाला, क्लीनर, चौकीदार, मिट्टी काटने वाला, खलासी, और अन्य प्रवर्गों के वे मजदूर चाहे जो भी नाम हो, जो अकुशल है।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

1	2
अर्द्धकुशल/या अकुशल पर्यवेक्षी	
मुकद्दम, मेट, रसोइया, तेलवाहा, पम्प खलासी, परिचारक, माइनर, पुजारी, मार्दा, मशदगार, पर्यवेक्षक, फारमैन, ब्रेकर, हैड चौकीदार, फैल-बाधा, सूखिका दबाने वाला या सुखाने वाला या परिष्कृत करने वाला कर्मकार (भूमि काटने के लिए अधिक दबाव से भिन्न) और अन्य ऐसी प्रवर्ग, चाहे जो भी नाम हो, जो अर्द्धकुशल है।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल	
लोहार, काष्ठकार, दर्जी, नाज, बिजली मिस्त्री भूपिजातों खात पर्यवेक्षक, ड्राईवर, पम्प प्रचालक/ड्राइवर, वर्गवेक्षक, फोरमैन और वे अन्य प्रवर्ग चाहे जो भी नाम हों, जो कुशल हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिक	
रोकड़िया, लेखाकार, लिपिक, टाइम कीपर, स्टोर, भंडार परिचारक अभिलेखापाल, रजिस्टर कीपर, मुर्शी टंकक, वायुचिलिप और वे अन्य प्रवर्ग चाहे जो भी नाम हो, जो लिपिकीय हैं।	15.00 रुपये

स्पष्टीकरण इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. (क) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ा या कुछ भी कुशलता का कार्य या अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव अथवा शिशु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था से प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि अपेक्षित है।

2. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें वे सम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हो का, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी का न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है।

5. जहां किसी कर्मचारी को संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं, वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ऐसे कर्मकारों को लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू०सी० (एम डब्ल्यू)]

S.O. 757(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in china clay, clay and white clay mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), at page 21 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 448(E) dated the 18th June, 1983 for information and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and sugestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 644(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revives the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in china clay, clay and white clay mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled	
Mazdoor, Leader, Sweeper, Cleaner, Chowkidar, Earthcutter, Khalasi, and other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs..9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below grouds)
Semi-skilled or Unskilled Supervisory	
Mucadams, Mate, Cool, Oilman, Pump Khalasi, Attendant, Miner,	Rs 12.25 (for work above ground)

1	2
Priest, Gardener, Helper, Supervisory Fireman, Breaker, Head chowkidar, Creche Ayah, Clay press or drying and refining workers (except over burden requiring earth cutting), and other categories by whatever name called which are semi-skilled.	Rs. 14.75 (for work below grounds)
Skilled	
Blacksmith, Carpenter, Tailor, Mason,Electrician, Geologist, Mine Supervisor, Driver, Pump operator or Driver, Supervisor Foreman, and other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work be-below grounds)
Clerical	
Cashier, Accountant, Clerk, Time keeper, Store keeper, Store Attendant, Recordkeeper, Register keeper, Munshi, Typisit, Stenographer, and other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations :—

1. For the purpose of this notification :—
 (a) "unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;
 (b) "semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;
 (c) "skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

2. The minimum rates of wages fixed as per this notification are all inclusive rates including the basic rates, the cost of living allowance, the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

3. The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

4. The minimum rates of wages fixed as per this notification are applicable also to employees engaged by contractors.

5. Where the prevailing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise as higher than the rates notified herein, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

[No. S-32019(3)|83-WC(MW)]

का० आ० 758 (अ) :—मैंगनेसाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों की संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (अ) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 457 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (2) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 39 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (3) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 635 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् मैंगनेसाइट खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों की, जो इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
चौकीदार, क्लीनर, खलासी, लदाई करने वाला, मजदूर, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल है।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षक	
ब्रेकर, रसोइया, ड्रिलर, माली, प्रधान चौकीदार, मुकद्दम, मेट, खनक, तेल देने वाला, फायर खलासी, सिपाही, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी है।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

1	2
कुशल	
लोहार, बढ़ई, कम्पाउन्डर, शॉट फायरर, शिश् कक्ष परिचर, चालक, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, खान पर्यवेक्षक, राज, पंप प्रचालक, पर्यवेक्षक, दर्जी, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय	
लेखापाल, लिपिक, रोकड़िया, सामग्रीवेंने वाला, मुंशी, रजिस्टर कीपर, अभिलेखापाल, भन्डार सहायक, भन्डारी, आशुलिपिक, टंकक, टाइम कीपर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय है।	15.00 रुपए

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिसमें आधार दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहां संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू. सी. (एम० डब्ल्यू०)]

S.O. 758(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in magnesite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 39-40 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 457(E) dated the 18th June, 1983 for informotion of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected threby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948). and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 635(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in maganesite mines as specified in the correspnding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

Categories of employees	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled	
Chowkidar, Cleaner, Khalsai, Loader, Mazdoor, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled/Unskilled Supervisory	
Breaker, Cook, Driller, Gardener, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Miner, Oilman, Pumpkhalasi, Sepoy, other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Skilled	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Shot firer, Creche attendant, Driver, Electrician, Foreman, Mine Supervisor, Mason, Pump Operator, Supervisor, Tailor, other categories, by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical	
Accountant, Clerk, Cashier, Store Issuer, Munshi, Register Keeper,	Rs. 15.00

1	2
Record Keeper, Store Attendant, Store Keeper, Stenographer, Typist, Time Keeper, other categories, by whatever name called which are of clerical nature.	

Explanation for the purpose of this notification—

1. The minimum rates revised are all-inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and cash value of concessional supply, if any, of essential comodities and also include the wages payable for the weekly rest day.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees engaged by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the notified rates under the Act, the higher would be protected and treated as minimum wages for purposes of this notification.

4. (a) Unskilled work is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) Semi-skilled work is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled Supervisory Work;

(c) Skilled work is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocatianal institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

[No. S-32019(3)|83-WC(MW)]

का० आ० 759 (अ).—क्वार्टज खानों, क्वार्टजाइट खानों और मिलिका खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों की संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 417 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 18 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ।

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 का संशोधन (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 629 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् क्वार्टज खानों, क्वार्टजाइट खानों और मिलिका खानों के विभाजन में विनियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों की, जो आगे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) के शब्दों में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना इस में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

कर्म का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और स्त्री), चौकीदार, खलासी, क्लीनर, लोडर, हेल्पर, अर्थकटर, दाहक (पत्थर), बालक, टोकन-बाबू, केयरटेकर,	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)
फ्लीट (हल्म मिथक), ड्राइवर (कैब, ऊंट, गधा, खच्चर), लैम्प-मैन, माली, पेट्रोल मैन, गर्दाई करने वाला, पानी वाला, अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अकुशल हैं ।	11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल :	
भिश्ती, भोलर, भेथक, खनक, रसोइया, शिशु कक्ष आया, प्रधान चौकीदार, सरदार, मुकादम, मेट, सिग्नलवाला, पम्प खलासी, धाट फायरर, प्रधान भिश्ती, खैरी मैन, खदान आपरेटर, भंडारी, स्टाकर, बायलर मैन, थैचर, थूम्बामैन, टिण्डल, ट्राली वाला, जमादार, धैरा, सफेदी करने वाला, ब्रेकसमैन, मददगार (लोडर, फेलर, ट्रक), टोपाज तोपकार (बड़ा/क्वार्टजाइट, क्वार्टज ब्रेकर), एजरनर, पैक बालर्स, टिम्बरमैन, जैक हैमर, फायर कैम्प या गुप्त और परिष्करण श्रमिक, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्द्धकुशल हैं ।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
लोहार, बढ़ई, कम्पाउन्डर, बिजली मिस्त्री, धाट फायरर, सफेदी करने वाला, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, प्रधान रसोइया	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)

इंजनमैन, खलाड़ीगर, क्लास्टर, मशीन मिस्त्री, प्रधान मिस्त्री, उप-भांडागारिक (अर्हित), पर्यवेक्षक, ओवरसियर, लाचार मैन, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति जो उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं ।	18.00 रु०	(भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

लिपिकीय :

लेखापाल लिपिक, मुंशी, मजदूर लिपिक, सामान देने वाला मजदूरी (श्रेणी 1 और 2), टैली लिपिक, डाटम कीपर, टूल-कीपर, संगणक, टंकक, आशुलिपिक, अभिलेखपाल, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं ।	15.00 रुपए	

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के लिए नकदी दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं ।

3. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं वहां इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें जानी जाएंगी ।

4. अठारह वर्ष से कम आयु के और अक्षम व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी ।

5 इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की अल्प थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ।

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

[सं० एम —32019/3/83-डब्ल्यू० सी०]

S.O. 759(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in quartz, quartizite and silica mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 19-20 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour)) number S.O. 447(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 629(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in quartz, quartizite and silica mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

Classification of Work	Minimum rates of wages per day
1	2
Unskilled	
Mazdoor (male and female), Chowkidar, Khalasi, Cleaner, Loader, Hole cutter, Earth cutter, Carrier (stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete (hand mixer), Driver (bullock, camel, donecky, mule), Lampman, Mali, Petrolman, White Washer, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled	
Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, oilman,	Rs. 12.25 (for work above ground)

Pump khalasi,)Shot firer, Head mistry, Quarry man, Quarry operator, Store, man, Stocker, Boiler man, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, White washer, Breakesman, Helper, (Loco crane, truck), Topaz, topkar, (big/quartizite/ quartz breaker), Edge runner, Pack wallers, Timber man, Jack hammer, Fire clay pess or drying and refining wokrers, and other categories by whatever name called which are semi-skilled.	Rs. 14.75 (for work below ground)

Skilled

Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Shot firer, White washer, Foreman, Fitter, Mines, supervisor, Tailer, Head cook, Engine-man, Welder, Blaster, Mechinist, Head mistry, Sub-overseer (unqualified), Surveyor, Operator, Boilerman, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)

Clerical

Accountant, Cleark, Munshi, Store clerk, Store issuer, Store keeper, (Grade I & II), Talley clerk, Time keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical. Rs. 15.00

Explanations :—

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates revised by this notification the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred per cent and eighty per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

5. For the purpose of this notification—

(a) "Unskilled work" is work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" is work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[S-32019|3|83-WC(MW)]

अधिसूचना

का० आ० 760 (अ).—बुलफ्रेम खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों की संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 441 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 5-6 पर प्रकाशित की गई थी । उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 630 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् बुलफ्रेम खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) के तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल : (1) मजदूर (2) ड्रेसिंग मजदूर (3) खपरासी (4) सफाई वाला (5) पानी वाला (6) चौकीदार (7) अन्य प्रवर्ग चाहे जो नाम हो, जो अकुशल है ।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

अर्द्धकुशल :

(1) सहायक ड्रिलर (2) मददगार (3) कैन्टीन परिचर (4) मेट (एम० एम० आर० 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), (5) सिगनल मैन (6) श्रम सिरदार (7) डाक बॉय (8) अन्य प्रवर्ग चाहे जो भी नाम हों, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं ।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)
	14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

कुशल :

(1) हैण्डहोलर्ड्स (2) मेट (एम० एम० आर०, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित), (3) कढ़ई (4) कोठार (5) मैकेनिक (6) डिस्पेन्सरी परिचर (7) राज (8) कर्षण प्रचालक (9) अन्य प्रवर्ग चाहे जो भी नाम हो, जो कुशल हैं ।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)
	18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

लिपिकीय :

लेखाकार, टंकक/आशुलिपिक, लिपिक, भण्डारी, भंडार का भार साधक, टाइम कीपर, रोकडीया, अन्य प्रवर्ग चाहे जो भी नाम हों, जो लिपिकीय प्रकार के हैं ।	15.00 रुपए

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, —

1. इस अधिसूचना द्वारा नियत न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं और इसमें साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

2. इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं ।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और निःशक्त व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी ।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी या कुछ भी कुशलता कार्य या अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है, जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

5. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षित दरों से उच्चतर हैं वहां इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी ।

[एम- 32019/3/83- डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू०)]

NOTIFICATION

S.O. 760(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Wolfram Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 6-7 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 441(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section 2 of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 630(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto. payable to the categories of employees employed in the employments in wolfram mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of Work	Minimum rates of wages per day
1	2
Unskilled	
(1) Mazdoor (2) Dressing mazdoor (3) Peon (4) Sweeper (B) Waterman (6) Chowkidar (7) Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground)
	Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-Skilled	
(1) Assistant driller (2) Helper (3) Canteen attendant (4) Mate (without competency certificate under MMR 1961) (5) Signal Man (6) Labour Sirdar (7) Dak Boy (8) Other categories by whatever name called which are semi-skilled or unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground)
	Rs. 14.75 (for work below ground)

Skilled	
(1) Handhole driller (2) Mate (with competency certificates under Metalli ferous Mines Rules, 1961) (3) Carpenter (4) Blacksmith (5) Haulage operator (6) Mechanic (7) Dispensary attendant (8) Mason (9) Any other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical	
Accountant, Typist /Steno, Clerk, Store keeper, Store incharge, Time keeper, Cashier, any other categories by whatever name called which are of clerical nature.	Rs. 15.00

Explanations :—

For the purpose of this notification :—

1. The minimum rates of wages are all inclusive rates and includes also the wages payable for the weekly day of rest;

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also;

3. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 percent and 100 percent respectively of the rates revised by this notification for adult workers of the appropriate category.

4. (a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. Where in any area, the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the prevailing rates of wages of any employee, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

[S-32019/3/83-W.C(MW.)]

अधिसूचना

का० आ० 761(अ).—फेलसपर खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 454 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 पृष्ठ 32-33 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 628 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् फेलसपर के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
(1)	(2)
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और महिला), चौकीदार, खलासी, क्लीनर, लकड़ी काटने वाला, होल कटर, भूमिकटर, खादक (पत्थर), बालक, कार्टमैन, अभिरक्षक, कंक्रीट (हैण्ड मिक्सर) चालक (बैल, ऊंट, गधा, खच्चर), लैम्बमैन, मालो, पेट्रोलमैन, सफेदी वाला, पानी वाला, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं ।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल :	
भिश्ती, ब्रेकर, ड्रिलर, खनक, रसोइया, शिशु कक्ष आया, मवदगार, मुक्कदम, मेट, आयल मैन, पम्प खलासी, मिस्त्री, क्वैरी मैन, थैपर, थुम्बर मैन, टिण्डल, ट्रालीमैन, जमादार, बैरा, सफेदी वाला, ब्रेक्समैन, मददगार, (लोको, केन, ट्रक), टोपाज, टोपकार (बड़ी/क्वार्टीजाइट/ क्वार्टज ब्रेकर), एज रनर, रैक बालर, टिम्बरमैन, जैक हेमर, फायर क्ले प्रेस करने या शुष्क करने और साफ करने वाले कर्मकार और अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो जो अर्द्धकुशल हैं ।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे नीचे कार्य करने के लिए) ।

कुशल :

कटर, लौहार, बढई, कम्पाउन्डर, बिजली मिस्त्री, शाट फायरर, सफेदी वाला, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, वर्जी, प्रधान रसोइया, इंजनमैन, वेलडर, विस्फोटकर्ता, मशीन मिस्त्री, प्रधान मिस्त्री, उप ओवरसियर, (अनहिन), सर्वेक्षक प्रचालक, वायरमैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो कुशल हैं ।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)
	18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने लिए)

लिपिकीय :

लेखापाल, लिपिक, मुंशी, स्टोर लिपिक, सामग्री देने वाला, भंडारी (श्रेणी 1 और 2), मिलान लिपिक, टाईमकीपर, टूल कीपर, कम्प्यूटर, टंकक, आशुलिपिक, अधिलेखापाल, अन्य प्रवर्ग जो चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, लिपिकीय हैं ।	15.00 रु०

स्पष्टीकरण :—

(1) इस अधिसूचना द्वारा नियत न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं। जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रित दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हों का नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

(2) इस अधिनियम द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं ।

(3) जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी ।

(4) अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी ।

(5) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए —

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ;

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य हैं और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य आता है ;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

[एस- 32019/3/83-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]

NOTIFICATION

S. O. 761(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Felspar mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 33-34 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S. O. 454 (E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S. O. 628(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in Felspar mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
Unskilled	
Mazdoor, (male and female), Chowkidar, Khalasi, Cleaner, Loader, Hole cutter, Earth cutter, Carrier, (stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete (hand mixer) Driver, (bullock, camel, doneky, mule), Lampman, Mali, Petrolman, White washer, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)

Semi-skilled	
Bhisti , Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Ayah, Helper, Muccadam, Mate, Oilman, Pump Khalasi, Mistry, Quarry man, Quarry operator, Storeman, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, White Washer, Breakesman, Helper (loco, creanes, truck), Topaz, Topkar (big/Quartizite/quartz/breaker), Edge, runner, Pack wallers, Timberman, Jack, Hammer, Fire clay press or drying and refining workers and other categories by whatever name called which are semi-skilled.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled	
Cutter Blacksmith ,Carpenter, Compounder, Electrician, Shot firer, Whitewasher, Foreman, Fitter, Mines Supervisor, Tailor, Head cook, Engineman, Welder, Blaster, Mechinist, Head mistry, subovorseer (un-qualified), Surveyor, operator, Boiler man, and any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical	
Accountant Clerk, Murshi, Store clerk, Store issuer Store keeper, (Grade I & II), Talley clerk, Time keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations :—

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest;

2. The minimum rates of wages revised by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates revised by this notification the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purposes of this notification.

4. The minimum rates of wages for disabled and for persons below eighteen years of age shall be hundred per cent and eighty per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

5. For the purpose of this notification :—

(a) "Unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

[No. S-32019(3)|83-WC(MW)]

अधिसूचना

का० आ० 762(अ).—(1) प्रस्तर खानों (2) कयानाईट खानों (3) सेल खड़ी खानों (जिनके अन्तर्गत साबुन, प्रस्तर और टल्को उत्पादक खानें भी हैं) (4) गरिक खानों (5) एसबेस्टास खानों और (6) अग्निसहमृत्तिका खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 453 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 30-31 पर प्रकाशित की गई थी । उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 631(अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात (1) प्रस्तर खानों (2) कयानाईट खानों (3) सेलखड़ी खानों (जिसके अन्तर्गत साबुन प्रस्तर और टेल्को उत्पादक खानें भी हैं) (4) गरिक खानों (5) एस्बेस्टास खानों और (6) अग्निसह मृत्तिका खानों मे नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियो के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और महिला), चौकीदार, कुली, क्लीनर, खलासी, लदाई करने वाला, होलकटर, भूकर्तक, वाहक (प्रस्तर), वाहक, कार्टमैन, अभिरक्षक, कंक्रीट, (हेण्ड मिक्सर), चालक, (बैल, ऊंट, गाय, खच्चर), लेप-वाला, माली, पट्रोल मैन, सफेदी वाला, पानी वाला, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल है ।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्धकुशल :	
भिश्ती, ब्रेकर, ड्रिलर, खनक, परिचर, रसोइया, शिक्षुकक्ष आया, प्रधान चौकीदार, हैल्पर, मुकद्दम, मेट, आयल मैन, पम्प खलासी, शाट फायरर, प्रधान मिस्त्री, क्वैरीमैन, क्वेरी प्रचालक, स्टोरमैन, स्टाकर, वायलरमैन, थैचर, बैरा, ब्रेकमैन, हैल्पर (लोको, क्रेन, ट्रक), टोपाज तोपकार भारी प्रस्तर क्यानाईट ब्रेकर), एजरनर, पैकवालर, टिम्बर मैन, जैक हैमर, अग्नि सहमृत्तिका, प्रेस करने या सुखाने और रिफाइन करने वाले कर्मकार, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अर्धकुशल है ।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
लौहार, बढ़ई, कम्पाउन्डर, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, प्रधान रसोइया, इंजनमैन, वैल्डर, विस्फोटकर्ता, मशीन मिस्त्री, उपओवरसियर (अनहित), सर्वेक्षक प्रचालक, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं ।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
लेखापाल, लिपिक, मुंशी, स्टोर लिपिक, स्टोर इंचार्ज, भण्डारी (श्रेणी 1 और 2), मिलान लिपिक, समयपाल, टूल कीपर, कम्प्यूटर टंकक, आशुलिपिक, अभिलेखापाल, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय है ।	15.00 रुपए

स्पष्टीकरण :

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित हैं ।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं ।

3. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी ।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए —

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा, कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ;

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी हैं ;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था से प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशल या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

5. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कार्यकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी ।

[एस-32019/3/83—डब्ल्यू सी० (एम० डब्ल्यू०)]

NOTIFICATION

S. O. 762(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in (1) stone mines (ii) kyanite mines (iii) steatite mines (including mines producing soapstone and talc) (iv) ochre mines (v) asbestos mines and (vi) fire clay mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at page 31-32 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S. O. 453 (E) dated the 18th June, 1983 for information of, and inviting objections and suggestions from, all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with Clause (iii) of sub-section (1) of

section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour S. O. 631(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in (i) stone mines (ii) kyanite mines (iii) steatite mines (including mines producing soapstone and talc) (iv) ochre mines (v) asbestos mines and (vi) fireclay mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
Unskilled :	
Mazdoor (Male & Female), Chowkidar, Coolie, Cleaner, Khalasi, Loader, Hole cutter, Earth cutter, Carrier (Stone), Carrier, Cartmen, Caretaker, Concrete (Hand mixer), Driver (bullock, camel, donkey, mule), Lampman, Mali, Petrolman, White Washer, Waterman, other categories by whatever name calld which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled :	
Bhistl, Breaker, Driller, Miner, Attendant, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadan, Mate, Oil man, Pump Khalasi Shot firer, Head mistry, Quarry man, Quarry operator, Storeman, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breakesman ,Helper (loco, crane, truck), Topaz, Topkar, (big stone/Kyanite Breaker), Edge Runner , Pack Wallers, Timberman, Jack, Hammer ,Fire clay press or drying and refining workers, other categories by whatever name called which are semi-skilled.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled :	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Mine Supervisor, Tailor, Head Cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, sub-overseer (Unqualified), Surveyor, Operator, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground
Clerical	
Accountant, Clerk Munshi, Store clerk, Store Issuer Store Keeper (Grade I &II), Talley clerk, Time Keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Recordkeeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations :

1. The minimum rates of wages fixed as per this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the notified rates under the Act, the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purposes of this notification.

4. For the purposes of this notification :—

(a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the Job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

5. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be 100% and 80 per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

[S-32019|3|83-WC(MW)]

का० आ० 763 (अ) :—ग्रेनाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 456 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 37 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 2) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (3) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 627 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् ग्रेनाइट खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
(1)	(2)
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और महिला), चौकीदार, क्लीनर, खलासी, लदाई करने वाला, खदान श्रमिक, होल-कटर, अर्थ-कटर, वाहक (पत्थर), वाहक, ठेले वाला, अभिरक्षक, कंक्रीट हस्त मिश्रक, ड्राइवर, (बैल, ऊंट, गधा, खच्चर), लैम्पमैन, माली, पैट्रोल, मैन, सफेदी करने वाला, पानी वाला, जाली मेकर, आवर बर्डन रिमूवर, वैस्ट रिमूविंग मजदूर, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
भिश्ती, ब्रेकर, ड्रिलर, परिचर, रसोइया, क्रेच आया, प्रधान चौकीदार, मददगार, मुकद्दम, मेट, आयल मैन, पम्प खलासी, शाट फायरर, प्रधान मिस्त्री, क्वैरी मैन, खदान, प्रचालक स्टोर मैन, स्टाकर, वायलर मैन, थैचर, थुम्बा मैन, ट्राली मैन, जमादार, टिण्डल बैरा, ब्रेक्समैन मददगार (क्रेन, ट्रक), टिम्बर मैन, जैक, हैमर, स्टोन कटर, और ड्रैसर, चिज़ल मैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
तौहार, बढ़ई, कम्पाउन्डर, बिजली मिस्त्री, फोर-मैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, दर्जी, प्रधान रसोइया, इंजन मैन, वैल्डर, विस्फोटकर्ता, मशीनिस्ट, सर्वेयर-ओवरसियर (अनहित), सर्वेक्षक, प्रचालक, कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
लेखाकार, लिपिक, मुंशी, भंडार लिपिक, सामग्री देने वाला, भंडारी (श्रेणी 1 और 2), टैली-लिपिक, टाइम कीपर, टूल कीपर, कम्प्यूटर, टंकक, आशुलिपिक, शैथिलेखापाल, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं।	15.00 रु०

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :—

(1) मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

(2) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

(3) अठारह वर्ष से कम आयु के और अक्षमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी।

(4) (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा से कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है,

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षक के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेक आवश्यक है।

(5) जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा किसी कर्मचारी की मजदूरी की विद्यमान दरें इसमें अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं वहां इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें ऐसे कर्मचारियों को लागू मजदूरी की न्यूनतम दरें मानी जाएंगी।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू)]

NOTIFICATION

S. O. 763(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in granite mines were published as required by

clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 38-39 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 456 (E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 627(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revised the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employment in granite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled :	
Mazdoor (male and female), chowkidar, Cleaner, Khalasi, Loader, Quarry worker, Hole cutter, Earth cutter, Carrier (Stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete hand mixer, Driver, (bullock, camel, donkey, mule); Lampman, Mali, Petrolman, White washer, Waterman, Jally maker, over burden remover, Waste removing mazdoor, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled/unskilled supervisory :	
Bhisti, Breaker, Driller, Attendant, Cook, Crecheayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Oilman, Pump khalasi, Shot firer, Head Mistry, Quarryman, Quarry operator, Storeman, Stocker, Boilerman, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breakesman, Helper (crane, truck), Timberman, Jack hammer, Stone cutter and dresser, Chisel man, Other categories by whatever name called which are semi-skilled/ unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foremen, Fitter, Mine supervisor, Tailor, Head cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, Sub-overseer (unqualified), surveyor, Operator, any Other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical :	
Accountant, Clerk, Munshi, Store clerk, Store issuer, Store keeper, (grade I and II), Talley clerk, Time keeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno) Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations for the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rates, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

(4) (a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through train-

ing as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the existing rates of wages of any employee based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

[S-32019/3/83-W.C.(M.W.)]

अधिसूचना

का० आ० 764 (अ) :—डोलोमाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 442 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 7-8 पर प्रकाशित की गई थी : उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 633 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् डोलोमाइट खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) सत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और स्त्री), चौकीदार, क्लीनर, खलासी, लवाई करने वाला, होल कटर, अर्ध कटर, वाहक (पत्थर), वाहक, ठेलेवाला, केयर टेकर, कंकरीट (हैंड मिक्सर), ड्राईवर, (बैल, ऊंट, गधा खच्चर), सैम्पमैन, पैट्रोलमैन, सफेदी करने वाला, पानी वाला, अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अकुशल है।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्धकुशल :	
भिश्ती, ब्रेकर, ड्रिलर, खनक, रसोइया, शिशुरक्ष आया, प्रधान चौकीदार, मददगार, मुकद्दम, मेट, आयलमैन, पम्प खलासी, माली, प्रधान मिस्त्री, खदान मजदूर, खदान संक्रियाएं, स्टोनमैन, स्टाकर, वायलरमैन, थेचर, थम्बामैन, टिंडल, ट्रालीमैन, जमादार, बेयरर, टैक्समैन, मददगार (लोको, क्रेन, ट्रक), तोपाज, टोपकार (बड़ा पत्थर/क्यानाइट ब्रेकर), एज रनर, पैक वालर्स, टिम्बरमैन, जैक हैमर, फायर क्ले प्रेस या शुष्कण और परिष्करण कर्मकार, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्धकुशल हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल:	
लोहार, बढ़ई, कम्पाउन्डर, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षी, दर्जी, शॉट फायरर, प्रधान रसोइया, इंजन मैन, वेल्डर, ब्लास्टर, मशीन मिस्त्री, उप ओवरसियर, सर्वेक्षक (अनहित), आपरेटर, अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय:	
लेखापाल, लिपिक, मुंशी, भंडार लिपिक, सामान देने वाला, भण्डारी (श्रेणी 1 और 2), टेली क्लर्क, टाइम कीपर, टूल कीपर, संगणक, टंकक, प्राणलिपिक, अभिलेखापाल, अन्य वर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो लिपिकीय हैं।	15.00 रु०

स्पष्टीकरण:

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित मजदूरी की न्यूनतम दरें सर्व सम्मिलित दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

3. जहां संविदा या करार पर आधारित या अन्यथा मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतर हैं, वहां इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और वे न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्ध कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. असमर्थ व्यक्तियों और अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकार को संदेय दरों पर क्रमश. 100 प्रतिशत और 80 प्रतिशत होगी।

[एम-32019/3/83-डब्ल्यू. सी. (एम डब्ल्यू.)]

NOTIFICATION

S.O. 764(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in dolomite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 8-9 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 442 (E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 633(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in dolomite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
1	2
Unskilled	
Mazdoor (male and female), Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Loader, Hole cutter, Earth cutter, Carrier, (stone), Carrier, Cartman, Caretaker, Concrete (hand mixer), Driver, (bullock, camel, donkey, mule), Lampman, Petrolman, White Washer, Waterman, other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled	
Bhisti, Breaker, Driller, Miner, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Helper, Muccadam, Mate, Oilman, Pump khalasi, Mali, Head mistry, Quarry man, Quarry operator, Stone man, Stocker, Boilerman, Jamadar, Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breakesman, Helper, (loco, crane, truck), Topax, Topkar (big stone/kyanite breaker), Edge runner, Pack wallers, Timberman, Jack hammer, Fire clay press or drying and refining worker, other categories by whatever name called which are semi-skilled.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Foreman, Electrician, Fitter, Mine Supervisor, Tailor, Shot firer, Head Cook, Engine man, Welder, Blaster, Machinist, Sub-overseer (unqualified), surveyor, Operator, any other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical	
Accountant, Clerk Munshi, Stores clerk, Store, issuer, Storekeeper (Grade I & II), Tally clerk, Timekeeper, Tool keeper, Computor, Typist, Steno. Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations :

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also include the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the notified rates under the Act, the higher rates would be protected and treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

4. For the purpose of this notification :—

(a) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for inititative and judgement.

5. The minimum rates of wages for disabled persons and for persons below eighteen years of age shall be hundred and eighty per cent respectively of the rates payable to adult workers of the appropriate category.

[S-32019|3|83-WC(MW)]

का० आ० 765 (अ) :—लैटराइट खानों मे नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 439 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियो से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध मे प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (3) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 643 (अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् लैटराइट के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रूप मे पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और स्त्री), चौकीदार, खलासी, लदाई करने वाला, उतराई करने वाला,	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए)
उत्खनन श्रमिक, खनेयन, झाड़ूकश, बेलदार, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल	11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
सहायक ड्रिलर, माली, खनक, मेट, (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), मुकद्दम (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), हैण्ड चौकीदार, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
खान पर्यवेक्षक, ड्रिलर, कम्प्रेसर, ग्रटेंडर, मशीनरी ग्रटेंडर, विस्फोटकर्ता (शाट फायरर), ड्राईवर, मेट (धातूत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित), मुकद्दम (धातूत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित) पर्यवेक्षक, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम मे ज्ञात हों, जो कुशल हैं।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
लिपिक, मुंशी, लेखाकार, टाइम कीपर, सामग्री देने वाला, टंकक, अन्य प्रवर्ग चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो लिपिकीय हैं।	15.00 रु०

स्पष्टीकरण :

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी कुशलता अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

2. इस अधिसूचना द्वारा नियत न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमे आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हों, का नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और अक्षमवर्ग व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।

4. इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं।

5. जहां संविदा या करार पर या अन्यथा आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी ।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.]

S. O. 765(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in laterite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), at pages 2-3 of the Gazettee of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S. O. 439 (E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And Whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And Whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 643 (E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in laterite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled :	
Mazdoor (male and female), chowkidar, Cleaner, Khalasi, Loader, Unloader, Excavating labour,	Rs. 9.75 (for work above ground)
Khannya, Sweeper, Beldar, other categories by whatever name called which are unskille.	Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled/unskilled supervisory :	
Assistant Driller, Mali, Miner, Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Muccadam, (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations 1961), Head chowkidar, other categories by whatever name called which are semi-skilled/ unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled :	
Mine Supervisor, Driller, Compressor attender, Machinery attender, Blaster (shot firer), Driver, Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Muccadam (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), supervisory, other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical :	
Clerk, Munshi, Accountant, Time Keeper, Store Issuer, Typist, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

EXPLANATIONS :

1. For the purpose of this notification :—

(a) "unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b)"semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice or in a technical or vocational institute and the performance of which, calls for initiative and judgement.

2. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and cash value of concessional supply, if any, of essential commodities and also includes the wages payable for the weekly rest day.

3. The Minimum rates of wages for persons below 18 years of age and for disabled persons

shall be 80% and 100 per cent respectively of the rates payable to the adult workers of the appropriate category as specified in the Schedule above.

4. The minimum rates of wages revised by this notification are applicable also to employees engaged by contractors.

5. Where the existing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification.

[No. S-32019 (3)|83-WC(MW)]

अधिसूचना

का० आ० 766(अ).—मैंगनेटाइट खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने के लिए कुछ प्रस्ताव, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 की उपधारा (i) के खण्ड (ख) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 449(अ) दिनांक 18 जून, 1982 के अधीन भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 20 जून, 1983 के पृष्ठ 22—24 पर सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो माह की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप तथा सुझाव मांगे गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1982 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (i) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श करने के बाद, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम दरों को, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट मैंगनेटाइट खानों के रोजगारों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय हैं, निर्धारित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
(1)	(2)
अकुशल :	
मजदूर (पुरुष और महिला) चौकीदार, क्लीनर, खलासी, अर्थ-कटर, वाहक (पत्थर), वाहक, माली, पैट्रोल मैन, सफेदी करने वाला, पानी वाला, पानी ले जाने वाला, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं ।	9.75 रुपये (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
खनक, ब्रेकर, ड्रिलर, भिश्ती, परिचर, रसोइया, ड्रीचर, आया, प्रधान चौकीदार, मुकद्दम, आयल-मैन, पम्प खलासी, शाटफायरर, प्रधान मिस्त्री, क्वेरीमैन, खदान प्रचालक, स्टोरमैन, स्टाकर, बायलर मैन, वेचर, थुम्बामैन, टिण्डल, ट्राली मैन, जमादार, वैरा, ग्रैक्समैन, मवदगार (लौको, ट्रेन, ट्रक), टिम्बर मैन, जैक हैमर, माली, मेट (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना) स्टोन कटर और ड्रेसर, चीजल मैन, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो जो अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी है ।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
कुशल :	
लोहार, बढ़ई, कम्पाउंडर, बिजली मिस्त्री, फोरमैन, फिटर, खान पर्यवेक्षक, प्रधान रसोइया, इंजन मैन, बैलर, विस्फोटकर्ता, मशीनिस्ट, सबओवरसियर, (प्रशिक्षित), सर्वेक्षक, प्रचालक, मेट (धातुत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र सहित), अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो कुशल प्रकृति के हैं ।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य के लिए)
लिपिकीय :	
लेखाकार, लिपिक, मुंशी, स्टोर लिपिक, स्टोर, इशुअर सामग्री देने वाला, स्टोर कीपर ग्रेड (I और II) टैलीलिपिक, टाइमकीपर, टूल कीपर, कम्प्यूटर, टंकक, आशुलिपिक, अभिलेख-पाल, अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय प्रकृति के हैं ।	15.00 रु०

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :—

1. प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें है जिसमे आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का यदि कोई हो, नकदी मूल्य, सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

2. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है ।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असक्षम व्यक्तियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के व्यस्क कर्मकारों को संदेय दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और दो सौ प्रतिशत होंगी ।

4. (क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता का अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ।

(ख) "अर्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में

प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है, जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेक बुद्धि आवश्यक है ।

5. जहां संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें अधिनियम के अधीन अधिसूचित दरों से उच्चतम हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें संरक्षित की जाएंगी और इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी ।

*6. मैग्नेटाइट खान में काम करने वाला श्रमिक, जो उत्खनन और मैग्नेटाइट अयस्क हटाने तथा इससे सम्बद्ध कार्य में लगा है, को "खनक" माना जायेगा ।

[सं० एस० 32019/3/83-डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू०)]

NOTIFICATION

S. O. 766(E).—Whereas certain proposals to fix the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Magnetite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 22—24 of the Gazette of India, Extraordinary. Pat II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June 1983 under the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S. O. 449 (E) dated the 18th June, 1983, for information of, and inviting objections and suggestion from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And, whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section of (2) section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government, after consulting the Advisory Board, fixes the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in the employments in Magnetite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled	
Mazdoor (male and female), Chowkidar, Cleaner, Khalasi, Earthcutter, Carrier (stone,), Carrier, Mali, Petrolman, White washer, Waterman, Water carrier other categories by whatever name called which are unskilled	Rs. 9.75 (for work above ground). Rs. 11.75 (for work below ground).
Semi-skilled/unskilled Supervisory	
*Miner, Breaker, Driller, Bhisti, Attendant, Cook, Creche Ayah, Head Chowkidar, Muccadam, Oilman, Pump Khalasi, Shot Firer, Head Mistry, Quarryman, Quarry Operator, Storeman, Stocker, Boilerman Thatcher, Thoombaman, Tindals, Trolleyman, Jamadar, Bearer, Breaksman, Helper (loco Crane, Truck), Timberman, Jack Hammer, Mali, Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), Stone cutter and Dresser, Chisel man, other categories by whatever name called which are semiskilled/ unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground). Rs. 14.75 (for work below ground).
Skilled	
Blacksmith, Carpenter, Compounder, Electrician, Foreman, Fitter, Mine Supervisor, Head Cook, Engine man, Welder, Machinist, Sub-overseer (Unqualified, Surveyor, Pump Operator, Operator, Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), other categories by whatever name called which are of skilled nature.	Rs. 15.00 (for work above ground). Rs. 18.00 (for work below ground).
Clerical	
Accountant, Clerk, Munshi, Store clerk, Store issuer, Store keeper (grade I and II), Talley clerk, Timekeeper, Tool keeper, Computer, Typist, Steno, Record keeper, other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanation : For the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of the essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

(4) "Unskilled work" is one which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled work" is one which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c)"Skilled work" is one which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(5) Where the existing rates of wages of any employee, based on contract of agreement or otherwise, are higher than the rates notified herein, the higher rates shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employee.

*(6) A worker in a magnetite mine who is engaged in extraction and removal of magnetite ores as well as in other incidental jobs shall be designated as a 'Miner'.

[No. S-32019(3)|83-WC (MW)]

का० आ० 767(अ).—बाक्साइट में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी के न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (अ) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 444(अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 11-12 पर प्रकाशित की गई थी । उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 641(अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए और सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् बाक्साइट के निक्षेपण में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
(1)	(2)
अकुशल :	
(1) क्लीनर (2) मजदूर (पुरुष/महिला), (3) आफिस बॉय, (4) चपरासी, (5) पिकर (पुरुष/महिला), (6) झाड़ूकश, (7) वाचमैन, (8) वाटर कैरियर, (9) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो अकुशल हैं ।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
(1) सहायक ड्रिलर, (2) बुलडोजर खलासी, (3) बढ़ई मददगार, (4) क्रशर प्रचालक मददगार, (5) कैंटीन बॉय, (6) बागवानी माली (7) मेट (धातु उत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाण पत्र के बिना), (8) मुकद्दम (धातूत्पादक खान नियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाण-पत्र के बिना), (9) नमूने लेने वाला, (10) औजार तेज करने वाला, (11) *खनक श्रेणी-2, (12) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों जो अर्द्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं ।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
(1) लोहार, (2) विस्फोटकर्ता (शाटफायरर), (3) बढ़ई, (4) क्रशर प्रचालक, (5) कम्प्रेसर परिचर, (6) कम्प्रेसर ड्रिलर, (7) ड्रिलर, (8) ड्राईवर, (9) बिजली मिस्त्री, (10) फिटर, (11) मैकेनिक, (12) मेट (धातुत्पादक खान नियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाण-पत्र सहित), (13) पावर शावेल प्रचालक, (14) पम्प ड्राइवर, (15) पावर और पम्प हाऊस प्रचालक, (16) पम्प परिचर, (17) पर्यवेक्षक, (18) ट्रेक्टर प्रचालक, (19)**खनक श्रेणी-1, (20) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हैं, जो कुशल हैं ।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
(1) लिपिक, (2) मुंशी, (3) आशुलिपिक, (4) टंकक, (5) अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो लिपिकीय हैं।	15.00 रुपये

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरें हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हों, का नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

2. इस अधिसूचना द्वारा नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं ।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी ।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए--

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी या कतई अवधि अर्जित करने वाला अथवा कुछ भी कुशलता या अनुभव न अपेक्षित करने वाला साधारण किस्म का कार्य सम्मिलित है ।

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में अकुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत पर्यवेक्षी अकुशल कार्य भी है ।

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

5. जहां संविदा या करारनामे आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी।

*6. बाक्साइट खानों में काम करने वाला श्रमिक जो शेष रहा अधिभार सामग्री हटाता है, बाक्साइट अयस्क निकालता है और बाक्साइट अयस्क को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और/या बाक्साइट अयस्कों को विभिन्न ग्रेडों में छांटता है, को "खनक ग्रेड-II" माना जाएगा ।

**7. बाक्साइट खानों में काम करने वाला श्रमिक, जो वेधन या विस्फोटन या वेधन-एवं-विस्फोटन का कार्य करता है, को "खनक ग्रेड-I" माना जाएगा ।

[एस-320 19/3/83-डब्ल्यू०सी० (एम० डब्ल्यू०)]

S. O. 767(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Bauxite mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 12-13 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S. O. 444 (E) dated the 18th June, 1983 for information of, and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S. O. 641 (E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government after consulting the Advisory Board revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in Bauxite mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Unskilled:	
(1) Cleaner, (2) Mazdoor (male/female), (3) Office Boy, (4) Peon, (5) Picker (Male/Female), (6) Sweeper, (7) Watchman,	Rs. 9.75 (for work above ground)
(8) Water Carrier, (9) Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled/Unskilled Supervisory:	
(1) Assistant Driller, (2) Bulldozer Khalasi, (3) Carpenter Helper, (4) Crusher Operator Helper, (5) Canteen Boy, (6) Garden Mali, (7) Mate (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (8) Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (9) Sampler, (10) Tool Sharper, (11) * Miner Grade II, (12) Other catgories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground)
	Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled:	
(1) Blacksmith, (2) Blaster, (shot firer), (3) Carpenter, (4) Crusher Operator, (5) Compressor Attendant, (6) Compressor Driller, (7) Driller, (8) Driver, (9) Electrician, (10) Fitter, (11) Mechanic, (12) Mate (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (13) Power Shovel Operator, (14) Pump Driver, (15) Power and Pump House Operator, (16) Pump Attendant, (17) Supervisor, (18) Tractor Operator, (19) Miner Grade-I**, (20) Other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground)
	Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical:	
(1) Clerk, (2) Munshi, (3) Stenographer, (4) Typist, (5) Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations :

1. The minimum rates of wages revised by this notification are all inclusive rates including

the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of concessional supply, if any, of essential commodities, and include also the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80% and 100% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

4. For the purpose of this notification :—

(a) "unskilled work" means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "semi-skilled work" means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee, and includes unskilled supervisory work ;

(c) "skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

5. Where the existing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as minimum rate of wages for the purpose of this notification.

*6. A worker in bauxite mines who removes the left over over-burden material, extracts bauxite ores and breaks bauxite ore into small pieces and/or sorts out bauxite ores into various grades shall be regarded as a 'Miner Grade-II'.

**7. A worker in bauxite mines who performs the work of drilling or blasting or drilling-cum-blasting shall be regarded as 'Miner Grade-I'.

[No. S-32019 (3)/83-WC (MW)]

अधिसूचना

का० आ० 768 (अ).—जिप्सम और बाराईट्स खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (अ) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उसमें प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 455(अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 34-35 पर प्रकाशित की गई थी। उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा (3) की उपधारा (i) के खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 639(अ) तारीख 2 सितम्बर, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् जिप्सम और बाराईट्स खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
(1)	(2)
जिप्सम खान	
अकुशल :	
(1) आया, (2) बेकर हस्तचालित साधित्रों का प्रयोग करने वाला), (3) क्लीनर, (4) ड्राईवर: बैलगाड़ी, ऊंट, गधा, या टट्टू, (5) डाक ले जाने वाला, (6) प्रयोगशाला बॉय, (7) मजदूर (पुरुष या स्त्री), (8) पिकर पुरुष या स्त्री (9) चपरासी, (10) नमूना बॉय, (11) साइकल (पुरुष या स्त्री), (12) पानी वाला या (13) चौकीदार, (14) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे वे किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अकुशल हैं।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
(1) बेकर (यांत्रिक का प्रयोग करने वाला), (2) चेकर, (3) रसोइया, (4) केयर टेकर, (5) औषधालय परिचर, (6) गार्डन माली, (7) ब्लैस्टर ब्लास्ट होल बोरर आपरेटर, (8) हलवाई, (9) प्रधान चौकीदार, (10) खलासी (बुलडोजर), (11) प्रयोगशाला परिचर, (12) मेट/मुकद्दम (धातुमय विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाण-पत्र के बिना), (13) प्वाइंट्समैन, (14) लैम्पलर, (15) टेलीफोन परिचर, (16) अप्रशिक्षित शिक्षकक्ष परिचर, *(17) खनक, (18) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

(1)	(2)
कुशल :	
(1) सहायक नमूना लेने वाला, (2) वायु संपीड़ित, (3) सहायक रसायनज्ञ, (4) सहायक फोरमैन, (5) लोहार, (6) बढ़ई, (7) कंपाउंडर, (8) रसायनज्ञ, (9) डीजल मैकेनिक, (10) ड्राईवर, (11) ड्रिलर, (12) नवशातवीस, (13) बिजली मिस्त्री, (14) फिटर, (15) फेरोमुद्रक और जैप मैन, (16) जेनरेटर आपरेटर, (17) लाइनमैन, (18) वेलाई फोरमैन, (19) लैंप मिस्त्री, (20) राज, (21) मिडवाइफ, (22) मेट, जिसके पास धातुमय खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र है, (23) पम्प परिचर, (24) रंग-साज, (25) कुशल मजदूर, (26) शाटफायरर, (27) स्थायी इंजन परिचर, (28) शावेल आपरेटर, (29) उप ओवरसियर, (30) पर्य-वेक्षक, (31) टर्नर, (32) टब मरम्मत करने वाला, (33) टिम्बर मैन, (34) वायर मैन, (35) वेल्डर, (36) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हों ।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
(1) लिपिक, (2) वाच और वार्ड का भार-साधक, (3) मुंशी, (4) कार्यालय सहायक, (5) सामग्री देने वाला, (6) आशुलिपिक, (7) टंकक, (8) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं ।	15.00 रुपये
बेराईट्स खान	
अकुशल :	
(1) कर्तक, (2) ड्रेसर, (3) लोडर, (4) मजदूर (पुरुष/स्त्री), (5) चौकीदार, (6) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं ।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
(1) गार्डन माली, (2) हथौड़े वाला, (3) लोडर (पुरुष/स्त्री), (4) **खनक, (5) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो अर्द्धकुशल/अकुशल पर्य-वेक्षी हैं ।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
कुशल :	
(1) ब्लास्ट कर्ता (शाटफायरर), (2) संपीड़ित ड्राईवर, (3) ड्रिलर, (4) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो कुशल हैं ।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमी के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
(1) लिपिक, (2) मुंशी, (3) आशुलिपिक, (4) टंकक, (5) अन्य प्रवर्गों के व्यक्ति चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, जो लिपिकीय हैं ।	15.00 रुपये

स्पष्टीकरण ।

1. इस अधिसूचना द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम दरें सन्नेसम्मिलन दरें हैं, जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों का, यदि कोई हो, नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

2. इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू है ।

3. अठारह वर्ष से कम आयु के और असमर्थ व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें इस अधिसूचना द्वारा समुचित प्रवर्ग के वयस्क कर्मकारों के लिए नियत दरों का क्रमश: 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होंगी ।

4. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :—

(क) "अकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य की बहुत थोड़ी कुशलता करने वाली अथवा कुछ भी कुशलता का अनुभव अपेक्षित न अपेक्षित करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं;

(ख) "अर्द्धकुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या सक्षमता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण का मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है;

(ग) "कुशल कार्य" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में या किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है ।

5. जहां संविदा या करार पर आधारित मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहां इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसी उच्चतर दरें न्यूनतम मजदूरी की दरें मानी जाएंगी।

*(6) जिप्सम खान में काम करने वाला श्रमिक, जो अतिभार हटाने और जिप्सम के उत्खनन के कार्य में लगा है, "खनक" माना जाएगा ।

**(7) बेराईट्स खानों में नियोजित वे श्रमिक "खनिक" माने जाएंगे, जो बेराईट्स अयस्क के उत्खनन, तोड़ने, चयन करने/वर्गीकरण तथा ड्रेसिंग के कार्य करने के लिए नियोजित किए गए हैं तथा बेराईट्स खानों के बेड/रॉफ पर उसी व्यक्ति द्वारा इसके अन्य आनुषंगिक कार्य किए जाते हैं ।

[सं० एस-32019/3/83-डब्ल्यू० सी० (एम०डब्ल्यू०)]

NOTIFICATION

S.O. 768(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in Gypsum and Barytes Mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum

Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 35-37 of that Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 455(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983:

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3, read with clause (iii) of sub-section (1) of Section 4 and sub-section (2) of section (5) of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 639(E) dated the 2nd September, 1982, the Central Government after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees employed in employments in Gypsum and Bavrutes Mines as specified in the corresponding entries in column (1) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Gypsum Mines	
Unskilled	
(1) Ayah, (2) Breaker (using manual appliances), (3) Cleaner, (4) Driver (Bullock cart, camel, Donkey or mule), (5) Dak runner, (6) Laboratory boy, (7) Mazdoor (male/female), (8) Picker (male/female), (9) Peon, (10) Sample boy, (11) Sweeper, (male/female), (12) Waterman, (13) Watchman, (14) Other categories by whatever name called which are unskilled	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled/unskilled supervisory	
(1) Breaker (using mechanical appliances) (2) Checker, (3) Cook, (4) Caretaker, (5) Dispensary attendant, (6) Gardener/Mali, (7) Helper (carpenter, Crusher Operator), (8) Halwai, (9) Head Chowkidar (10) Khalasi (Bulldozer), (11) Laboratory attendant, (12) Mate/Muccadam (without competence certificate under Metalliferous Mines Regulation, 1961), (13) Pointsman, (14) Sampler, (15) Telephone attendant, (16) Untrained Creche Attendant, (17) ** Miner, (18) Other categories by whatever name called which are semi-skilled or unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled	
(1) Assistant sample taker, (2) Air compressor Attendant (3) Assistant Chemist, (4) Assistant Foreman, (5) Black-smith, (6) Carpenter, (7) Compounder, (8) Chemist, (9) Diesel Mechanic, (10) Driver, (11) Driller, (12) Draughtsman, (13) Electrician, (14) Fitter, (15) Ferro printer-cum-Chalkman, (16) Generator Operator, (17) Lineman, (18) Loading Foreman, (19) Lathe Mistry, (20) Mason, (21) Midwife, (22) Mate, (with competency certificate under Metalliferous Mines Regulation, 1961), (23) Pump Attendant, (24) Painter, (25) Skilled Mazdoor, (26) Shot firer, (27) Stationary Engine Attendent, (28) Shovel Operator, (29) Sub-overseer, (30) Supervisory, (31) Turner, (32) Tub-repairer, (33) Timberman, (34) Wireman, (35) Welder, (36) Other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical :	
(1) Clerk, (2) Incharge Watch and Ward, (3) Munshi, (4) Office Assistant, (5) Store Issuer, (6) Stenographer, (7) Time-keeper, (8) Typist, (9) Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00
Barytes Mines	
Unskilled :	
(1) Chipper, (2) Dresser, (3) Loader, (4) Mazdoor (male/female), (5) Watchman, (6) Other categories by whatever name called which are unskilled.	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground)
Semi-skilled/unskilled Supervisory :	
(1) Gardener/Mali, (2) Hammerman, (3) Loader (male/female), (4) ** Miner, (5) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled :	
(1) Blaster (shot-firer), (2) Compressor Driver, (3) Driller, (4) Other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical :	
(1) Clerk, (2) Munshi, (3) Stenographer, (4) Typist, (5) Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations :

1. The minimum rates of wages fixed by this notification are all inclusive rates including the basic rate, the cost of living allowance and cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and include also the wages payable for the weekly day of rest.

2. The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by contractors also.

3. The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and desabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of appropriate category.

4. For the purpose of this notification :—

(a) 'Unskilled work' means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) 'semi-skilled work' means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) 'skilled work' means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training or an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgment.

5. Where the existing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the rates fixed by this notification, the higher rates shall be treated as minimum rates of wages for the purpose of this notification.

*6. Worker in a gypsum mine is engaged in the removal of overburden and excavation of gypsum shall be regarded as a 'Miner'.

**7. Workers engaged in barytes mines for excavating, breaking, picking|sorting and dressing of barytes ores or for doing other works incidental thereto performed by the same person at barytes mines bed|roof, shall be regarded as 'Miner'.

[S-32019|3|83-WC(MW)]

का० आ० 769(अ).—मैंगनीज खानों में नियोजित कर्मचारियों के प्रवर्गों की संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरों के पुनरीक्षण के लिए कुछ प्रस्थापनाएं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 443 (अ) तारीख 18 जून, 1983 के अधीन, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 जून, 1983 के पृष्ठ 9-10 पर प्रकाशित की गई थी । उक्त व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र 20 जून, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्थापनाओं के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (iii) और धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 636 (अ) तारीख 2 सितम्बर 1982 को अधिक्रांत करते हुए तथा सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् मैंगनीज खानों के नियोजन में नियोजित ऐसे कर्मचारियों के प्रवर्गों को, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) की तत्स्थानीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, संदेय मजदूरी की न्यूनतम दरें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट रूप में पुनरीक्षित करती है और निदेश देती है कि यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

अनुसूची

कार्य का वर्गीकरण	दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरें
1	2
मैंगनीज खानें	
अकुशल :	
(1) आया, (2) बटलर, (3) अभिरक्षक, (4) चौकीदार, (5) क्लीनर, (6) ड्रेसर, (7) श्रमिक, (8) सफाई करने वालां, (9) मजदूर (पुरुष/महिला), (10) संदेशवाहक, (11) स्वीपर, (12) आफिस बाय, (13) चपरासी, (14) पिकर, (पुरुष/महिला), (15) सार्टर, (16) साइकश (पुरुष/महिला), (17) ट्रेपर, (18) ट्राली मैन, (19) ट्राली ट्रिपर, (20) वाटर कैरियर, (21) अन्य प्रवर्ग कोई चाहे उनका कोई भी नाम हो, जो अकुशल है ।	9.75 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 11.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी :	
(1) बैंकमैन, (2) ब्रेक्समैन, (3) केज गार्ड, (4) चेकर, (5) रसोइया, (6) धोबी (पुरुष/महिला), (7) फायर मैन, (8) ग्रीजर, (9) ग्राइन्डर, (10) हथौड़ा चलाने वाला (11) मदवगार, (बढ़ई, क्रेशर प्रचालक, (12) जमादार, (13) खलासी, (बुलडोजर आदि), (14) सैम्पलक्ल भार-साधक, (15) मैट/माली (धातूत्पादक खान विनियम, 1961 के अधीन क्षमता प्रमाणपत्र के बिना), (16) आयलर, (17) प्वाइंट मैन, (18) सैम्पलर, (19) स्टोर मैन, (20) खलक, (21) अन्य प्रवर्ग चाहे उनका कोई भी नाम हो, जो अर्द्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी हैं ।	12.25 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 14.75 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)

(1)	(2)
कुशल:	
(1) अगेमर (2) लोहार (3) विस्फोटकर्ता (शाट फायरर) (4) बढ़ई (5) चार्जमैन (6) रसायनज्ञ (7) कम्पाउन्डर (8) क्रेच परिचारक (9) नक्शानवीश (10) ड्रिनर (11) ड्राइवर (12) बिजली मिस्त्री (13) फिटर (14) फोरमैन (15) मिस्त्री (16) ग्रेफिक (17) मिडवाइफ (18) राज (19) मोल्डर (20) चालक (21) ओवरसियर (22) पेन्टर (23) पाइप फिटर (24) पर्यवेक्षी (25) सर्वेक्षक (26) टिन स्मिथ (27) टिम्बर मैन (28) टर्नर (29) वेल्डर (30) वायर मैन (31) वर्क सरकार (32) अन्य प्रवर्ग चाहे उनका कोई भी नाम हो, जो कुशल हैं ।	15.00 रु० (भूमि के ऊपर कार्य करने के लिए) 18.00 रु० (भूमि के नीचे कार्य करने के लिए)
लिपिकीय :	
(1) रोकड़िया (2) लिपिक (3) रजिस्टर पाल (4) भंडारी (5) शिक्षक (6) टाइम कीपर (7) टंकक (8) अन्य प्रवर्ग चाहे उनका कोई भी नाम हों, जो लिपिकीय हैं ।	15.00 रुपये

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण :—

(1) न्यूनतम दरें सर्वसम्मिलित दरे हैं जिनमें आधारी दर, जीवन निर्वाह भत्ता, आवश्यक वस्तुओं के रियायती दर पर किए गए प्रदायों, यदि कोई हो, का नकदी मूल्य सम्मिलित है तथा साप्ताहिक विश्राम के लिए देय मजदूरी भी सम्मिलित है ।

(2) मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों को भी लागू हैं ।

(3) अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को और निःशक्त व्यक्तियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरें समुचित प्रवर्ग के कर्मकारों के लिए इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी ।

(4) (क) 'अकुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें बहुत थोड़ी कुशलता या अनुभव अपेक्षित करने वाली या कुछ भी कुशलता अथवा अनुभव अपेक्षित न करने वाली साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ;

(ख) 'अर्द्धकुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या साक्षरता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी पर्यवेक्षण के मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अन्तर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ;

(ग) 'कुशल कार्य' से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अथवा शिक्षु के रूप में किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या सक्षमता अपेक्षित है जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि आवश्यक है।

5. जहां आधारी मजदूरी की विद्यमान दरें इस अधिसूचना द्वारा नियत दरों से उच्चतर हैं वहां ऐसी उच्चतर दरें इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ ऐसे कर्मकारों को लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें समझी जाएंगी ।

(6) मैगनीज अयस्क के उत्खनन के लिए मैगनीज खानों में नियोजित वे श्रमिक "खनिक" माने जाएंगे, जो अयस्क के उत्खनन, तोड़ने वर्गीकरण या ड्रेसिंग-कार्य करते हैं तथा मैगनीज बेड/रीफ् पर इसके अन्य आनुषंगिक कार्य भी उसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं ।

[एस-32019/3/83-डब्ल्यू०सी०(एम० डब्ल्यू०)]
विश्वम्भर नाथ, अवर सचिव

S.O. 769(E).—Whereas certain proposals to revise the minimum rates of wages payable to the categories of employees employed in manganese mines were published as required by clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) at pages 10-11 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June, 1983 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour) number S.O. 443(E) dated the 18th June, 1983 for information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 20th June, 1983 ;

And whereas the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 636(E) dated the 2nd September, 1982 the Central Government, after consulting the Advisory Board, revises the minimum rates of wages as specified in column (2) of the Schedule annexed hereto payable to the categories of employees employed in employments in manganese mines as specified in the corresponding entries in column (i) of the said Schedule and directs that this notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

Classification of work	Minimum rates of wages per day
(1)	(2)
Manganese Mines	
Unskilled	
(1) Ayah, (2) Butler, (3) Caretaker, (4) Chowkidar, (5) Cleaner (6) Dresser, (7) Labourer, (8) Loader, (9) Mazdoor (male/female), (10) Messenger, (11) Numbertaker, (12) Office boy, (13) Peon, (14) Picker (male/female), (15) Sorter,	Rs. 9.75 (for work above ground) Rs. 11.75 (for work below ground).

(1)	(2)
(16) Sweeper (male/female), (17) Trammer, (18) Trollyman, (19) Trolly triper, (20) Water carrier, (21) Other categories by whatever name called which are unskilled.	
Semi-skilled/Unskilled supervisory	
(1) Bankman, (2) Brakesman, (3) Cash guards, (4) Checker, (5) Cook, (6) Dhobi (male/female), (7) Fireman, (8) Greaser, (9) Grinder (10) Hammerman, (11) Helper, (carpenter crusher, operator), (12) Jamadar, (13) Khalasi (bulldozer etc.), (14) Lamp room incharge, (15) Mate/Mali (without competency certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961), (16) Oiler, (17) Pointsman, (18) Sampler, (19) Storeman, (20)* Miner, (21) Other categories by whatever name called which are semi-skilled/unskilled supervisory.	Rs. 12.25 (for work above ground) Rs. 14.75 (for work below ground)
Skilled	
(1) Asayer, (2) Blacksmith, (3) Blaster (shot firer), (4) Carpenter, (5) Compounder, (6) Creche attendant, (7) Chemist, (8) Chargeman, (9) Draughtsman, (10) Driller, (11) Driver, (12) Electrician, (13) Fitter, (14) Foreman, (15) Mason, (16) Mechanic, (17) Midwife, (18) Mistry, (19) Moulder, (20) Operator, (21) Overseer, (22) Painter, (23) Pipe-fitter, (24) Supervisor, (25) Surveyor (26) Tin-smith, (27) Timberman, (28) Turner, (29) Welder, (30) Wireman, (31) Work-sarkar, (32) Other categories by whatever name called which are skilled.	Rs. 15.00 (for work above ground) Rs. 18.00 (for work below ground)
Clerical	
(1) Cashier, (2) Clerk, (3) Register-keeper, (4) Store-keeper, (5) Teacher, (6) Time-keeper, (7) Typist, (8) Other categories by whatever name called which are clerical.	Rs. 15.00

Explanations for the purpose of this notification :

(1) The minimum rates of wages are all inclusive rates including the basic rates; the cost of living allowance and the cash value of the concessional supply, if any, of essential commodities and includes also the wages payable for the weekly day of rest.

(2) The minimum rates of wages are applicable to employees employed by contractors also.

(3) The minimum rates of wages for young persons below 18 years of age and disabled persons shall be 80 per cent and 100 per cent respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

(4) (a) "Unskilled" work means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job;

(b) "Semi-skilled" work means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work;

(c) "Skilled work" means work which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement:

(5) Where the prevailing rates of wages of any employee is higher than the rates notified herein, the higher wages shall be treated as the minimum rates of wages applicable for the purpose of this notification to such employees.

(6)* Workers engaged in manganese mines for extraction of manganese ores which they do by excavating, breaking, sorting of dressing of ores and other work incidental thereto performed by the same person at manganese bed/reef shall be regarded as 'minor'.

[S-32019/3/83-WC(MW)]

BISHAMBHAR NATH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 469] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 19, 1983/आश्विन 27, 1905
No. 469] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 1983/ASVINA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1983

का०आ० 744(अ) :—केन्द्रीय सरकार, कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1983 (1983 का 10) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, सूर्यकिरण बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को, नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कपड़ा उपक्रम का अभिरक्षक नियुक्त करती है :—

सारणी

क्रम सं०	उपक्रम का नाम
(1)	(2)
1.	एलफिस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स
2.	फिनले मिल्स
3.	गोल्ड मोहर मिल्स
4.	आम मैन्युफैक्चरिंग मिल्स
5.	कोहिनूर मिल्स (नं० 1)
6.	कोहिनूर मिल्स (नं० 2)
7.	कोहिनूर मिल्स (नं० 3)
8.	न्यू सिटी आफ बाम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स
9.	पोद्दार मिल्स
10.	पोद्दार मिल्स (प्रोसेस हाउस)
11.	श्री मधुसूदन मिल्स
12.	श्री सीताराम मिल्स
13.	टाटा मिल्स

[फा० सं० 7/1/83-सीपी]

प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 470] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 19, 1983/आश्विन 27, 1905

No. 470] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 1983/ASVINA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1983

का॰ आ॰ 745(अ).—केन्द्रीय सरकार, कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अध्यादेश, 1983 (1983 का 10) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अध्यादेश की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिरक्षक को, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, सूर्य किरण बिल्डिंग, नई दिल्ली की किसी सयनुषंगी को नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक कपड़ा उपक्रम का अपर अधिरक्षक नियुक्त करने के लिए, प्राधिकृत करती है :—

सारणी

क्रम सं॰	उपक्रम का नाम
1.	एलफिस्टन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स
2.	फिनले मिल्स
3.	गोल्ड मोहर मिल्स
4.	जाम मैन्युफैक्चरिंग मिल्स
5.	कोहिनूर मिल्स (नं॰ 1)
6.	कोहिनूर मिल्स (नं॰ 2)
7.	कोहिनूर मिल्स (नं॰ 3)
8.	न्यू सिटी आफ बाम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स
9.	पोद्दार मिल्स
10.	पोद्दार मिल्स (प्रोसेस हाउस)
11.	श्री मधुसूदन मिल्स
12.	श्री सीताराम मिल्स
13.	टाटा मिल्स

[फा॰ सं॰ 7/1/83/सीपी]

प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 471] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 24, 1983/कार्तिक 2, 1905
No. 471] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 1983/KARTIKA 2, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1983

का. आ. 770 (अ) :—आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अभिकरण आदेश, 1975 [जी एस आर 285(इ), तारीख 19 मई, 1975] के पैरा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश, न्याय-मूर्ति श्री पी. एन. बक्शी को न्यायमूर्ति श्री एस. पी. सिन्हा के त्यागपत्र के कारण हुए रिक्त पद पर आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अभिकरण, हैदराबाद के अध्यक्ष के रूप में उस तारीख से नियुक्त करते हैं जिस तारीख से वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे ।

[एस. 21013/9/81-एस आर]

हर्षवर्दन गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 1983

S.O. 770(E).—In exercise of the powers conferred by paragraph 3 of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal Order, 1975 [GSR 285(E), dated the 19th May 1975], the President is pleased to appoint Shri Justice P. N. Bakshi, a sitting Judge of the Allahabad High Court as the Chairman of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal, Hyderabad with effect from the date he takes over charge of office, in the vacancy caused by the resignation of Shri Justice S. P. Sinha.

[S. 21013/9/81-SR]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 1983/कार्तिक 3, 1905
No. 472] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 1983/KARTIKA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(स्टाक एक्सचेंज प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1983

का० आ० 771(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार को मद्रास स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड मद्रास की परिषद् की ओर से इस आशय का एक लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ है, कि उसके द्वारा बनाई गई उप-विधियों में संशोधन कर दिया जाए ।

अतः अब प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मद्रास स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड मद्रास की परिषद् की उप-विधियों में, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संशोधन करती है और उस धारा की उपधारा (4) के परन्तुक के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व्यापार के हित में तथा विनिर्दिष्ट शेयरों के संबंध में किए गए संविदाओं के अविलम्ब अनुपालन के लिए संविदा देने के निमित्त, एतद्द्वारा, उप-विधियों में उक्त संशोधनों के पूर्व प्रकाशन की शर्त से भी अभिमुक्ति प्रदान करती है ।

अनुसूची

मद्रास स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड मद्रास की परिषद् की उप-विधियों में :—

(1) उप-विधि 48 में, वर्तमान खण्ड (ii) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"किन्तु यह व्यवस्था भी की गई है कि ऐसे शेयरों के मामले में जिनको परिषद् द्वारा "विनिर्दिष्ट शेयर" अभिहित किया गया है, सुपुर्दगी तथा अदायगी की अवधियां शासी बोर्ड द्वारा प्रत्येक मामले में 14 दिन और आगे तक इस तरह से बढ़ाई तथा स्थगित की जा सकेंगी कि कुल मिला कर वह अवधि संविदा की तारीख से 90 दिन से ज्यादा की न हो जाए ।"

(2) उप-विधि "52" के बाद, एक नई उप-विधि "52क" जोड़ दी जाएगी—

"विनिर्दिष्ट शेयरों में सौदे"

52क. जब तक परिषद् द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया जाए "विनिर्दिष्ट शेयरों" में निम्नलिखित रीति से सौदे पूरे किए जाएंगे ।

(क) समस्त सौदों का निपटान हर 14 दिनों के बाद, जिसे इसमें इसके पश्चात् "निपटान अवधि" कहा गया है सुपुर्दगी तथा अदायगी के द्वारा अथवा उस रीति से किया जाएगा जिस का निर्धारण परिषद् द्वारा उपर्युक्त रीति के अतिरिक्त अथवा उस में संशोधन करते हुए किया जाए ।

(ख) परिषद् प्रत्येक निपटान अवधि के संबंध में अग्रिम आधार पर प्रथम तथा अन्तिम व्यापार दिवस निश्चित करेगी ।

(ग) सौदे हाजिर सुपुर्दगी अथवा दस्ती सुपुर्दगी अथवा विशेष सुपुर्दगी अथवा व्यवस्थापन के लिए किए जा सकेंगे किन्तु सौदा करते समय जब तक अन्यथा अनुबन्धित न किया जाए तब तक समस्त सौदों को तत्सामयिक व्यवस्थापन के लिए किए सौदे माना जाएगा ।

(घ) निर्धारित व्यापारिक एकक अथवा उसके गुणितों से भिन्न एककों के सौदों को उप-विधि 48(ii) में यथा परिभाषित व्यवस्था के अनुसार दस्ती सुपुर्दगी के सौदों के रूप में माना जाएगा ।

(ङ) जो सौदे चालू तथा अनुवर्ती निपटान अवधियों के आगे तक की अवधियों के लिए किए गए होंगे वे शून्य सौदे माने जाएंगे ।

(च) एक निपटान अवधि से दूसरी निपटान अवधि में अग्रेणीत सौदे कार्यकारी निदेशक द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में सचिव द्वारा किसी भी प्रतिभूति के लिए निश्चित किए गए पूरक मूल्य पर किए गए सौदे माने जाएंगे ।

(छ) निपटान अवधि के दौरान किए गए सौदों को क्रय अथवा विक्रय के द्वारा बन्धित किया जा सकेगा अथवा अगली निपटान अवधि में आगे तक ले जाया जा सकेगा । अन्य समस्त सौदे जो बकाया रहें उनको इस प्रयोजन के लिए निश्चित दिनों पर सुपुर्दगी तथा अदायगी द्वारा पूरा करना आवश्यक होगा ।

(ज) इन उप-विधियों और विनियमों के समस्त उपबन्ध जो इस समय समाशोधित प्रतिभूतियों के सौदों के निपटारे पर लागू हैं और जो उपर्युक्त व्यवस्था के विरुद्ध नहीं हैं वे "विनिर्दिष्ट शेयरों" में सम्पन्न सौदों के निपटारे की व्यवस्था पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।"

(3) उप-विधि 72 के खण्ड (ग) के बाद एक नया खण्ड (घ) जोड़ दिए जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) यदि परिषद् की राय में किसी प्रतिभूति में उपयुक्त विनिर्दिष्ट किस्म की कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो वह एक विशेष संकल्प के द्वारा विक्रेता द्वारा क्रेता को दिए जाने वाले विलम्ब छूट प्रभारों का विनियमन कर सकेगी ।"

(4) उप-विधि 343 के खण्ड (1) में "एक्सचेंज का (आफ दी एक्सचेंज)" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :—

"अथवा जिसमें दलाल ने या तो स्वयं अदायगी न की हो, या किसी भी प्रतिभूति में सम्पन्न सौदों के संबंध में देय मार्जिन के अपवंचन के मामले में व्यतिक्रमि के साथ अवैध रूप से तालमेल जोड़ लिया हो ।"

[एफ० संख्या 2/7/एस० ई०/83]

नीतीश सेनगुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 1983

S.O. 771(E).—Whereas the Central Government has received a request in writing from the Council of the Madras Stock Exchange Limited, Madras that the bye-laws made by it may be amended.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the amendments to the bye-laws of the Madras Stock Exchange Limited, Madras, specified in the Schedule below, and in pursuance of the proviso to sub-section (4) of that section the Central Government, in the interest of the trade, and to facilitate performance of contracts in respect of specified shares without delay hereby dispenses with the condition of previous publication of the said amendments to the bye-laws.

SCHEDULE

In the bye-laws of the Madras Stock Exchange Limited, Madras,—

(1) in Bye-law 48, at the end of the existing clause (ii) the following proviso shall be added, namely :—

"Provided however that in the case of such shares as may be designated by the Council as "specified shares", delivery and payment may be extended or postponed by the Council by further periods of 14 days each, so that the overall period does not exceed 90 days from the date of the contract."

(2) after Bye-law 52, a new bye-law 52A shall be added, namely :—

"Bargains in specified share".

52A. Unless otherwise determined by the Council, bargains in "specified shares" will be performed in the following manner :

(a) All bargains shall be settled every fourteen days hereinafter called a "Settlement Period" by delivery and payment or as the Council may from time to time prescribe in addition thereto or in modification thereof.

(b) The Council shall fix in advance the first and last business day for each settlement period.

(c) The bargains may be for spot delivery or for hand delivery or for special delivery or for the settlement but unless otherwise stipulated when entering into the bargain, all bargains shall be deemed to be for the current settlement.

(d) Bargains in other than the prescribed trading unit or multiples thereof shall be deemed to be for hand delivery as defined in Bye-law 48 (ii).

(e) Bargains made for a period beyond the current and ensuing Settlement periods shall be void.

(f) Bargains carried over from one settlement to another shall be at the making-up price fixed for any security by the Executive director or in his absence by the Secretary.

(g) Bargains entered into during the settlement period may be closed by purchase or sale or carried over to the next settlement period. All other bargains which remain outstanding must be performed by delivery and payment on the days fixed for the purpose.

(h) All the provisions in these bye-laws and regulations which are at present applicable to the settlement of bargains in cleared securities and which are not in conflict with the above will apply mutatis mutandis to the settlement of bargains in "specified shares"."

(3) after clause (c) of Bye-law 72, a new clause (d) shall be added, namely :—

"(d) If in the opinion of the Council an emergency of the type referred to above has arisen in any security it may by a special resolution regulate the backwardation charges payable to the buyer by the seller".

(4) in clause (i) of Bye-law 343, after the words "of the Exchange", the following words, shall be added, namely :—

"or in which the claimant has either not paid himself or colluded with the defaulter in the evasion of margin payable on bargains in any security".

[File No. F. 2|7|SE|83]
N. K. SENGUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 473] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 1983/कार्तिक 3, 1905
No. 473] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 1983/KARTIKA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1983

का० आ० 772(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 112 (अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 26 फरवरी, 1979 (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स बैटकोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छह महीने की अवधि के लिए अर्थात् 25 अगस्त, 1979 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक ग्रहण किया था और एन्ड्रयूयूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 476(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/79, तारीख 22 अगस्त, 1979, सं० का०आ० 637(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/80, तारीख 23 अगस्त, 1980, सं० का०आ० 126(अ)/18कक/उ०वि०वि० अ०/81, तारीख 23 फरवरी, 1981, सं० का०आ० 98(अ)/18कक/उ० वि०वि०अ०/82, तारीख 25 फरवरी, 1982, सं० का०आ०611(अ)/ 18कक/उ०वि०वि०अ०/82, तारीख 23 अगस्त, 1982, सं०का०आ० 143 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83, तारीख 24 फरवरी, 1983 तथा सं० का०आ० 611(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83, तारीख 24 अगस्त, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि तारीख 25 अक्तूबर, 1983 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक बढ़ा दी गई गई थी;

और भारत सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को एक महीना की और अवधि के लिए एन्ड्रयूयूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र के अधीन बने रहना चाहिए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18-कक की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि उक्त आदेश एक महीना की और अवधि के लिए अर्थात् तारीख 25 नवम्बर, 1983 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) प्रभावी बना रहेगा।

[फा०सं० 5(14)/78-सी०यू०एम०]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 25th October, 1983

S.O. 772(E)|18AA|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 112(E)|18AA|IDRA|79, dated the 26th February, 1979 (hereinafter referred to

as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Brentford Electric (India) Limited, Calcutta, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of six months upto and inclusive of 25th August, 1979 and Andrew Yule and Company Limited, Calcutta, was authorised to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 476(E)|18AA|IDRA|79, dated the 22nd August, 1979, No. S.O. 637(E)|18AA|IDRA|80, dated the 23rd August, 1980, No. S.O. 126(E)|18AA|IDRA|81, dated the 23rd February, 1981, No. S.O. 98(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th February, 1982, No. S.O. 611(E)|18AA|IDRA|82, dated the 23rd August, 1982, No. S.O. 143(E)|18AA|IDRA|83, dated the 24th February, 1983, and No. S.O. 611(E)|18AA|IDRA|83, dated 24th August, 1983 ; the duration of the said Order was extended for a further period upto and inclusive of the 25th October, 1983

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Andrew Yule and Company Limited, Calcutta, for a further period of one month ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one month upto and inclusive of the 25th November, 1983.

[File No. 5(14)|78-CUS].

आदेश

का० आ० 773(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/83 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 124(अ)/18-एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 5 मार्च, 1979 तथा सं० का०आ० 130(अ)/18-एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 9 मार्च, 1979 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उपधारा (i) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेशों के जारी होने की तारीखों के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थाओं, पंचाटों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों जिनके मैसर्स ब्रेन्टफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू हो सकते हों की प्रवर्तन 25 अगस्त, 1979, तक की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विवेकाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 25 अगस्त, 1979 तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 477(अ)/18एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 22 अगस्त, 1979, सं० का०आ० 638(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/80, तारीख 22 अगस्त, 1980, सं०का०आ० 127(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/81, तारीख 23 फरवरी, 1981, सं० का० आ० 99 (अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 25 फरवरी, 1982, सं० का०आ० 612(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी० आर०ए०/82, तारीख 23 अगस्त, 1982, सं०का०आ० 144(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 24 फरवरी, 1983 तथा सं० का०आ० 612(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर/ए०/83, तारीख 24 अक्तूबर, 1983, द्वारा उक्त आदेश की अवधि 25 अक्तूबर, 1983 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार इस बारे में संतुष्ट हो गई है कि उक्त आदेशों की अवधि एक महीना के लिए अर्थात् 25 नवम्बर, 1983 (जिसमें यह दिन भी शामिल है) और बढ़ा दी जानी चाहिए;)

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त आदेशों की अवधि 25 नवम्बर, 1983, तक (जिसमें यह दिन भी शामिल है) और बढ़ाती है।

[फा०सं० 5(14)/78-सी०यू०एस०]
ए०पी० सरवन, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 773(E)|18FB|IDRA|83.—Whereas by two Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 124(E)|18FB|IDRA|79, dated the 5th March, 1979 and No. S.O. 130(E)|18FB|IDRA|79, dated the 9th March 1979 (hereinafter referred to as the said Orders), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operations of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments, in force immediately before the dates of the issue of said Orders, to which the industrial undertaking known as Messrs Brentford Electric (India) Limited, Calcutta, was a party or which might be applicable to the said industrial undertaking, should remain suspended for a period upto the 25th August, 1979 and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date should remain suspended for a period upto and inclusive of the 25th August, 1979 ;

And whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 477(E)|18FB|IDRA|79, dated 22nd August, 1979, No. S.O. 638(E)|18FB|IDRA|80, dated 23rd August, 1980, No. S.O. 127(E)|18FB|IDRA|81, dated the 23rd February, 1981, S.O. 99(E)|18FB|IDRA|82, dated the 25th February, 1982, No. S.O. 612(E)|18FB|IDRA|82, dated the 23rd August, 1982, No. S.O. 144(E)|18FB|IDRA|83, dated the 24th February, 1983, and No. S.O. 612(E)|18FB|IDRA|83, dated the 24th August, 1983, the duration of the said Orders was extended for a further period upto and inclusive of the 25th October, 1983 ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Orders should be extended for a further period of one month upto and inclusive of the 25th November, 1983 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Orders upto and inclusive of the 25th November, 1983.

[F. No. 5(14)|78-CUS].
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 474] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 1983/कार्तिक 3, 1905
No. 474] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 1983/KARTIKA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं. : 32/83.

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1983

सि. सं. 1/2/आरईपी/74-ईपीसी(वा.-10).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते

हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस आदेश सं. 17/83, दिनांक 15 अप्रैल, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

कंडिका-1 में वर्तमान विवरण "और (7) फालतू पुर्जे" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"(7) मैटीरियल हैंडलिंग उपस्कर जैसे फार्क लिफ्टरा, ओवर हेड क्रेन और भवन निर्माण संबंधी सामान और (8) फालतू पुर्जे ।"

प्रकाश चंद जैन, मख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

ORDER NO. 32|83

New Delhi, the 25th October, 1983

F. No. 1|2|REP|74-EPC (Vol. X).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendment to OGL Order No. 17|83 dated the 15th April, 1983 :—

For the existing description "and (vii) spares" in para 1, the following shall be substituted :—

"(vii) material handling equipment such as fork lifts, over-head cranes, and building construction materials, and (viii) spares".

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 475] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 26, 1983/कार्तिक 4, 1905
No. 475] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 26, 1983/KARTIKA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1983

का०आ० 775(अ):— पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पूर्वी क्षेत्र) जो साधारणतया पी० एल० ए० के नाम से जानी जाती है, पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलीपाक (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रिपाक कहा गया है) और उसकी "रेड आर्मी" और साथ ही प्रिपाक की शाखाएं जैसे कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के० सी० पी०) और उसके सशस्त्र विंग से जो "रेड आर्मी" कहलाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् मीती एक्स्ट्रीमिस्ट आर्गेनाइजेशन कहा गया है)—

(i) एक स्वतंत्र मणिपुर बनाने के, जिसमें मणिपुर राज्य समाविष्ट होगा, अपने उद्देश्य को खुले तौर पर घोषणा की है और भारत संघ से उक्त राज्य को विलग करने के अपने उद्देश्य के अनुसरण में हिंसात्मक क्रियाकलापों का सहारा लिया है और इस आशय के इश्तहार भी निकाले हैं कि वे भारतीय साम्राज्यिक बलों के विरुद्ध तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनके उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाते हैं;

(ii) सशस्त्र बलों अर्थात्, तथाकथित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, रेड आर्मी और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकायों को अपने पूर्वोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियोजित किया;

(iii) अपने पूर्वोक्त उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए मणिपुर राज्य में सुरक्षा बलों और सिविल सरकार तथा नागरिकों पर हमला करने के लिए उक्त सशस्त्र बलों को नियोजित किया है तथा वे नागरिकों के विरुद्ध लूट के और उनको अभित्रस्त करने के और साथ ही अपने संगठनों के लिए निधियों का संग्रहण करने के कार्यों में लगे हुए हैं;

(iv) अपने पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयुधों और प्रशिक्षण के रूप में सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशों से संपर्क स्थापित करने के कुछ प्रयास किए हैं;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से मीती एक्स्ट्रीमिस्ट आर्गेनाइजेशन और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकाय, जिनके अंतर्गत उपरोक्त सशस्त्र ग्रुप हैं, विधि विरुद्ध संगम हैं;

और, केन्द्रीय सरकार की यह और राय है कि पुलिस बलों पर और नागरिकों पर पूर्वोक्त मीती एक्स्ट्रीमिस्ट आर्गेनाइजेशन के सशस्त्र ग्रुपों द्वारा हिंसात्मक कार्यों और आक्रमणों की पुनरावृत्ति के कारण, मीती एक्स्ट्रीमिस्ट आर्गेनाइजेशन और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकायों को, जिनके अंतर्गत तथाकथित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और रेड आर्मी हैं, तुरन्त प्रभाव से विधिविरुद्ध घोषित करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पूर्वी क्षेत्र),

पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलीपाक और उसकी रेड आर्मी को और साथ ही प्रिपाक की शाखाओं जैसे कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सशस्त्र विंग जो रेड आर्मी कहलाता है और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकायों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और, उक्त धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जाने वाले किसी आदेश के अधीन रहते हुए, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा० सं० 11/13/83-एन० ई०-1]

पी० पी० नय्यर, विशेष सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 1983

S.O. 775(E).—Whereas the People's Liberation Army (Eastern Region) generally known as the PLA, the People's Revolutionary Party of Kangleipak (hereinafter referred to as PREPAK) and its Red Army' as also the offshoots of PREPAK like the Kangleipak Communist Party (K.C.P.) and its armed wing also called the 'Red Army' (hereinafter referred to as the Meitei Extremist Organisation)—

(i) have openly declared as their objective the formation of an independent Manipur comprising the State of Manipur and have resorted to violent activities in pursuance of their objective to bring about secession of the said State from the Union of India and have also brought out leaflets that they will go on fighting against the Indian Imperialist Forces until their objectives are attained;

(ii) have been employing armed forces, namely, the so-called People's Liberation Army, the Red Army and the other bodies set up by them, to achieve their aforesaid objective;

(iii) have in furtherance of their aforesaid objective been employing the said armed forces in attacking the Security Forces and the Civil Government and the citizens in the State of Manipur, and indulging in acts of looting and intimidation against the civilian population and collection of funds for their organisations;

(iv) have, to achieve their aforesaid objective, made some efforts to resume their contacts with foreign countries for securing assistance by way of arms and training.

And whereas the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Meitei Extremist Organisations and other bodies up by by them, including the armed groups named above, are unlawful associations;

And whereas the Central Government is further of the opinion that because of the repeated acts of violence and attacks by armed groups of the aforesaid Meitei Extremist Organisations on the police forces and on the civilian population, it is necessary to declare the Meitei Extremist Organisations and the other bodies set up by them, including the so-called People's Liberation Army and the Red Army, to be unlawful with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the People's Liberation Army (Eastern Region), People's Revolutionary Party of Kangleipak, and its Red Army, as also offshoots of PREPAK like the Kangleipak Communist Party and its armed wing also called the Red Army and other bodies set up by them to be unlawful associations, and directs, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 11/13/83-NE-I]

P. P. NAYYAR, Spl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983.

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 476] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 26, 1983/कार्तिक 4, 1905
No. 476] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 26, 1983/KARTIKA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1983

का० आ० 776(अ).—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) नियम, 1949 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 649(अ) तारीख 13 अगस्त, 1981, जिसमें संख्या का० आ० 342(अ) तारीख 20 मई, 1982 द्वारा संशोधन किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में नियोजकों के प्रतिनिधियों से संबंधित मद (ii) में, क्रमांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

कुमारी अखारी गोखले,
उप सचिव (स्थापना संकर्मी)
निर्माण और आवास मंत्रालय,
नई दिल्ली।

[संख्या एस०-32023/16/83-डब्ल्यू० सी०/एम० डब्ल्यू०)]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th October, 1983

S.O. 776(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), read with Section 9 of the said Act and rule 3 of the Minimum Wages (Central Advisory Board) Rules, 1949, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 649(E) dated the 13th August, 1981 and modified vide S.O. No. 342(E) dated the 20th May, 1982 namely :—

In the said notification in Item (ii) relating to the Employers' representatives for serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—

Kumari Sharwaree Gokhale, Deputy Secretary (Establishment Works) Ministry of Works and Housing, New Delhi.

[No. S-32023|16|83-WC(MW)]

का० आ० 777(अ).—केन्द्रीय सरकार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 9 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 393(अ) तारीख 28 मई, 1981, जिसमें संख्या का० आ० 124(अ) तारीख 5 मार्च, 1982 तथा संख्या का०आ० 325(अ) तारीख 17 मई, 1982 द्वारा संशोधन किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "नियोजक प्रतिनिधियों" से संबंधित मद (2) में, प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

कुमारी शरवरी गोखले,
उप सचिव (स्थापना संकर्मी)
निर्माण और आवास मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

[सं० एस० 32023/16/83-डब्ल्यू० सी० (एम० डब्ल्यू०]
विशाम्भर नाथ, अवर सचिव

S.O. 777(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 9 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 393(E) dated the 28th May, 1981 and modified vide S.O. No. 124(E) dated the 5th March, 1982 and S.O. No. 325(E) dated the 17th May, 1982, namely :—

In the said notification in item II relating to "Representatives of employers" for entry 2. the following shall be substituted namely :—

Kumari Sharwaree Gokhale, Deputy Secretary (Establishment Works) Ministry of Works & Housing, New Delhi.

[No. S. 32023|16|83-WC(MW)]
BISHAMBHAR NATH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 477] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 1983/कार्तिक 5, 1905
No. 477] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 1983/KARTIAA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 अक्तूबर, 1983

का० आ० 778(अ).- केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि आशंकित खतरे को रोकने के लिए और ऐसी परिस्थितियों के शीघ्र उपचार के लिए, जिनसे खतरा होने की संभावना है, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 57 के अधीन विनियमों को बनाए जाने में उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1), (2) और (4) के अधीन पूर्व प्रकाशन और खनन बोर्डों को निदेश करने में होने वाले विलम्ब से बचना आवश्यक है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 60 के साथ पठित धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1 प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना:-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम तेल खान विनियम, 1983 है।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) ये प्रत्येक तेल खान को लागू होंगे।

(4) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन विनियमों में, जब तक कि विषय संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो :-

(1) "अधिनियम" से खान अधिनियम, 1952 अभिप्रेत है;

(2) "अम्लन" से अभिप्रेत है अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तेलधर चूना पत्थर या अन्य शैलसमूह का उत्पादन बढ़ाने के लिए विवेचन;

(3) "वलयाकार स्थान" से कूप में लटकी हुई पाईप के आसपास का स्थान अभिप्रेत है। वलयाकार स्थान की बाहरी दीवाल एक विकूपल कूप हो सकेगी या वह एक स्ट्रिंग बृहत पाईप हो सकेगी;

(4) "अनुमोदित" से मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत है और वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए है जो वह निर्दिष्ट करें।

(5) "पूलिकर टोंग "से अभिप्रेत है हेरिक में लटका हुआ ड्रिल पाइप टोंग जिसका उपयोग ड्रिल पाइप के किसी सेक्शन को पकड़ने के लिए उस समय किया जाता है जब अन्य सेक्शन को दूसरे टोंग का उपयोग करके उससे खोला जाता है;

(6) "स्त्राव" से अभिप्रेत है द्रव या गैस का किसी वाल्व से होकर साधारणतः धीरे-धीरे निकालना; स्त्राव होने से अभिप्रेत है किसी कूप या दाबीकृत उपस्कर के दाब की नियंत्रित नियुक्ति;

(7) "विफल विस्फोट" से अभिप्रेत है किसी कूप में से गैस और तेल का आकस्मिक प्रचंड निकास;

(8) "विफल विस्फोट निरोधक" से ऐसी कोई युक्ति अभिप्रेत है, जो यदि किक या विफल विस्फोट उत्पन्न हो तो ड्रिल पाइप और केसिंग के बीच के वलयाकार स्थान से तरल पदार्थों के दाब का नियंत्रण करने या उनके निकास को रोकने या यदि छिद्र में कोई ड्रिल पाइप न हो तो छिद्र को बंद करने के लिए केसिंग के ठीक ऊपर संलग्न होती है;

(9) "केसिंग" से वेधन कार्य के समय किसी तेल या गैस कूप में लगाई गई इस्पात की पाइप अभिप्रेत है। केसिंग का कार्य है वेधन कार्य के दौरान छिद्र की दीवाल को धंसने से रोकना और यदि कूप उत्पादनकारी है तो तेल निकालने के लिए साधन व्यवस्था करना;

(10) "सेलर" से अभिप्रेत है कूप बोर के शीर्ष पर उपस्कर को सदों के लिए स्थान की व्यवस्थाएं करने के लिए डेरिक के नीचे का उत्खनन। यह जेटिंग द्वारा परवर्ती निपटान के लिए फ्लोर के नीचे जल-निकास और और अन्य तरल पदार्थ को इकट्ठा करने के लिए एक गर्त के रूप में भी काम करता है।

(11) "सीमेन्टिंग" से अभिप्रेत है वह संक्रिया जिसके द्वारा सीमेन्ट गारे को केसिंग में से इस प्रकार नीचे की ओर धकेला जाता है और उसे निचले छोर पर बाहर निकाला जाता है कि वह कूप के तल के ऊपर पूर्व निश्चित ऊंचाई तक केसिंग और कूप-बोर के पार्श्व के बीच के स्थान को भर देता है। यह केसिंग को ठीक स्थान पर सुदृढ़ करने और कूपबोर से जल और अन्य तरल पदार्थों को अपवर्जित करने के प्रयोजन के लिए है।

(12) "क्रिसमस-ट्री" से अभिप्रेत है तरल पदार्थ के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसी कूप के शीर्ष पर संयोजित वाल्व और फिटिंगें;

(13) "सक्षम व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसी कार्यकरण दशाओं के, जो काम करने वाले व्यक्तियों के लिए (पूर्वानुमेय) जोखिमों को अस्वच्छ, जोखिमवाली या खतरनाक हैं, आसपास विद्यमान और पहचानने में सक्षम है और जिसे उन्हें दूर करने के लिए तुरन्त सुधार संबंधी उपाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(14) "सम्पूरित कूप" से ऐसा कूप अभिप्रेत है जिसमें उत्पादनकारी शैल-समूह कूप बोर के लिए खुला है और कूप में और कूप शीर्ष पर संस्थापित उपस्कर है जिससे कि यह भौतिक रूप से तेल और गैस का उत्पादन करने में समर्थ हो।

(15) "क्राउन ब्लाक" से डेरिक या दंड के शीर्ष पर लगा हुआ ऐसा बहुचरखोदार संयोजन अभिप्रेत है जिसका उपयोग चल-ब्लाक के साथ ड्रिल स्ट्रिंग, केसिंग, निलिका, छड़ों और अन्य औजारों को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है;

(16) "डेरिक" से ऐसी मिश्रित जालक संरचना अभिप्रेत है जिसका उपयोग बोर छिद्र के ऊपर करने या कूप की सफाई करने के प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(17) किसी खान के संबंध में "जिला मजिस्ट्रेट" से यथास्थिति, वह जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त अभिप्रेत है, जिसमें उस राजस्व जिले में, जिसमें खान स्थित है, विधि और व्यवस्था बनाए रखने की कार्यपालक शक्ति निहित है;

परन्तु उस खान की दशा में जो अंशत : एक जिले में और अंशत : दूसरे जिले में स्थित है, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए जिला मजिस्ट्रेट वह जिला मजिस्ट्रेट होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो;

(18) "कर्षण संकर्म" से अभिप्रेत है मौफटों, चक्रवन्तों, चेनों, पुलियों, पट्ठों, कलचों, कटहैडों और/या अन्य यांत्रिक युक्तियों का संयोजन, जिसमें किसी कूप का वेधन करने या उत्पादनकारी कूप की सफाई करने के लिए प्रयुक्त उपस्कर को उठाने, प्रचालित करने और संचालित करने के लिए नियंत्रण उपयुक्त रूप से लगाए गए हैं और उनकी व्यवस्था की गई है। कर्षण संकर्म या तो अचल हो सकेगा या चल;

(19) "अन्त: वेधन" से उत्पादनकारी या उत्पादक या संभावित उत्पादनकारी भूवैज्ञानिक क्षितिज के अन्त: वेधन की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(20) "वेधन रिग" से बोर छिद्र स्थल पर वेधन करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण संरचना और मशीनरी अभिप्रेत है;

(21) "उत्थापक" से इस्पात की एक ऐसी यांत्रिक युक्ति अभिप्रेत है जिसका उपयोग चल ब्लाक के लटके हुए उत्तोलन उपस्कर के साथ लटकी हुई पाइप या छड़ को किसी कूप में उसे नीचे करने या उससे खींचने के लिए किया जाता है;

(22) "बचाव रज्जू" से ऐसी आनत तार रज्जू अभिप्रेत है जिसमें डेरिक या दंड के रेकिंग प्लेटफार्म के ऊपर के स्थल से सुरक्षा गाड़ी या स्लाईड को नीचे भू-स्थिरक तक ले जाया जाता है;

(23) "विस्फोट मापक मीटर" से ज्वलनशील गैस की सान्द्रता मापने का उपकरण अभिप्रेत है;

(24) "विस्फोटक" का वही अर्थ होगा जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 में है;

(25) "ज्वालारोधी उपस्कर" से ऐसा उपस्कर अभिप्रेत है जो बिना किसी क्षति के अपने भीतर उत्पन्न होने वाली ज्वलनशील गैस के किसी विस्फोटन को सहन कर सकता हो और ऐसी ज्वाला के जो आसपास के वातावरण में मौजूद हो सकने वाली ज्वलनशील गैस को ज्वलित करेगी, संचरण को रोक सकता हो;

(26) "ज्वलनशील" से ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है, जिसे आसानी से ज्वलित किया जाए जो उग्रता के साथ दहन हो या जो ज्वाला फैलाने की द्रुत गति रखता हो;

(27) "ज्वाला" से ऐसी खुली ज्वाला अभिप्रेत है जिसका प्रयोग अनावश्यक गैस को नष्ट करने के लिए किया जाता है;

(28) "फ्लोर ब्लाक" से फ्लोर स्तर पर या उसके निकट स्थिर एकल चरखी पुली या खुली कप्पी अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी रस्से पर के पुली या खुली कप्पी दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है ;

(29) "प्ररूप" से अनुसूची में यथा उपवर्णित प्ररूप अभिप्रेत है;

(30) "विभंग" से उत्पादन के लिए प्रवाह मार्ग खोलने के प्रयोजन के लिए किसी तरल पदार्थ को अधस्तल स्तर के अन्तर प्रवेश कराने की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(31) "गैस" से पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में उपस्थित या व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन की वाष्प स्थिति अभिप्रेत है;

(32) "गैस कलित पंक" से संरोहित शैलसमूह गैस सहित ऐसा पंक अभिप्रेत है जो पंक को एक वैशिष्ट्य फुलफुला रूप देता है;

(33) "गैस-मुक्त" से किसी टैंक या क्षेत्र में यंत्रीकरण से यथामापित ज्वलनशील और/या विषैली गैसों की सान्द्रता अभिप्रेत है जो प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए मापित गैस की सुरक्षित विहित सीमा-मान के भीतर है;

(34) "गैस कूप" से अभिप्रेत है ऐसा कूप, जिससे किसी गैस धारक जोन से निरन्तर उत्पादन होता रहता है या ऐसा कूप जिसमें कैसिंग अनुमानित परिस्थितियों के अधीन गैस के निरन्तर उत्पादन के लिए चलाया जाता है;

(35) "समूह संग्रहण केन्द्र" से तेल या गैस का संग्रहण, अभिक्रिया या संचरण के लिए प्रयुक्त उत्पादन सुविधा अभिप्रेत है,

(36) "जोखिमवाला क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां सामान्य संक्रियाओं के दौरान पर्याप्त मात्रा में ऐसा जोखिमवाला वातावरण पाए जाने की संभावना है जो जोखिम बन सकता है;

(37) "जोखिमवाला वातावरण' से ऐसा वातावरण अभिप्रेत है जिसमें किसी मात्रा में कोई ऐसी ज्वलनशील गैस या वाष्प है जो ज्वलित होने में समर्थ है;

(38) "हाईलाईन या आउटलाईन" से ऐसा रस्सा अभिप्रेत है जिसका उपयोग किसी डेरिक या दंड से पाइपों, वेधन करने वाले औजार या अन्य उपस्कर डेरिक वाक या डेरिक या दंड के बाहर के अन्य अवस्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है;

(39) "संस्थापन" से कोई ऐसा स्थिर संस्थापन या स्थिर संस्थाप का कोई भाग अभिप्रेत है जिसका अनुरक्षण खान के भीतर किया जाता है या जिसे वहां तेल या गैस के समुपयोजन के संबंध में या ऐसे समुपयोजन की दृष्टि से अन्वेषण के संबन्ध में स्थापित किया जाता है;

(40) "संस्थापन प्रबन्धक" से अभिप्रेत है संस्थापन के स्वामी या अभिकर्ता द्वारा लिखित में नियुक्त ऐसी व्यक्ति जो, संस्थापन के या उसके संम्बन्ध में सभी संक्रियाओं और क्रियाकलाप का भारसाधक है और उनके लिए उत्तरदायी है ;

(41) "आयनकारी विकिरण" से किसी रेडियो ऐक्टिव पदार्थ के परमाणु न्युक्लिअस के स्वतः विघटी विखंडन के कारण ऐसे उत्सर्जन अभिप्रेत है जो स्वास्थ्य के लिए जोखिमवाला है;

(42) "किक" से अभिप्रेत है वेधन किए जाने पर कूप में प्रवेश करने वाले शैलसमूह तरलपदार्थों के अंतर्वाह से भारित लघु अवधि का कोई अचानक दाब प्रोत्कर्ष;

(43) "केली काक" से घूर्णीमान और केली के बीच संस्थापित कोई वाल्व अभिप्रेत है। जब उच्च दाब पश्च प्रवाह आरम्भ हो जाता है तब वेधन करने वाला व्यक्ति इस वाल्व को बन्द कर सकता है और घूर्णीमान और घूर्णी होज पर से दाब को दूर कर सकता है;

(44) "घूस्नेहक" से अभिप्रेत केसिंग या नलिका शीर्ष के ऊपर के वाल्व के ऊपर केसिंग या नलिका का विस्तरण/स्नेहकों में ऊपरि सिरे पर दाब बन्द करने वाली युक्ति की व्यवस्था इसलिए की गई है जिससे कि वह किसी कूप के अन्दर जाने
न्य संबन्ध
को बंद करने में समर्थ हो सके;

(45) "मशीनरी" से अभिप्रेत है :

(क) वेधन उत्पादन और परिवहन संक्रियाओं के संबंध में उपयोग में लाया जाने वाला या ऐसे उपयोग के लिए आशयित, कोई स्थिर या सुवाह्य इंजन, वायु या गैस संपीडित्र, वायलन या वाष्प साधित्र, अथवा

(ख) ऊर्जा का विकास करने , संचयन करने, पारेषण करने, संपरिवर्तन करने या उपयोग करने के लिए आशयित कोई साधित्र साधन या साधित्रों का समुच्चय, अथवा

(ग) कोई ऐसा साधित्र, साधन या साधित्रों का समुच्चय, यदि इनके द्वारा विकसित, संचलित, पारेषित, संपरिवर्तित या उपयोजित किसी शक्ति का उपयोग वेधन, उत्पादन और परिवहन संक्रियाओं के संबंध में किया गया है या ऐसा उपयोग किए जाने के लिए आशयित है ;

(46) "मंकी बोर्ड" से ऐसा चल या स्थिर प्लेटफार्म अभिप्रेत है जिस पर कार्यरत व्यक्ति डेरिक पर रखी हुई पाइपों या अन्य उपस्कर को संभालने के लिए खड़े होते हैं;

(47) "पंक" के ऐसा द्रव अभिप्रेत है जिसे घूर्णी वेधन और वर्कओवर संक्रियाओं के दौरान कप बोट के द्वारा परिसंचरण किया जाता है;

(48) "पंक गर्त्त" से ऐसा कुंड या टंकी अभिप्रेत है जिसके द्वारा वेधन पंक को रेत सूक्ष्म अवसादों को नीचे बैठ जाने के लिए चकित किया जाता है जहां कि योगशील पंक के साथ मिश्रित हो और जहां तरल पदार्थ को कूप में दोबारा पम्प किए जाने से पहले अस्थायी रूप से संचित किया जाता है;

(49) "पंक-पम्प" से अभिप्रेत है एक तरफा या दो तरफा शाहद कार्यकारी पंप जिसका उपयोग सामान्य संक्रिया के अधीन ड्रिल पाइप के नीचे और बलयिका से ऊपर पंक परिसंचरण करने के लिए किया जाता है;

(50) "पदधारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा खान, या उसके किसी भाग में पर्यवेक्षण के विशेष कर्तव्यों का पालन करने के लिए, लिखित में नियुक्त किया गया है और इसके अन्तर्गत संस्थापन प्रबंधक सुरक्षा अधिकारी और अग्नि शमन अधिकारी है।

(51) "तेल कूप" से अभिप्रेत है ऐसा कूप जिससे किसी तेल धारक खान से निरन्तर उत्पादन होता रहता है या ऐसा कूप जिसमें कैसिंग अनुमानित परिस्थितियों के अधीन तेल के निरन्तर उत्पादन के लिए चलाया जाता है ;

(52) "तेल सेवर" से अभिप्रेत है तार-रज्जू औजारों को प्रचालित करते समय तेल या गैस को कम से कम निकालने के लिए नियंत्रक हैड के शीर्ष पर का ग्लैंड।

(53) "पेट्रोलियम वर्ग क और ख" का वही अर्थ है जो भारतीय पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में दिया गया है ;

(54) "पाइप रैक" से रिग फलोर के स्तर से लगी हुई किन्तु सामान्यता उससे नीचे, अवस्थित संरचना अभिप्रेत है जिस पर पाइप या केसिंग को संचित किया जा सकेगा या रखा जा सकेगा;

(55) "मंच" से व्यक्तियों का कार्यकरण स्थान अभिप्रेत है, जो मशीनरी और उपस्कर के प्रचालन के लिए प्रतिवेशी फ्लोर या भूमि के ऊपर उठा रहता है

(56) "तिमाही" से 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर या 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली तीन माह की अवधि अभिप्रेत है ;

(57) "रैक पर रखा जाना" डेरिक या दंड पर खड़े या पाइप रैक पर संचित नलिकाकार माल या छड़ों के प्रति निर्देश है ;

(58) "रैकिंग मंच" से ऊंचाई पर के डेरिक या दंड में का मंच अभिप्रेत है में जहां सामान्यतया डेरिकमैन में रैक पर रखी गई पाइपों को संभालने के लिए अपेक्षा की जाती है ;

(59) "रेल" से भारतीय रेल अधिनियम, 1980 (1980 का 9), में यथा परिभाषित रेल अभिप्रेत है।

(60) "प्रादेशिक निरीक्षक" से ऐसे प्रदेश या स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों का जिसमें खान स्थित है, या खानों के ऐसे समूह या वर्ग

का, जिस समूह या वर्ग की वह खान है जिस पर वह अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, भारसाधक खान निरीक्षक अभिप्रेत है ;

(61) "रिग खड़ा करना" से वेधन संक्रियाओं के प्रारम्भ से पहले वेधन रिग और सहायक उपस्कर का संमंजन कार्य अभिप्रेत है;

(62) "घुर्णी होज" से ऐसा होज अभिप्रेत है जो स्टैंड पाईप से घूर्णमान और कैली तक परिसंचारी तरल का संचालन करता है ;

(63) "घुर्णी टेबल" से मुख्यतः वेधन स्ट्रिंग को घुमाने के लिए प्रयुक्त रिग फ्लोर पर शक्ति प्रचालित घूर्णन टेबल अभिप्रेत है;

(64) "सुरक्षित क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसका कोई भी भाग जोखिम वाले क्षेत्र के भीतर नहीं है ;

(65) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;

(66) "बेधी" से अभिप्रेत है जिसकी पाईप या छड़ के चूड़ीदार सिरे को ऐसी ही किसी अन्य के युग्मन में निविष्ट करना ;

(67) "स्टैंड" से अभिप्रेत है पाईपों के ऐसे सेक्शन जिनकी लम्बाई दो या अधिक पाईपों को जोड़कर बनी है और जो डेरिक या दंड में खड़े है या रैक पर रखे गए हैं ;

(68) "मानक रेलिंग" से व्यक्तियों के गिरने से रोकने के लिए फलोर की खुली जगह, दीवाल की खुली जगह, रैम्प मंच या पैदलमार्ग के खुले किनारों के साथ-साथ बने अध्यधिर रोक अभिप्रेत है ;

(69) "उप संरचना" से ऐसी नीव अभिप्रेत है जिस पर सामान्यतया डेरिक और इंजन बैठाए जाते हैं। उप संरचना की ऊंचाई, विशिष्ट संक्रिया के लिए अपेक्षित उपस्कर पर, जैसेकि विफल विस्फोट निरोधक पर निर्भर रहते हुए भिन्न भिन्न होती है ;

(70) "स्वाबिंग" से तार रज्जू पर की उत्थापन युक्ति से, जब कूप सामान्य रूप से न बह रहा हो, तब, तरल को सतह पर लाने की संक्रिया अभिप्रेत है। यह इस तथ्य को अवधारित करने के लिए एक अस्थायी संक्रिया है। कि कूप को बहाया जा सकता या नहीं या तेल को सतह पर लाने के लिए उसमें कृत्रिम उत्थापन या उद्दीपन अपेक्षित है या नहीं ;

(71) "टो बोर्ड" से सामग्री के गिरने से रोकने के लिए फलोर की खुली जगह, दीवाल की खुली जगह, मंच, पैदल मार्ग या रैम्प के खुले किनारों के साथ-साथ बने फलोर स्तर पर अध्यधिर रोक अभिप्रेत है ;

(72) "विषैली धूल/गैस" से ऐसी कोई धूल या गैस अभिप्रेत है जिससे एक या एक से अधिक शारीरिक तंत्र की सामान्य शारीरिक प्रक्रिया में परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय गड़बड़ी हो सकती है;

(73) "जल ब्लाक" के वेधनस्ट्रिंग केसिंग नलिका छड़ों और अन्य औजारों को ऊपर उठाने और नीचे करने के लिए स्थिर क्राउन-ब्लाक के साथ प्रयुक्त बहु चरखीदार पुली ब्लाक अभिप्रेत है ;

(74) "कूप" से अभिप्रेत है भूमि के अन्दर—

(क) वेधन या बोरिंग या किसी अन्य रीति से किया गया या किया जा रहा छिद्र जिससे कोई पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है या प्राप्त है या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए है ;

(ख) जल प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए अन्तः क्षेपण करने या प्राकृतिक गैस, वायु जल या किसी अन्य पदार्थ को भूमिगत शैलसमूह में अन्तः क्षेपण करने के लिए उपयोग किया गया, वेधन किया गया है या वेधन किया जा रहा छिद्र; कोई छिद्र अभिप्रेत है ;

(75) "कूप शीर्ष" से अभिप्रेत है कूप केसिंग स्ट्रिंगों के शीर्ष पर निकासियों और वाल्वों सहित उत्पादन के बहाव को नियंत्रित करने के लिए समंजन ;

(76) "कूप छिद्रण" से अभिप्रेत है कूप केसिंग और/या सीमेन्ट को छिद्रित करना जिससे कि उत्पादन के लिए या परीक्षण करने या विभंग करने के प्रयोजन के लिए प्रवाह-मार्ग की व्यवस्था हो सके ;

(77) "वर्क ओवर या कूप सर्विसिंग" से अभिप्रेत है किसी तेल उत्पादक कूप पर उत्पादन को फिर चालू करने और बढ़ाने की आशा से एक या एक से अधिक प्रकार की उपचारी संक्रियाओं का किया जाना। ऐसी संक्रियाओं के उदाहरण है खुरचन गहरा करना, प्लगिंग बैक, अभिकर्षण और पुनः नियोजन लाईन, निष्पीडण, संयोजन, विस्फोट और अम्लन;

(78) 'जोन जोखिमवाला क्षेत्र" से वह अभिप्रेत है जहां जोखिमवाला वातावरण निरंतर मौजूद रहता है ;

(79) "जोन/जोखिमवाला क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जहां सामान्य संक्रियात्मक शर्तों के अधीन रहते हुए जोखिमवाला वातावरण पाए जाने की संभावना है ;

(80) "जोन 2 जोखिमवाला क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जहां असामान्य संक्रियात्मक शर्तों के अधीन रहते हुए जोखिमवाला वातावरण पाए जाने की संभावना है।

अध्याय 2—विवरणियां, सूचनाएं और रेखांक

3. विवृत्त करने की सूचना :—(1) अधिनियम की धारा 16 द्वारा अपेक्षित सूचना प्ररूप 1 में प्रस्तुत की जाएगी।

(2) जब कोई खान विवृत्त की गई है तब उसका स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक विवृत्त करने की वास्तविक तारीख की संसूचना मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को तत्काल देगा।

4. तिमाही विवरणियां:—स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के 20वें दिन या उसके पूर्व प्ररूप 2 में पूर्ववर्ती तिमाही की बाबत शुद्ध विवरणियां मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

5. वार्षिक विवरणियां:- स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, प्रत्येक वर्ष फरवरी के 20वें दिन या उसके पूर्व, प्ररूप 3 में पूर्ववर्ती वर्ष की बाबत वार्षिक विवरणियां जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा ।

6. नाम और पते, आदि में परिवर्तन:- (1) जब किसी खान के नाम या स्वामित्व में या स्वामी के पते में कोई परिवर्तन हो जाए तब स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, परिवर्तन की तारीख से सात दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को प्ररूप 1 में सूचना देगा ।

(2) जब किसी अभिकर्ता, प्रबंधक, प्रतिष्ठापन प्रबंधक, सुरक्षा अधिकारी या अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है या जब ऐसे किसी व्यक्ति का नियोजन पर्यवसित कर दिया जाता है या ऐसा व्यक्ति उक्त नियोजन को छोड़ देता है या जब किसी अभिकर्ता या प्रबंधक के पते में कोई परिवर्तन हो जाता है तब स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, ऐसी नियुक्ति, पर्यवसान या परिवर्तन की तारीख से सात दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को प्ररूप 1 में सूचना देगा ।

7. दुर्घटना की सूचना:—(1) जब किसी खान में या उसके आसपास—

(i) खनन संक्रियाओं के संबंध में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिससे जीवन की हानि या गम्भीर शारीरिक क्षति कारित हुई हो ;

(ii) कोई विस्फोट या ज्वलन घटित हो जाए;

(iii) विफल विस्फोट हो जाए;

(iv) आग लग जाए;

(v) कोई पाईप लाईन या अपरिष्कृत तेल, प्राकृतिक गैस, वाष्प, सम्पीड़ित वायु या अन्य पदार्थ वाला कोई उपस्कर वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर फट जाए;

(vi) कार्यण संबंधी, वेधन लाईन का कोई आवश्यक भाग भंग हो जाए या टूट जाए या आघात रोक खराब हो जाए;

(vii) किसी डेरिक, मास्ट, मशीनरी या साधित्र का कोई आवश्यक भाग भंग हो जाए, टूट जाए या खराब हो जाए जिससे व्यक्तियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए;

(viii) अग्नायकर गैसों का अन्तर्वाह घटित हो जाए,

(ix) विस्फोट के कारण कोई दुर्घटना हो जाए, तब स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक टेलीफोन से या एक्सप्रेस तार द्वारा या विशेष संदेश वाहक द्वारा प्रादेशिक निरीक्षक को तत्काल सूचित करेगा और प्रत्येक ऐसी घटना के 24 घंटे के भीतर उसकी सूचना प्ररूप 4 में जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य निरीक्षक, प्रादेशिक निरीक्षक को भी देगा।

(2) जब खान में या उसके आसपास विद्युत ऊर्जा के उत्पादन संचयन, रूपांतरण पारेषण, प्रदाय या उपयोग के संबंध में जीवन की हानि या गंभीर शारीरिक क्षतिकारित करने वाली कोई दुर्घटना हो जाए, तब स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक खानों के विद्युत निरीक्षक को टेलीफोन एक्सप्रेस तार या विशेष संदेशवाहक द्वारा तत्काल सूचित करेगा।

(3) यदि उप विनियम (1) और विनियम (2) के अधीन गंभीर रूप में पहले रिपोर्ट की गई किसी क्षति से मृत्यु हो जाती है, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर, उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट मुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक को देगा।

(4) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक मारे या क्षत प्रत्येक व्यक्ति की बाबत विनिर्दिष्टियां यथास्थिति, ऐसी घटना के सात दिन के भीतर या क्षत व्यक्ति के ड्यूटी पर लौटने के 15 दिन के भीतर प्ररूप 5 और 6 में मुख्य निरीक्षक को भेजेगा।

8. रोग की सूचना :—जहां किसी खान में नियोजित किसी व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कोई रोग हो जाता है वहां स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक रोग की सूचना मिलने के तीन दिन के भीतर उसकी सूचना प्ररूप 7 में जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य निरीक्षक, प्रादेशिक निरीक्षक और खान निरीक्षक (चिकित्सा) को देगा।

9. रेखांक :—(1) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक निम्न लिखित रेखांक रखेगा :—

(क) एक मूल रेखांक जिसमें सम्यक् रूप से सीमांकित वह क्षेत्र दिखाया जाएगा जिसमें पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के निष्कासन के लिए संक्रियाएं और आनुषंगिक संक्रियाएं की जाती हैं।

(ख) एक रेखांक, जिसमें खंड (क) में उल्लिखित निष्कासन क्षेत्र के भीतर तेल गैस और परित्यक्त कूपों, संग्रहण केन्द्रों, पाईप लाईनों जिनके अन्तर्गत उनके पहुंच मार्ग भी हैं, रेल विद्युत पारेषण लाइन, लोक मार्ग या भवन या ऐसी अन्य स्थायी संरचनाओं जो स्वामी की नहीं है, नदियों और जलमार्गों का अवस्थान दिखाया जाएगा।

(2) उप विनियम (1) के खंड (क) में उल्लिखित रेखांक में खान और उसके स्वामी का नाम, तारीख और मापक्रम के साथ भौगोलिक उत्तर या चुम्बकीय याम्योत्तर दिखाएं जाएंगे।

अध्याय 3—खान पदधारी और उनके कर्तव्य

10. निरीक्षकों की अर्हताएं—(1) इन विनियमों के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात कोई भी नया व्यक्ति मुख्य निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था की खनन इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा न हो।

(2) इन विनियमों के प्रवृत्त हो जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था की खनन या पेट्रोलियम, इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा न हो : परन्तु—

(1) खानों में प्रतिष्ठापित वैद्युत मशीनरी के संबंध में, उस व्यक्ति को इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा जिसके पास केन्द्रीय सरकार के द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था की वैद्युत इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा हो;

(2) खानों में प्रतिष्ठापित अन्य मशीनरी या यांत्रिक साधित्रों के संबंध में उस व्यक्ति को इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था की यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री या डिप्लोमा हो ;

(3) अधिनियम और तद्धीन बनाए गए विनियमों और आदेशों के ऐसे उपबंधों के संबंध में, जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण विषयक बातों से संबंधित हैं, उस व्यक्ति को, जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी शिक्षा संस्था की, यथास्थिति, आयुविज्ञान, शल्य-चिकित्सा और/या श्रम कल्याण जैसे समाज विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा हो, या उस व्यक्ति को, जिसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हो, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुमोदित करे, इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा।

अध्याय 3—खान पदधारी और उनके कर्तव्य

11. परिभाषा : इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, स्वामी या अभिकर्ता द्वारा सम्यक रूप से सीमांकित किसी क्षेत्र में पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के निष्कासन से संबंधित तेल और गैस कूपों तथा सभी संस्थापनों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे एक खान के रूप में हैं :

परन्तु जहां विशेष परिस्थितियां विद्यमान हों, वहां मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, ऐसे किसी एक क्षेत्र के दो या उससे अधिक अलग-अलग खानों में विभाजन के लिए अनुज्ञा दे सकेगा या अपेक्षा कर सकेगा।

12. प्रबंधकों की नियुक्ति : कोई भी खान तब तक विवृत नहीं की जाएगी, उसमें काम नहीं किया जाएगा या उसे पुनः विवृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस खान का प्रबंधक ऐसे व्यक्ति न हो जिसे सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो। यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति प्रबंधक के कर्तव्य का पालन करने में सक्षम है इसका विनिश्चय महानिदेशक करेगा।

13. संस्थापन प्रबंधक की नियुक्ति : (1) प्रत्येक खान में खान के विभिन्न संस्थापनों का भारसाधन धारण करने के लिए एक या अधिक संस्थापन प्रबंधक नियुक्त किए जाएंगे।

(2) कोई संस्थापन प्रबंधक एक से अधिक संस्थानों का भारसाधन धारण कर सकेगा :

परन्तु जहां प्रादेशिक निरीक्षक की यह राय है कि किसी खान में विद्यमान परिस्थितियों के कारण से संस्थापन प्रबंधक के लिए यह संभव नहीं है कि वह उचित रीति से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, वहां

वह लिखित आदेश द्वारा और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें उसमें लेख-बद्ध करके, उतनी संख्या में संस्थापन प्रबंधकों की नियुक्ति की अपेक्षा कर सकेगा जितनी वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे।

14. सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति : प्रत्येक खान का स्वामी या अभिकर्ता कार्य स्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य की अभिवृद्धि के लिए प्रबंधक की सहायता करने के लिए ऐसे सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेगा जिसके पास स्वामी या अभिकर्ता के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कौशल है और जो नियुक्ति के लिए उपयुक्त रूप से सक्षम है। संदेह की दशा में मुख्य निरीक्षक विनिश्चय करेगा।

15. अग्नि शमन अधिकारी की नियुक्ति :—(1) प्रत्येक खान में आग बुझाने के लिए और अग्नि निरोधक उपायों के संबंध में प्रबंधक को सलाह देने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों का अग्नि शमन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को, एक से अधिक खान के अग्नि शमन अधिकारी के रूप में या उसी खान में किसी अन्य हैसियत में प्रादेशिक निरीक्षक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त नहीं किया जाएगा।

16. सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति :—(1) प्रत्येक स्थान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक उतने सक्षम व्यक्ति नियुक्त करेंगे जितने प्रत्येक काम की पारी के दौरान निम्नलिखित के संबंध में सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हों :—

(क) संस्थापन और उसके उपस्कर का पर्याप्त निरीक्षण,

(ख) संस्थापन में की सभी संक्रियाओं का पूरी तरह पर्यवेक्षण;

(ग) खान में की सभी मशीनरी का काम करने की निरापद दशा में संस्थापन, परिचालन और अनुरक्षण; और

(घ) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों की अपेक्षाओं का प्रवर्तन;

(2) उपविनियम (1) के अधीन की गई सभी नियुक्तियां और सक्षम व्यक्ति को सौंपे गए कर्तव्यों की प्रतियां इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबंद पृष्ठांकित पुस्तक में दर्ज की जाएंगी। ऐसे सभी सक्षम व्यक्तियों की एक सूची भी बनाए रखी जाएगी।

17. साधारण प्रबंध :—(1) स्वामी, अभिकर्ता, और प्रबंधक खान में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके उचित अनुशासन की व्यवस्था करेगा।

(2) सिवाय आपात की दशा में, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पदधारी या सक्षम व्यक्ति नहीं है, खान में नियोजित किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी है, प्रबंधक के माध्यम से अन्यथा अनुदेश नहीं देगा।

18. खानों में नियोजित व्यक्तियों के कर्तव्य :—(1) प्रत्येक, व्यक्ति, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों का और व्यक्तियों की सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से प्रबंधक या किसी पदधारी द्वारा जारी किए गए किसी आदेश या निदेश का जो अधिनियम और इन विनियमों से असंगत न हो, सर्वथा पालन करेगा, और वह ऐसे आदेशों या निदेशों के पालन में उपेक्षा या उनके पालन से इंकार नहीं करेगा।

(2) कार्य प्रारम्भ करने के पहले प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य स्थान को और उस उपस्कर का जिसका उसे उपयोग करना है, पड़ताल करेगा और कोई खतरनाक त्रुटि पाए जाने पर उसकी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ को तत्काल करेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति ऐसे रक्षापायों, सुरक्षा युक्तियों और अन्य साधित्रों का उचित उपयोग करेगा जिनका प्रबंध उसकी संरक्षा या अन्य व्यक्तियों की संरक्षा के लिए किया गया है।

(4) सिवाय आपात की दशा में कोई भी व्यक्ति, जब तक कि वह सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो ऐसी किसी सुरक्षा युक्ति या अन्य साधित्र में जिनका प्रबंध उसकी संरक्षा या अन्य व्यक्तियों की संरक्षा के लिए किया गया है, बाधा नहीं डालेगा, उसे हटाएगा नहीं, उसमें परिवर्तन नहीं करेगा या उसका स्थानांतरण नहीं करेगा या दुर्घटना और स्वास्थ्य को हानि से बचने की दृष्टि से अंगीकृत किसी पद्धति या प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगा।

(5) कोई भी व्यक्ति कर्तव्य पर रहने के दौरान क्षति कारित करने के आशय से कोई पत्थर या अन्य अस्त्र नहीं फेंकेगा या लड़ाई नहीं करेगा या हिंसात्मक रीति का आचरण नहीं करेगा।

(6) कोई भी व्यक्ति किसी खतरनाक स्थान जैसे पाड़ या कोनों पर या खतरनाक या विषैले पदार्थों के आसपास, चालू मशीनों या यानों और भारी उपस्कर के पास नहीं सोएगा या विश्राम करेगा।

(7) प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के और मौसम के अनुकूल संरक्षा उपस्कर और कपड़े पहनेगा।

(8) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उसके कर्तव्य के दौरान कोई क्षति पहुंचती है, उस क्षति की रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र किसी पदधारी को या प्राथमिक उपचार केन्द्र के भारसाधक सक्षम व्यक्ति को करेगा जो क्षती व्यक्ति के लिए आवश्यक प्राथमिक उपकार की व्यवस्था करेगा।

19. **प्रबंधकों के कर्तव्य** :—(1) प्रत्येक खान में, प्रबंधक प्रतिदिन स्वयं पर्यवेक्षण करेगा।

(2) प्रबंधक इस बात का ध्यान रखेगा कि अधिनियम, उसके विनियमों और उसके अधीन किए गए आदेशों के उपबंधों के पालन के प्रयोजन के लिए और खान और उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उचित सामग्री और साधित्रों के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था खान में सदा की जाती है; और यदि वह खान का स्वामी या अभिकर्ता नहीं है तथा पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए कोई ऐसी वस्तु अपेक्षित हो जिसके लिए आदेश देने के लिए वह सक्षम नहीं है तो वह स्वामी या अभिकर्ता को लिखित रूप में रिपोर्ट करेगा। ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट की प्रति इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबंद-पृष्ठांकित पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी।

(3) प्रबन्धक, प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को उसका विशिष्ट कर्तव्य सौंपेगा और उसकी नियुक्ति पर, उसे ऐसे विनियमों, नियमों और उपविधियों की और उनके अधीन किए गए किन्हीं आदेशों की जो उस पर प्रभाव डालते हों, प्रति देगा और यह सुनिश्चित करने के लिए सब संभव कार्यवाही करेगा कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उनमें दिए गए उपबन्धों को उचित रूप से समझे कार्यान्वित करे और प्रवर्तित कराए।

(4) प्रबंधक, ऐसी सभी रिपोर्टों, रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों की जिनका अधिनियम उसके विनियमों और उनके अधीन किए गए आदेशों के अनुसरण में बनाया जाना या रखा जाना अपेक्षित है, परीक्षा करेगा और उन पर तारीख के साथ प्रतिहस्ताक्षर करेगा। किन्तु, वह यह कर्तव्य किसी संस्थापन प्रबंधक या अन्य पदधारी को लिखित आदेश द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(5) प्रबंधक, किसी ऐसे विनिर्दिष्ट अभ्यावेदन या शिकायत पर, जो उसे खान के किसी कर्मकार द्वारा खान में या उसके आसपास के व्यक्तियों की सुरक्षा या उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले किसी बाबत लिखित रूप में की जाए, ध्यान देगा या सावधानी पूर्वक अन्वेषण कराएगा।

(6) जब खान में किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक क्षति या जीवन-हानि करने वाली कोई दुर्घटना हो जाए, तब प्रबंधक यथासंभव शीघ्र दुर्घटना-स्थल का निरीक्षण करेगा और वह, या तो स्वयं या सुरक्षा अधिकारी से दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों की जांच करेगा या करवाएगा। ऐसी प्रत्येक जांच के परिणाम और दुर्घटना स्थल का रेखांक तथा भाग वर्णित करते हुए घोरे घटना की तारीख से सात दिन के भीतर प्रादेशिक निरीक्षक को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(7) प्रबंधक, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस निमित्त अधिनियम, उसके विनियमों और उनके अधीन किए गए आदेशों के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए हों।

(8) प्रबंधक अधिनियम उसके विनियमों और उनके अधीन किए गए आदेशों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करने के लिए कर्मकारों को निलंबित कर सकेगा या उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(9) प्रबंधक, इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबंद पृष्ठांकित पुस्तक में डायरी रखेगा और उसमें अपने प्रत्येक निरीक्षण के निष्कर्ष लेखा अपने द्वारा उल्लिखित त्रुटियों के सुधार करने में की गई कार्रवाई को भी अभिलिखित करेगा।

20. संस्थापन प्रबंधक के कर्तव्य :—संस्थापन प्रबंधक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा :—

(1) वह ऐसे संस्थापनों का उत्तरदायित्वपूर्ण भारसाधन करेगा और उस पर नियंत्रण रखेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो प्रबंधक द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(2) वह इस बात का ध्यान रखेगा कि उसकी नियुक्ति की सूचना स्थापन में ऐसे स्थान और ऐसी स्थिति में लगाई जाए जिससे कि उसे सुगमता से और सुविधापूर्वक पढ़ा जा सके।

(3) वह इस बात का ध्यान रखेगा कि उसे सौंपे गए संस्थापन में सब कार्य, अधिनियम उसके विनियमों और उनके अधीन किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार किया जा रहा है;

(4) वह प्रत्येक कार्यदिवस पर अपने भारसाधक के अधीन संस्थापनों का निरीक्षण और पड़ताल करेगा।

(5) वह इसका ध्यान रखेगा कि जब किसी पेषण रिंग, वर्क-ओवर रिंग और सहबद्ध उपस्कर या उत्पादन उपस्कर या पाइप लाइन का स्थानान्तरण किया जाता है या उसे नए रूप में संस्थापित किया जाता है तब उसका उपयोग किए जाने से पहले उसे परीक्षणार्थ चलाया जाता है और वह ऐसे प्रत्येक चलन-परीक्षण के दौरान उपस्थित रहेगा।

(6) वह इसका ध्यान रखेगा कि संस्थापन में नियोजित सभी व्यक्तियों को विकल विस्फोट और अग्नि को रोकने से संबंधित, इन विनियमों के अधीन किए गए स्थायी आदेशों के उपबन्धों के बारे में अच्छी तरह से अनुदेश दे दिया गया है और जानकारी दे दी गई है।

(7) वह इसका ध्यान रखेगा कि अधिनियम, उसके विनियमों और उनके अधीन किए गए आदेशों के मशीनरी और उपस्कर के संस्थापन, अनुरक्षण प्रचालन या परीक्षा से संबंधित उपबंध स्वयं अपने द्वारा या यथास्थिति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्तियों या कर्मकारों द्वारा उचित रूप से पालन किए जाते हैं।

(8) जब किसी संस्थापन के संनिर्माण या किसी प्रचालन शेरीट के दौरान ऐसी कोई आपातस्थिति या आशंकित आपातस्थिति है जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी सुरक्षा या संस्थापन की स्थिरता और सुरक्षा का संकटापन्न होता है तब वह ऐसे उपाय करेगा या ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करेगा जो आपातस्थिति से बचने के लिए आवश्यक या समीचीन है।

(9) इन विनियमों में ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो ऐसे उपायों को करने में प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करे।

21. सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य :—सुरक्षा अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा :—

(1) वह, जितनी बार आवश्यक हो, खान के संस्थापनों का इस दृष्टि से निरीक्षण करेगा जिससे कि वह ऐसे अप्रकट खतरों को परिलक्षित कर सके जो किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति या उसके स्वास्थ्य का ह्रास कारित कर सकेंगे।

(2) वह खतरनाक स्थितियों को रोकने के लिए आवश्यक उपायों पर प्रबंधक को सलाह देगा।

(3) वह उन सभी दुर्घटनाओं की, चाहे उनमें व्यक्ति अन्तर्वलित हों या नहीं, परिस्थितियों और कारणों की जांच करेगा और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक उपायों पर प्रबंधक को सलाह देगा।

(4) वह सुरक्षा पद्धतियों में अभिवृद्धि करने और कार्यकरणों पर्यावरण में सुधार करने की दृष्टि से दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के संबंध में जानकारी इकट्ठा करेगा, उनका संकलन और विश्लेषण करेगा।

(5) वह इसका ध्यान रखेगा कि सभी नए कर्मकारों और ऐसे कर्मकारों को जिन्हें नए काम पर स्थानांतरित किया गया है, पर्याप्त सुरक्षा, प्रशिक्षण अनुदेश और मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

(6) वह अपने द्वारा निष्पादित कार्य का ब्यौरेवार अभिलेख करेगा।

22. अग्नि शमन अधिकारी के कर्तव्य :—अग्नि शमन अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा :—

(1) वह, इस अधिनियम, विनियमों और उनके अधीन किए गए आदेशों के आग का पता चलाने और अग्नि शामक पद्धति से संबंधित उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करेगा और आग बुझे पर्याप्त संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर प्रबंधक को सलाह देगा।

(2) वह अग्नि शामक उपस्कर का उचित अभिन्यास, संस्थापन और अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा।

(3) वह इसका ध्यान रखेगा कि संभाव्य अग्नि स्थितियों के लिए पहले ही से अग्नि संबंधी योजना तैयार कर ली गई है।

(4) वह प्रारंभिक अग्निशामक कर्तव्यों के भारसाधक व्यक्तियों का नियमित प्रशिक्षण, विशिष्टतया पूर्व-अग्नि योजना सही आकार का अंदाजा लगाने और अग्नि से संबंधित समस्याओं से निपटने के संदर्भ में आयोजित करेगा।

(5) वह इसका ध्यान रखेगा कि अग्नि शामक कर्तव्यों के भारसाधक व्यक्ति कम से कम प्रत्येक मास में एक बार नकली आग संबंधी अभ्यास करें जिससे कि आग लगने पर उनकी प्रतिक्रिया की तत्परता और प्रभावी युक्तियों का अध्ययन किया जा सके।

(6) वह प्रत्येक मास में कम से कम एक बार खान में आग का पता लगाने तथा अग्नि शामक पद्धतियों की सभी युक्तियों और उपस्कर का निरीक्षण करेगा और उनमें किसी त्रुटि के बारे में प्रबंधक को रिपोर्ट करेगा;

(7) वह खान में कोई आग लगने के दौरान उसके नियंत्रण और बुझाने का सामान्य पर्यवेक्षण और समन्वय का प्रयोग करेगा।

(8) वह आग लगने के सभी कारणों और परिस्थितियों की इस दृष्टि से जांच करेगा जिससे कि भविष्य में आग लगने को रोका जा सके।

(9) वह अपने द्वारा निष्पादित कार्य का ब्यौरेवार अभिलेख रखेगा।

23. सक्षम व्यक्तियों के कर्तव्य.—(1) हर सक्षम व्यक्ति वरिष्ठ पदधारी के आदेशों के अधीन होगा।

(2) वह—

(क) अपने वरिष्ठ पदधारी की मंजूरी के बिना अपना कार्य करने के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति नहीं करेगा,

(ख) अपने वरिष्ठ पदधारी से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना सम्यक् रूप से किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा अवमुक्तकृत बिना, अनुपस्थित नहीं रहेगा , और

(ग) ऐसे पदधारी की अनुज्ञा के बिना, अपनी पारी के दौरान उन कर्तव्यों से भिन्न कोई कर्तव्य नहीं करेगा जिनके लिए उसे नियुक्त किया गया है।

(3) वह अपने कार्य करने वाले स्थान पर कोई जोखिम वाली परिस्थिति होने पर उस जोखिम को दूर करने के लिए तुरन्त सुधार संबंधी उपाय करेगा।

अध्याय-4 खेदन

24. डेरिक.—(1) डेरिक का प्रत्येक भाग ठोस बनावट पर्याप्त सामर्थ्य का होगा तथा उसे काम करने की निरापद दशा में बनाए रखा जाएगा।

(2) डेरिक को दृढ़ता से एक दृढ़ आधार के साथ जोड़ा जाएगा और उसे वायु वेग के कारण उलटने से रोकने के लिए पर्याप्त रूप से कड़ा जाएगा।

25. डेरिक मंच और फ्लोर.—(1) प्रत्येक डेरिक या सवाह्य बूम पर आउट ब्लाक के कम से कम एक तरफ कम से कम 0.60 मीटर चौड़ा एक मंच के बाहरी कोरों पर कम से कम एक मीटर ऊंची दो छड़ों वाली रेलिंग और 0.15 मीटर ऊंचा टो-बोर्ड होंगे।

(2) प्रत्येक डेरिक या बूम पर व्यक्तियों के डेरिक पर रखी गई पाइप या अन्य उपस्कर संभालने के समय खड़े होने के लिए एक मंच की व्यवस्था की जाएगी। मंच, मंच के कार्यकरण कोर डेरिक के पर्व स्तंभों और गर्टों के पीछे वाले स्थान को पूर्ण रूप से आच्छादित करेंगे तथा उन्हें मजबूती से बांधा जाएगा।

(3) डेरिक मंचों के अन्दर के कार्यकरण कोर को इस प्रकार रखा जाएगा जिससे कि चल ब्लाक के सुरक्षित मार्ग के लिए पर्याप्त स्थान रहे

(4) मंचों फ्लेटों, और पैदल-मार्गों के खतरनाक बहिर्वेशिनों या बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा और तेल ग्रीस, जल या उसी प्रकार के अन्य पदार्थों से युक्तियुक्त रूप से मुक्त रखा जाएगा। जहां कहीं आवश्यक हो, फिसलन से बचने के लिए पर्याप्त संरक्षण दिया जाएगा।

26. सीढ़ियां. (1) प्रत्येक डेरिक पर सीढ़ी का प्रबन्ध किया जाएगा जिससे कि सभी उत्पादित चलता और कार्यकरण मंचों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

(2) कार्यकरण मंचों पर सीढ़ी द्वारा पहुंच को रेलिंगों और टो-बोर्डों से उचित रूप से सुरक्षित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक सीढ़ी या सीढ़ी सेक्शन का ऊपरी छोर मंच के ऊपर एक मीटर से अन्यून बढ़ा हुआ होगा।

(4) 6 मीटर से ऊपर की सीढ़ियों पर अधिक से अधिक 9 मीटर की अविच्छिन्न लम्बाई तक अवतरण मंचों या पंजरों की व्यवस्था की जाएगी।

(5) सभी अवतरण मंच को रेलिंगों और टो-बोर्डों से लैस करके ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि सीढ़ी तक सुरक्षित पहुंच हो सके।

27. सुरक्षा पेटियां और रक्षा-रस्सी.—ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो डेरिक या दण्ड के प्रथम गर्ट के ऊपर कार्य कर रहे हैं, अनुमोदित प्रकार की सुरक्षा पेटी और रक्षा-रस्सी की व्यवस्था की जाएगी और वह उसका उपयोग तब तक करेगा जब तक कि उसे ऊंचाई से गिरने के खतरे मुक्त अथवा सुरक्षित नहीं किया जाता।

28. बचाव-रज्जू.—प्रत्येक डेरिक पट एक बचाव पर रज्जू की इस रीति से संस्थापित करके व्यवस्था की जाएगी जिससे कि डेरिक से दूर हटा जा सके।

29. भार सूचक.—प्रत्येक बेधन रिग पर एक भार सूचक की व्यवस्था की जाएगी और उसका उपयोग उत्तोलन रस्सी से लटके हुए भार का सूचम सूचन रजिस्टर करने के लिए किया जाएगा।

30. बचाव निकास.—रिग फ्लोर क्षेत्र और प्रत्येक कर्षण संकर्म इंजन फ्लोर क्षेत्र में कम से कम दो बचाव निकास रिग के दूसरी ओर होंगे जिससे कि बेरोक बचाव हो सके।

31. जंगले, कटघरे और आड़े.—(1) फ्लोर खुली जगहों और फ्लोर-छिद्रों को मानक रेलिंग और टो-बोर्ड द्वारा तथा/या आड़ द्वारा रक्षित किया जाएगा।

(2) पार्श्वस्थ फ्लोर या भूमि तल के 1.8 मीटर या अधिक ऊपर किनारे से खुले हुए प्रत्येक फ्लोर या मंच को मानक रेलिंग द्वारा रक्षित किया जाएगा।

(3) सभी पंक टंकी के भागों के भीतर तब तक मानक रेलिंग की व्यवस्था की जाएगी जब तक कि पंक टंकियों में किसी व्यक्ति को गिरने से रोकने के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं कर दिया जाता।

(4) खतरनाक उपस्कर और इसी प्रकार की जोखिम वाली वस्तु के ऊपर या उसके पार्श्वस्थ किनारे से खुले हुए फ्लोरों, पैदल मार्गों मंचों या मार्गों को मानक रेलिंग और टो-बोर्ड द्वारा रक्षित किया जाएगा।

32. कर्षण संकर्म.—(1) कर्षण संकर्म के साथ एक उपयुक्त युक्ति लगायी जाएगी जिसका नियंत्रण वेधन करने वाले व्यक्ति के स्टैण्ड के पास होगा जिससे कि आपात की स्थिति में कर्षण संकर्म को रोका जा सके।

(2) किसी भी कर्षण संकर्म का प्रचालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके सभी गार्ड अपने स्थान पर और चालू हालत में न हों।

(3) यदि स्नेहन फिटिंग, गाई, के स्थान के पहुंच के नहीं है तो मशीनरी को तेल डालने और ग्रीस लगाने के लिए रोक लिया जाएगा।

(4) कर्षण संकर्म के ब्रेकों, पावलों और फ्लेंजों की किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक 24 घण्टे में कम से कम एक बार परीक्षा की जाएगी। यदि ऐसी परीक्षा के दौरान किसी त्रुटि का पता चलता है तो कर्षण संकर्म का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी त्रुटि को दूर नहीं कर दिया जाता।

33. कैटहैड और कैटलाइन.—(1) हस्त-प्रचालित कैटहैड को लाइन या रस्से का प्रथम आवरण का पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए एक गाइड विभाजक से लैस किया जाएगा।

(2) कैटहैड की मुख्य सीट और प्रेक्षेपी कुंजी को चिकने थिम्बिल या प्लेट से आच्छादित किया जाएगा।

(3) जब कोई कैटहैड प्रयोग में हो तब उसके नियंत्रणों पर एक सक्षम व्यक्ति होगा और किसी आपात की दशा में वह कैटहैड के घूर्णन को तुरन्त बंद कर देगा।

(4) कैटहैड का प्रचालक अपने प्रचालन क्षेत्र को साफ रखेगा और कैटलाइन के न उपयोग किए जाने वाले भाग को कुंडलित या स्थल रखेगा

34. टौंग्स : (1) चिकुल टौंग्स का उपयोग पूंछिकर टौंग्स के साथ पाइप के जोड़ों को कसने के लिए किया जाएगा।

(2) टॉग को प्रतिसंतुलन करने वाले भार और लाइनों पर आकस्मिक संस्पर्श को रोकने के लिए गार्डों की व्यवस्था की जाएगी।

(3) टॉग के सुरक्षा लाइनों के सिरों को कम से कम तीन तार-लाइन क्लैम्पों से जकड़ा जाएगा।

(4) वेधन करने वाले स्थान के सामने एक तलिकाकार स्तंभ संस्थापित किया जाएगा जिससे कि वह सुरक्षा लाइन के असफल होने की दशा में टॉग के पीछे की ओर दोलायमान होने पर संरक्षण दे सके।

35. सुरक्षा चैन: सभी टॉग, घूर्णी होज के सिरों और लटकी हुई चरखियों में सामान्य संबंधन के असफल होने की दशा में टेक देने के लिए सुरक्षा चैन लगाई जाएगी।

36. उत्तोलन लाइन (1) सभी उत्तोलन लाइनों (तार रस्सों) की परीक्षा सात दिन में एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा उन्हें देखकर किया जाएगा और तारों की ऊपरी दशा में, जैसे कि घिसाई, संरक्षण, भंगुरता और विभंग को, नोट किया जाएगा। प्रत्येक ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्दबद्ध पृष्ठांकित पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी और वह व्यक्ति उस पर तारीख डालकर हस्ताक्षर करेगा जिसने परीक्षण की है।

(2) यदि उपर्युक्त रूप में की गई किसी परीक्षा पर कोई ऐसा दोष या त्रुटि पाई जाती है जिसके द्वारा व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो, ऐसे दोष या त्रुटि की रिपोर्ट लिखित में तुरन्त संस्थापन प्रबंधक को की जाएगी और जब तक ऐसे दोष या त्रुटि को सुधार नहीं दिया जाता तब तक उत्तोलन लाइन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

37. सामग्री संभालने के लिए रिगिंग उपस्कर: (1) सामग्री संभालने के लिए रिगिंग उपस्कर की, उनका उपयोग किए जाने से पूर्व और उसके दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए जांच-पड़ताल की जाएगी कि वह सुरक्षित है।

(2) रिगिंग उपस्कर पर, उसके सिफारिश किए गए सुरक्षित कार्यकरण भार से अधिक भार नहीं लादा जाएगा।

38. सामग्री का संचयन: (1) एक दूसरे पर रख कर संचित सभी सामग्रियों को ढेर लगा कर, फिसलने, गिरने या बह जाने से रोकने के लिए शिकंजे में फंसा कर या अन्यथा अकड़ कर रखा जाएगा।

(2) रास्तों को निर्बाध रखा जाएगा जिससे कि सामग्री संभालने वाले उपस्कर या व्यक्ति अबाध और सुरक्षित रूप से आ जा सकें।

39. पाइप रैकों का निर्माण और लदाई (1) पाइप रैकों के निर्माण का डिजाइन इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि वे उस पर लादे गए किसी भार को टेक दे सकें।

(2) पाइप, तलिकाकार सामग्री या अन्य गोल सामग्री को पाइप रैकों से लुढ़कने से रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

(3) लदाई, उतराई और अन्तरण संक्रियाओं के दौरान कोई भी व्यक्ति पाइप रैकों और किसी पाइप-भार के बीच नहीं जाएगा।

40. रिग को खड़ा करना और रिग को खोलना: (1) जब तक कार्य करने के स्थान में पर्याप्त सामान्य प्रकाश की व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं तब तक भारी भार को उठाने और संस्थापन करने का कार्य दिन के प्रकाश में किया जाएगा।

(2) सभी खुले भाग मजबूती से बांधे जाएंगे।

(3) गाई लाइनें, हाई लाइनें, स्तंभ लाइनें और ऐसी अन्य लाइनें, जो आवश्यक हों किसी विद्युत पारेषण लाइन के छह मीटर के भीतर संस्थापित नहीं की जाएंगी।

(4) अन्तर्दहन इंजन के निष्कासक के साथ अग्नि रोक प्रभावी स्फुलिंग रोधक की व्यवस्था की जाएगी

(5) उच्च दाब परिसंचारी तरल लाइनों और वाष्प लाइनों को, पैदलमार्गों, फ्लोरों और मंचों के नीचे से ले जाया जाएगा और मजबूती से बोल्ट किया जाएगा।

(6) प्रत्येक वेधन रिग में एक स्वचालित युक्ति की व्यवस्था की जाएगी जो आरोही चल ब्लाक को क्राउन ब्लाक के पास दो मीटर से अधिक आने से रोकेगी।

(7) रिग को खोलते समय ऊपर शीर्ष का किसी चीज को फिसलने या गिरने से मुक्त मंच सुरक्षित किया जाएगा।

(8) ऊपर से घटकों को जिसके अन्तर्गत नट, बोल्ट और क्लीट भी है, या तो एक बंडल में या आधानों में सुरक्षापूर्वक नीचे उतारा जाएगा।

41. पंक टंकियां और पंक पम्पे: (1) पंक टंकियों को इस प्रकार से डिजाइन और संस्थापित किया जाएगा जिससे कि पंक पंपों के लिए पार्जिटिव चूषण की व्यवस्था हो सके।

(2) वेधन रिग से लगे हुए सभी पंक पंपों में सुरक्षा दाब मोचन वाल्व और पाइपों में एक प्रचालन गेज लगाया जाएगा। वाल्व को पम्प, पाइप और फिटिंगों के स्थापित कार्यकरण दाब से अधिक दाब पर विसर्जन करने के लिए नियत नहीं किया जाएगा।

(3) सुरक्षा दाब मोचन वाल्व से होने वाले विसर्जन को पाइप से ऐसे स्थान पर ले जाया जाएगा जहां वह व्यक्तियों को संकटापन्न नहीं करेगा।

(4) किसी पंप और उसके सुरक्षा दाब मोचन वाल्व के बीच कोई वाल्व नहीं होगा।

42. विफल विस्फोट निरोध उपस्कर: (1) किसी कूप में पृष्ठीय केसिंग नियत किए जाने के पश्चात कोई वेधन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विफल विस्फोट निरोध उपस्कर सुरक्षित रूप से संस्थापित नहीं कर दिया जाता और उसे बनाए नहीं रखा जाता।

(2) विफल विस्फोट उपस्कर में कम से कम निम्नलिखित होंगे :—

(क) इस बात को ध्यान में लाए बिना कि वेधन उपस्कर छिद्र में है या नहीं, बंद करने के लिए एक वैकल्पिक निरोधक;

(ख) किसी खुले छिद्र को बंद करने के लिए एक अप्रत्यक्ष रैम निरोधक और

(ग) छिद्र में उपयोग में वेधन उपस्कर को बंद करने के लिए अप्रत्यक्ष रैम निरोधक के नीचे अवस्थित एक पाइप रैम निरोधक।

(3) विफल विस्फोट निरोध उपस्कर के अन्तर्गत कम से कम 50 मिलीमीटर व्यास की दो सीवनहीन इस्पात की पाइपें एक दाब के स्तवण लिए और एक कूप के हनन के लिए होंगी और वे विफल विस्फोट निरोधक समंजन से जुड़ी होंगी। पाइपें सीधी होंगी और वेधन मंच की दूसरी ओर ले जाई जाएंगी। प्रत्येक पाइपलाइन, विफल विस्फोट निरोधकों के कम से कम एक मेटर के नीचे अवस्थित की जाएगी।

(4) प्रत्येक पाइप लाइन में ऐसे संघट होंगे जिनका कार्यकरण दाब, विफल विस्फोट निरोधक के बराबर होगा।

(5) स्राव लाइन को जकड़ कर बांधा जाएगा और किसी ऐसे उपयुक्त बहुमुख से जोड़ा जाएगा जो बहाव को, किसी पूर्ण खुली लाइन से या दो लाइनों में से किसी लाइन से, प्रत्येक लाइन समायोज्य चोक से युक्त और पंक गैस पृथक्त्र द्वारा किसी पंक-टंकी से जुड़ी होगी, मुड़ जाने देगा।

43. विफल विस्फोट निरोधकों के लिए नियंत्रण पद्धति :— (1) यांत्रिक रूप से प्रचालित विफल विस्फोट निरोधकों के लिए सभी हस्तचालित नियंत्रण क्षैतिज अवसंनतचना के जहां कम से कम 0.60 मीटर पर अवस्थित होंगे। नियंत्रण प्रचालित करने के लिए अनुदेश नियंत्रण चक्र के निकट प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

(2) शक्ति प्रचालित विस्फोट निरोधकों के सभी नियंत्रण, डेरिक फ्लोर पर वेधक के निकट अवस्थित होंगे।

(3) विफल विस्फोट निरोधकों के लिए दूरस्थ नियंत्रण पैनल भी डेरिक फ्लोर से सुरक्षित अंतराल पर भूतल स्तर पर संस्थापित किया जाएगा।

(4) विफल विस्फोट निरोधकों के लिए सभी नियंत्रण, उपयुक्त चिह्नकों से स्पष्ट रूप से पहचाने जाएंगे।

44. विफल विस्फोट उपस्कर का परीक्षण : (1) विफल विस्फोट निरोध उपस्कर जिसके अन्तर्गत पाइपें और नियंत्रण वाल्व भी है दाब परीक्षित होगा :—

(क) कार्यकरण दाब के लिए आरंभिक संस्थापन और पश्चातवर्ती संस्थापनों के दौरान, कार्यकरण दाब के 70 प्रतिशत तक वैलारूप निरोधक।

(ख) किसी स्ट्रिंग के कैसिंग में सीमेंट का वेधन करने के पूर्व उस अधिकतम संगणित दाब तक, जिस तक कैसिंग को रखा जा सकता हो।

(ग) की जाने वाली मरम्मत जो कार्यकरण दाब तक किसी दाब सील के नियोजन की अपेक्षा करती है, कार्यकरण दाब के 70 प्रतिशत तक वैलारूप निरोधक।

(2) विफल विस्फोट निरोधक उपस्कर का, जिसके अन्तर्गत पाइप में और नियंत्रण वाल्व भी है, परीक्षण निम्नलिखित रूप में किया जाएगा,—

(क) अप्रत्यक्ष वैलरूप निरोधकों का प्रत्येक ट्रिप में एक बार।

(ख) पाइप वैलरूप निरोधकों का प्रतिदिन कम से कम एक बार।

(ग) वेधन पाइप पर के वैला रूप निरोधकों का सात दिन में एक बार।

(3) ऊपर उल्लिखित सभी परीक्षणों की पूर्ण विशिष्टियां दैनिक रिपोर्ट में अभिलिखित की जाएंगी और दाब परीक्षण की दशा में उपयोजित दाब और परीक्षण की अवधि भी अभिलिखित की जाएगी।

(4) यदि परीक्षण के दौरान कोई विफल विस्फोट निरोध उपस्कर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसे संक्रियाएं आरंभ करने के पूर्व काम में लाने योग्य बनाए जाएगा।

45. विफल विस्फोट मद्दे पूर्वविधानियां :—(1) वेधन पंक पद्धति के लिए निम्नलिखित नियंत्रण उपस्कर, वेधन संक्रियाओं के दौरान संस्थापित किए जाएंगे :—

(क) वेधन पंक मात्रा में वृद्धि या कमी रजिस्टर करने वाला पंक स्तर सूचक। इसके अन्तर्गत वेधक स्टैंड के निकट दृश्य और श्रव्य चेतावनी युक्ति होगी।

(ख) कूप को सब समय भरा रखने के लिए अपेक्षित पंक की मात्रा को ठीक-ठीक माप करने के लिए युक्ति ;

(ग) मुख्य गोल प्रकपित्र के पास एक गैस संसूचक या विस्फोटमीटर, जो वेधन स्टैंड के निकट श्रव्य या दृश्य संकेतक से जुड़ा होगा।

(घ) जब स्ट्रिंग को खींचा जा रहा हो तब कूप का पंक से सतत भरा जाना सुनिश्चित करने के लिए एक युक्ति

(ङ) जब कूप प्रतिक्षेप करता है तब पंक पंप बंद करने के लिए वेधन-स्टैंड के निकट एक नियंत्रण युक्ति।

(च) यदि ऊपर उल्लिखित नियंत्रण उपस्कर यह सूचित करता है कि गैससमूह तरल कूप में प्रवेश कर रहे हैं तो कूप को नियंत्रण करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाएगी।

(2) (क) प्रत्येक ऐसी खान का, जिसमें विफल विस्फोट निरोध उपस्कर संस्थापित किया जाता है, प्रबंधक, इन नियमों के प्रवृत्त होने के 60 दिन के भीतर या किसी नए संस्थापन की दशा में संस्थापन के 30 दिन के भीतर किसी कूप के प्रतिक्षेप करने की दशा में की जानेवाली कार्रवाई और रिग पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों के बारे, विफल विस्फोट ड्रिलों और सांस्थितिक आपातस्थितियों के लिए आवश्यक हो कालबद्ध विनिर्दिष्ट करते हुए स्थायी आदेश प्रादेशिक निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

(ख) प्रादेशिक निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा या तो उसे प्रस्तुत रूप में या ऐसे परिवर्धनों और परिवर्तनों सहित जो वह ठीक समझे, ऐसे स्थायी आदेशों का अनुमोदन कर सकेगा; इस प्रकार अनुमोदित स्थायी आदेश खान में प्रवर्तित किए जाएंगे।

(ग) स्थायी आदेशों की एक प्रति रिग के निकट प्रमुख रूप से चिपकाई जाएगी।

(3) किसी रिग पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को किसी प्रतिक्षेप के चेतावनी संकेत, स्थायी आदेशों, विफल विस्फोट निरोध उपस्कर की पर्याप्त समझ होगी और वह विफल विस्फोट निरोधक के लिए नियंत्रणों को प्रचालित करने में समर्थ होगा। इस प्रयोजन के लिए विफल विस्फोट निरोध ड्रिल का सात दिन में एक बार संचालित किया जाएगा।

(4) (क) उपयुक्त नियंत्रण वाल्व कूप के निकट उपलब्ध रहेंगे जिनका उपयोग आपात की दशा में कूप को नियंत्रण करने के लिए किया जाएगा।

(ख) जब नलिकाओं के अन्दर चलाया जाए या बाहर खींचा जाए तब एक द्वारा वाल्व और नलिका हैंगर को पूर्व-समजित किया जाएगा और कूप के पास सुगमता से उपलब्ध रहेंगा।

(ग) वेधन के दौरान एक पश्च दाब वाल्व उपलब्ध रहेगा जिसे ड्रिल पाईप के शीर्ष पर जोड़ा जा सकता है।

46. विफल विस्फोट घटित हो जाने के पश्चात की पूर्वविधानियां :—(1) इस सूचना के संकेत का आभास होने पर कि किसी कूप में विफल विस्फोट हो रहा है, उन व्यक्तियों से जिनकी उपस्थिति विफल विस्फोट नियंत्रण करने के लिए आवश्यक समझी जाती है, भिन्न सभी व्यक्तियों को कूप से तुरन्त हटा लिया जाएगा।

(2) सब समय के दौरान जब किसी विफल विस्फोट नियंत्रण करने का कोई काम चल रहा हो, निम्नलिखित पूर्वविधानियां बरती जाएंगी—

(क) एक सक्षम व्यक्ति उस स्थान पर शुरू से अंत तक उपस्थित रहेगा;

(ख) कूप के 500 मीटर के भीतर के क्षेत्र को संकट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

(ग) संकट क्षेत्र के भीतर के सभी विद्युत संस्थापनों को अक्रियाशील कर दिया जाएगा

(घ) संकट क्षेत्र के भीतर केवल अनुमोदित निरापद लैम्प या टार्चें का उपयोग किया जाएगा

(ङ) संकट के क्षेत्र के भीतर कोई अनावृत्त दीप या यानीय यातायात अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(च) जहां तक व्यक्तियों की सुरक्षा का संबंध है, कोई सक्षम व्यक्ति संस्थापन की स्थिति और अनुमोदित उपकरण में गैसों की उपस्थिति का अभिनिश्चय करेगा ;

(छ) उस स्थान पर उसके निकट आपात स्थिति में उपयोग के लिए दो संवृत परिपथ रेस्पिरेटर उपलब्ध रहेंगे,

(ज) पर्याप्त अग्नि शामक उपस्कर उपलब्ध किया जाएगा।